(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

शुक्रवार,

दिनांक 3 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गोविन्दसिंह शक्तावत।

तलादरी बांध पर व्यय की गई राशि

26. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील कुम्भलगढ़ में अकाल राहत में किये गये कार्यों में तलादरी बांध पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या तलादरी बांध बनाने से पूर्व रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से इसकी भावी आमदनी का अनुमानित आंकड़ा प्राप्त किया गया था ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) सहायता विभाग के मद से कुम्भलगढ़ के तलादरी बांध पर 6 लाख 36 हजार 200 रुपये की राशि वर्ष 1970-71 एवं 1973-74 में व्यय की गई थी।

(2) जी नहीं, विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने वाले राहत कार्यों को स्वीकृत किये जाते समय राजस्व विभाग के कार्य से होने वाली भावी आमदनी के बाबत सूचना प्राप्त नहीं की जाती है। तकनीकी अनुमानों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राहत कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत : क्या यह सही है कि इस बांध से जितनी जमीन डूबी है, उतनी जमीन की भी इस बांध के पानी से सिंचाई नहीं होती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत से नये मन्त्री नियुक्त हो गये हैं जिनकी हम लोग शक्ल भी नहीं जानते। संसद में ऐसी परम्परा है कि वहां पर नये मन्त्रियों का परिचय कराया जाता है। यहां पर भी कम से कम इनका परिचय तो कराया जाये। मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन उत्तर दे रहे हैं। कई नये मन्त्री अपाइन्ट हुए हैं, तो जैसी संसद में परम्परा है, यहां पर भी उनका परिचय करवाया जाये।

Page No 2

(2)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लोकसभा में है, माननीय अध्यक्ष।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य भी जब मन्त्री बनाये गए थे, तब उनका भी कोई परिचय नहीं करवाया गया था।

श्री अध्यक्ष : वह सदन का दुर्भाग्य था।

श्री जयनारायण पूनिया : बांध के भराव में 30 एकड़ भूमि आई है, जब कि इस बांध के पानी से 164 एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है। वर्ष 1976–77 में 59 एकड़ की सिंचाई हुई भी है।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत : आपने जो आंकड़े बताये, वह गलत हैं। 6,36,200 रुपये की राशि का खर्च होना आपने बताया है, जब कि वहां केवल दो लाख रुपये का ही काम हुआ है। क्या आप जांच करवाने को तैयार हैं ? मैं प्रमाण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें, क्या यह सही है कि जितना पैसा इस बांध की जमीन का मुआवजा देने में दिया गया, उतने पैसे का लाभ भी इस बांध से नहीं होगा ? ऐसी हालत में इस योजना बनाने वाले अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : मन्त्री महोदय यह जांच करवायें कि जो पैसा खर्च हुआ बताया जाता है, वह हुआ भी कि नहीं ? क्या वास्तव में इसके कारण किसानों को कोई नुकसान हुआ है ?

श्री जयनारायण पूनिया : जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बांध के सिंचाई क्षेत्र में जो भूमि आती है, उस पर पहले लगभग 25 हजार रुपये की कृषि जिन्सों का उत्पादन होता था। अब बांध के बनने के बाद कुल मिलाकर 1,20,000 रुपये का उत्पादन होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : काफी तरक्की हुई है।

प्रश्न संख्या 27

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री कौशल किशोर जैन।

जिला परिषद, भीलवाड़ा के अन्तर्गत अध्यापकों के रिक्त पद

28. **श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :** क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला परिषद् भीलवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले कितने प्राथमिक स्कूलों में जुलाई, 1977 से कोई भी अध्यापक नहीं है ?

(2) पंचायत समिति, सुवाणा जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक स्कूलों में कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं जुलाई, 1977 से नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि पीपली प्राथमिक कन्या शाला, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा में जुलाई 1977

(श्री कौशल किशोर जैन)
से जनवरी, 1978 तक कोई अध्यापिका नहीं थी ?

(4) क्या यह सही है कि इसी कारण कन्याओं का एक वर्ष बेकार हो गया ?

पंचायत राज मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) पांच।

(2) केवल एक अध्यापिका।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। 8 माह तक अध्यापिका नहीं लगाने से कन्याओं के शैक्षणिक कार्य को क्षति पहुँचना तो स्वाभाविक है। इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 23 फरवरी, 1978 से एक अध्यापिका को कन्या पाठशाला पीपली में लगा दिया गया है।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब वह स्वीकार करते हैं कि आठ माह तक अध्यापिका के नहीं रहने के कारण कन्याओं का अहित हुआ तो भविष्य में ऐसी बात न हो, इसके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ? उन कन्याओं के एक वर्ष का क्या होगा ?

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, सभी पंचायत समिति स्कूलों में यह अव्यवस्था है। अध्यापकों की दृष्टि से कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है, तीन अध्यापकों की जगह एक ही अध्यापक काम कर रहा है।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : पिड़ावा पंचायत समिति के स्कूलों में अध्यापकों के 26 स्थान रिक्त पड़े हुए हैं और स्कूल बन्द होने की स्थिति में हैं। यह बहुत ही ज्वलन्त समस्या है।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, स्कूल खुले हुए हैं, परन्तु अध्यापक नहीं हैं। अगर पंचायत राज मंत्री इस बात की व्यवस्था नहीं कर सकते तो शिक्षा को पंचायत राज से अलग करना चाहिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र पंचायत समिति मकराना के स्कूल के बारे में मंत्री महोदय को लिखा था, नांदोती चन्दावता में जो स्कूल के लिये बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां से स्कूल को हटाकर एक मंदिर में चला रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन मंत्री महोदय के यहां से कोई उत्तर नहीं आया। इसलिये आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ? मंत्री महोदय कह भी देंगे, तो भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वह कोई एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें।

श्री अब्दुल अजीज : आप कहते हैं कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। अगर आप कार्यवाही करते तो मेरे लिखित पत्र पर करते, कम से कम उसका उत्तर तो देते, यह वजह बताते कि स्कूल को दूसरी जगह क्यों ले गये।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कन्या पाठशाला है इसमें आठ महीनों से अध्यापक नहीं है। मैंने ए. डी. ओ. और बी. डी. ओ. से

(श्री कौशल किशोर जैन)
भी आग्रह किया लेकिन उन्होंने जानबूझ कर उस स्थान की उपेक्षा की। वहां की कन्याओं का एक वर्ष बेकार हो गया। मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : 60 छात्रों के पीछे एक अध्यापक दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। जिसका नाम लिया जाये, कृपया वह ही बोलें।

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं।

श्री अब्दुल अजीज : आप कृपया यह तो बताएं ....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल भीलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र का नहीं है, बल्कि सारे राजस्थान का है। अध्यापकों की कमी के कारण स्कूल बन्द पड़े हुए हैं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है? क्या पंचायत मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि सब जगह बराबर अध्यापक और अध्यापिकाओं की नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जायगी?

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एन. ए. सी. के निर्देश दिये गये थे और ए डी. डी. ओ. को कहा गया कि कोई अध्यापिका नहीं रखी जाय?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह स्पेसिफिक क्वेश्चन जिला भीलवाड़ा से सम्बन्धित है। मन्त्री महोदय के पास जानकारी सिर्फ भीलवाड़ा के सम्बन्ध में ही हो सकती है। अगर सारे राजस्थान में यह परिस्थिति है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, यह मैं मानता हूं। लेकिन मंत्री महोदय केवल भीलवाड़ा के सम्बन्ध में ही जानकारी रखते हैं और उस सम्बन्ध में ही उनको उत्तर देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप मत बोलिये।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि ए.डी.डी.ओ. और बी.डी.ओ. इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विधान सभा सदस्यों को कई तरह की शिकायतें हैं। कई स्कूल जो नये खोले गये हैं, उनमें से कई शाला भवन के अभाव में बन्द रहे हैं और कई विद्यार्थियों के अभाव में नहीं चल रहे हैं। जिस स्कूल का जिक्र भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं, पीपली का, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि माह अप्रेल, 77 में तत्कालीन पंचायत समिति के जो प्रधान थे, उन्होंने वहां की अध्यापिका को हटा दिया

(श्री कैलाश मेघवाल)
और वह इसलिए कि वहां पर छात्रों की संख्या कम थी। वहां उस समय प्रथम कक्षा में तीन और कक्षा तीन में तीन लड़कियां थीं। नये सत्र में दूसरी जगह से अध्यापिका राम कन्या को वहां जाने का आदेश दिया गया तो उसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके पति मेन्टल डिजीज से पीड़ित थे विक्षिप्त थे। उसके बाद एक दूसरी अध्यापिका सुन्दरदेवी का स्थानान्तरण किया गया। उसके लिए जो जिला कर्मचारी वर्ग से स्वीकृति लेनी पड़ती है, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। उसके बाद तीसरी अध्यापिका की नियुक्ति 31-1-78 को की गई उसने इतने कम समय के लिये नियुक्ति होने के कारण मना कर दिया। उसके बाद 14-2-78 को नियुक्त की गई उसने मना कर दिया, 1-2-78 को भी दूसरी अध्यापिका की नियुक्ति की उसने भी मना कर दिया। अन्त में दूसरी जगह जहां पर अध्यापिका ज्यादा थी वहां से लगाया गया इसलिए यह विलम्ब हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं समय समय पर कि अध्यापकों के अभाव में कोई स्कूल बन्द नहीं किये जायं। लेकिन कई तरह की दिक्कतें आती हैं, एन. ए. सी. भी लेनी पड़ता है, टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट पर लोग आते नहीं। फिर भी बहुत सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि प्राइमरी स्कूल, जो पंचायत समितियों के अधिकार में हैं, सुचारु रूप से चलें। माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं उनमें वास्तविकता है। अब मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और कोई इसमें ढील नहीं रहेगी। समय समय पर आदेश दिये जाते रहे हैं वह मैं आपके सामने रख सकता हूं। नीचे के स्तर पर कोई ढिलाई बरती गई तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी जो संख्या बताई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी.डी.ओ. ने गलत आंकड़े भेजे हैं। मैं स्वयं स्कूल में गया हूं, वहां पर 23 कन्यायें हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के आदेशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : हाउस को मिसलीड किया गया।

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह समझा जाय कि मंत्री महोदय के हुक्म का पालन नहीं होता है ? बार-बार हुक्म देने के बावजूद भी वहां पर कोई नहीं गया।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अप्रेल, 77 की संख्या दी है, उस समय कम थी। उस समय तीन और तीन 6 कन्यायें परीक्षा में बैठी थीं। इस समय की संख्या नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : क्या संख्या कम है इसलिए उनको हटा दिया गया ? क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि वहां के प्रधान

(श्री कौशल किशोर जैन)

श्री चुन्नीलाल का क्या इन्ट्रेस्ट था स्कूल का स्थानान्तरण करने में ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की पंचायत समितियों के अन्दर कितने अध्यापक और अध्यापिकाओं की कमी है और उनकी पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत संजीदा बात है, सत्ता पक्ष के लोगों को शिकायत है, वह दूर करनी चाहिए। हमारा तो कुछ नहीं, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि मेरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि किसी भी स्कूल में कम से कम एक अध्यापिका तो लगनी चाहिए। बिना अध्यापिका के स्कूल रहे यह स्थिति तो सन्तोषजनक नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बराबर आदेश दिये गये हैं, और सतर्कता बरती जा रही है कि प्रत्येक स्कूल में अध्यापक रहे। एक अध्यापक के स्कूल के लिए विशेष आदेश दिये गये हैं कि अगर अध्यापक छुट्टी पर जाय तो जहां पर ज्यादा अध्यापक हैं वहां से भेजा जाय। फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा कि उचित व्यवस्था की जायगी और जहां पर ढिलाई है वहां पर सतर्कता के साथ निगरानी रखी जायगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सतर्कता की क्या परिभाषा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशसिंह।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में अध्यापकों के कितने स्थान खाली हैं और उनकी पूर्ति के लिए क्या व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : जो आदेश का पालन नहीं करें आप उनको सस्पेण्ड कर दें, उनको हटा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तरीका है प्रश्न पूछने का ? माननीय मंत्री महोदय का जो उत्तर आया है वह मानवीय दृष्टिकोण से वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, मैं समझता हूं, पर्याप्त है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया था कि मंत्री महोदय जवाब देंगे। उन्होंने एक चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया।

श्री हरिसिंह : एक तरफ सरकार की मंशा और दूसरी तरफ स्कूलों में जगह खाली रहना, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, यह बहुत गलत बात है। सरकार कमिटेड है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया, आपकी खुद की दिक्कतें

(श्री माधो सिंह)

थीं। दिक्कत दूर करने के लिए कहता हूं कि पंचायत समिति व जिला परिषद् सलेक्शन कमीशन, एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापक अवेलेबल नहीं हैं व पंचायत समिति का प्रशासन-तीनों बातों को मद्‌नजर रखते हुए एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिससे अध्यापक की नियुक्ति नहीं हो पाती है और स्कूल बन्द रहते हैं। क्या मंत्रीजी इस तरह की जानकारी दे सकते हैं कि यदि एस. टी. सी. ट्रेन्ड अवेलेबल नहीं हो, और कमीशन की कोई मंजूरी नहीं आए तो भी जैसे पंचायत समितियों को पहले परमीशन थी वैसे ही 6 महीने अस्थाई रूप से किसी हायर सैकन्डरी या इन्टरमीजिएट को वे अपने स्कूल के अन्दर काम चलाऊ तौर पर लगा सकते हैं? क्या आप ऐसा करने का आश्वासन दे सकते हैं जिससे स्कूल खाली न रहे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का जो उत्तर है वह पर्याप्त है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मंत्रीजी उत्तर देना चाहते हैं...

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : मंत्री ने बताया है अप्रेल 1977 के बाद का और आप उससे पहले का कह रहे हैं। दोनों बातों में कहां तालमेल है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहूंगा, मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : 6 महीने की अस्थाई नियुक्ति का आपने पूछा है, वह अभी भी प्रावधान है...

(व्यवधान)

श्री रामकरणसिंह : इस समय प्रावधान नहीं है छः महीने वाला। जब तक एस. डी. ओ. स्वीकृति नहीं देता तब तक नहीं लगाते हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चे आवारागर्दी सीखते हैं और सरकार अध्यापक नहीं भेज सकती। मंत्रीजी जो कहते हैं कि पंचायत समितियों को 6 महीने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है, वह नहीं है। आप पता लगा लीजिए मेरे पास ऐसा जवाब आया है।-

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अगर है, तो आश्वासन दीजिए, समस्या हल हो जाएगी।

श्री रतनलाल वर्मा : इसका कारण यह है कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, पंचायत समितियों को छः महीने का...

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आप मंत्री नहीं है, हम मंत्री से सुनना चाहते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं प्रधान रहा हूं वर्षों तक 6 महीने का प्रावधान है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैं 16 साल तक रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यदि ऐसी व्यवस्था है तो आश्वासन दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बाला बाला इस तरह से सभी बोलने लग जायेंगे ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : बीच में जो बार बार हस्तक्षेप करते हैं उनको तो रोकें।

श्री अध्यक्ष : आप जैसे अनुभवी विधायक इस तरह की आपत्ति उठाते हैं?

अगला प्रश्न।

जिलों के पुनर्गठन की योजना

29. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिलों के पुनर्गठन की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन से नये जिले बनाये जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री): जी नहीं।

श्री जगदीशसिंह : क्या इस बारे में राजस्व विभाग ने कोई फाइल बनाकर मंत्रिमण्डल के सामने आज तक पेश नहीं की? क्या मंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि राजस्थान में कुछ जिलों के पुनर्गठन की बातचीत चल रही है और उसके लिए कमीशन मुकर्रर किया जा रहा है? क्या यह सही नहीं है कि इस बारे में राजस्व विभाग ने फाइल बनाई है जो इस समय मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह सही नहीं है कि राजस्व विभाग ने जिलों के पुनर्गठन के लिए कोई फाइल बनाई है। रहा सवाल मेरी तरफ से वक्तव्य देने का, यह सही नहीं है। मैंने कोई वक्तव्य किसी जगह नहीं दिया कि जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की थी कि जन आकांक्षाओं का आदर किया जाएगा। आज जगह जगह पर लोगों का आंदोलन है कि छोटे छोटे जिले सही तरीके से बनाये जायं। क्या इस आन्दोलन को देखते हुए लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने पर आप विचार करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस संबंध में चर्चा अनावश्यक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Sir, this is a very important question.

श्री अध्यक्ष : यह सरकार की नीति का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस नीति के बारे में मुख्य मंत्री व तत्कालीन राजस्व मंत्री ····

श्री अध्यक्ष : Go ahead firing. You can ask any question.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Yes Sir That is I am going to do so.

श्री अध्यक्ष : You are welcome. Go ahead.

श्री प्रद्युम्नसिंह : Let me ask, Sir.

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, यह तो आधे घण्टे की चर्चा हो गई। इस

(श्री माधोसिंह कछवाह)
तरह माननीय सदस्य भाषण देने लग जाते हैं तो आधे सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं। सदन की गरिमा क्या रह जाती है ? आपकी उदारता का नाजायज फायदा तो नहीं उठायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Only one question. Let me ask supplementary, Sir.

मैं पूछना चाहता हूं कि····

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, आसन का अपमान करने के कारण इनको बाहर निकाला जाय। कल भी हम बरदाश्त कर गए, इस तरह से हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देना होगा, तो देंगे, नहीं देना होगा, तो नहीं देंगे। संकेत करना सिद्धांतरूपेण मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्व मंत्री का एक वक्तव्य अखबारों में निकला जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि धौलपुर उप जिले को जिले का दर्जा दिया जाएगा। इस मांग को लेकर राजस्थान के विभिन्न भागों से जिला बनाने की मांग पैदा हुई। मुख्य मंत्रीजी से भी इस बारे में कितने ही डेलीगेशन्स मिले। हिंडौन का स्पेसिफिक मामला बताता हूं। मुख्य मंत्री ने कहा, यह संभव नहीं है। तो मैं मानूं कि तत्कालीन राजस्व मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था और मुख्य मंत्री ने जो बात कही थी, उसमें विरोधाभास है या सरकार इस प्रश्न को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है ? क्या मुख्य मंत्री सदन में घोषणा करेंगे कि राजस्थान में नए जिलों का निर्माण नहीं होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया···

श्री प्रद्युम्न सिंह : तत्कालीन राजस्व मंत्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने वक्तव्य दिया था कि यदि जिले बनाए जाएंगे, तो धौलपुर को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी सही है कि मेरे पास रिप्रेजेन्टेशन आए कि हमारे स्थान को जिला बनाया जाए। मैंने उस समय स्पष्ट जवाब दिया था कि इस समय जिला बनाने का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जिला बनाने के मामले को लेकर जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा आन्दोलन कर रखा है। उसका हम क्या करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा।

राजकोष खर्च पर नियंत्रण

30. **श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने दिसम्बर, 1977 में वित्तीय अनुशासन

(श्री मूलचन्द डागा)
के बाबत में राज्यपालों के सम्मेलन में क्या-क्या बातें कहीं थीं और उस विषय के अन्दर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आज तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(2) राजकीय खर्च पर नियंत्रण किस किस रूप में किया गया और किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने खर्च की कमी नयी सरकार बनने के बाद की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) माह दिसम्बर, 1977 में हुए राज्यपालों के सम्मेलन में हुई चर्चा का विवरण अभी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है अतः यह कह सकना सम्भव नहीं है कि वित्तीय अनुशासन के संबंध में क्या क्या बातें कहीं गई। अतः उक्त सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(2) राजकीय खर्च पर नियन्त्रण, नये पदों के सृजन पर कठोर नियन्त्रण एवं तीन माह से अधिक से रिक्त रहे पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध, सरकारी कार्य से यात्रा पर मात्र आवश्यक संख्या में ही कर्मचारियों का भेजा जाना, नये वाहनों की खरीद, स्टाफ कारों के उपयोग पर नियन्त्रण, कार्यालय व्यय में सजावटी साज सम्मान की खरीद पर रोक तथा अन्य व्यय पर कठोर नियन्त्रण, भवनों की बनावट में सादगी बरतने आदि के रूप में किया गया है।

इन सबसे इस वर्ष (77–78) में रुपये 522.16 लाख की बचत होने की सम्भावना है। इसमें वेतन मद में 229.61 लाख रुपये तथा अन्य आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय में 292 लाख 55 हजार रुपये की बचत होगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो इसमें कहीं जवाब ही नहीं आया। मैंने तो यह पूछा था कि राज्य सरकार के वित्त विभाग ने किन किन मदों में और कितने कितने रुपये की हर मद में कमी की है ? मैंने जो प्रश्न पूछा है वह नियमों के अन्तर्गत पूछा है। जो हमारे यहां बनाये हुए हैं उन नियमों के नियम 42 के आधार पर मैंने प्रश्न पूछा है। मेहरबानी करके मेरे क्वेश्चन का जवाब देने की कृपा करें। इसके अलावा मैंने यह भी कहा था कि मुझे लिखित में सूचना देने की कृपा करें, मुझे लिखित में सूचना नहीं दी गयी है। मैंने तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि अभी जो दिसम्बर में गवर्नर कांफ्रेंस हुई थी उसमें वित्तीय अनुशासन के बारे में क्या क्या बातें कही थीं और उस विषयक राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ? यह बात पूछी थी। मैं आपको एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ एक लाइन ही पढ़ कर सुनाता हूं:—

"No country can prosper if it has to carry on a burden of the army of unproductive parasites. Your predecessors talked of the end for such a drastic task in the expenditure but a lack of courage prevented them."

इसके अलावा जब बजट भाषण यहां पर जनता पार्टी का पहले हुआ था तब भी उस बजट भाषण में वित्त मन्त्री महोदय ने यह फर्माया था कि राज्य सरकार अनावश्यक खर्चे में कमी करने के लिये साहसिक कदम

(श्री मूलचन्द डागा)

उठायेगी। मेरा निवेदन है कि क्या साहसिक कदम राज्य सरकार के वित्त विभाग ने उठाये हैं ? वह कृपया मुझे बता दें। आपने तो सिर्फ कह दिया कि 'सम्भावना है'। श्रीमानजी, सम्भावना कहने से काम नहीं चलने वाला है, आप स्पष्ट रूप से बतावें। मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कि राज्य सरकार ने राजकीय खर्च पर नियन्त्रण किस किस रूप में किया और किस किस मद में कितने कितने खर्च में कमी की ? यह बतावें। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मन्त्री महोदय ने स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को डेफर कर दिया जाय और बाद में मुझे पूरा जवाब दिलाया जाय। इसके अलावा मुझे बड़े दुःख के साथ यह भी कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची भी इस प्रश्न की नहीं मिली। इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है कि राज्यपाल महोदय की कान्फ्रेंस में मन्त्री महोदय खुद मौजूद थे फिर भी आप यह कह रहे हैं कि हमें क्या मालूम इस बारे में। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। कृपया मेरे प्रश्न का सही उत्तर देने की कृपा करें।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने भली भांति जवाब दिया है। पिछले बजट में मैंने इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रशासनिक खर्चे में 5 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा व्यक्त की थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26-11-77 को एक परिपत्र जारी किया गया इसमें निम्न विषयों के बारे में कहा गया था :

नये पदों के सृजन पर कठोर नियन्त्रण एवं 3 माह से अधिक रिक्त रहे पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध। दूसरे, सरकारी कार्य से यात्रा पर मात्र आवश्यक संख्या में ही कर्मचारियों को भेजा जाय। तीसरे, नये वाहनों की खरीद और स्टाफ कारों के उपयोग पर कठोर नियन्त्रण। इसके अलावा कार्यालय व्यय में सजावटी साज सामान की खरीद पर रोक तथा अन्य व्यय पर कठोर नियन्त्रण। पांचवां, भवनों की बनावट में सादगी बरतने आदि के बारे में इससे राज्य सरकार को वर्ष 1977-78 में 5 करोड़ 22 लाख 16 हजार रुपये की बचत होगी। जहां तक सवाल सूची का है, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, न तो मुझे सूची मिली है और न ही जो मैंने प्रश्न पूछा था कि राज्य सरकार ने किन किन मदों में किस किस रूप में व कितने कितने खर्च में कमी की है, उसका जवाब मिला है। यह आप क्या जवाब दे रहे हैं ! कितना कितना कहां बताया आपने ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी के सदस्य मुझे टोक रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैंने तो मन्त्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछा है कि खर्च में कौन कौन से मद में कमी की गयी है।

श्री खेतसिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। अभी जो वित्त मन्त्री ने फर्माया कि राज्य सरकार मदों में कम खर्च करके पांच करोड़ रुपये की बचत

(श्री खेतसिंह राठौड़)

करेगी। अभी यह आपने प्रश्न के जवाब में भी फर्माया, आइटम नम्बर एक में नये पदों के सृजन पर कठोर नियन्त्रण और रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सचिवालय से एक परिपत्र जारी किया गया है कि किसी भी नये पद को नहीं भरा जाय। तो अभी राजस्थान सरकार ने नये स्कूल्स खोले थे और कुछ स्कूलों को अप ग्रेड किया था। उसके लिए कुछ टीचर्स लेने थे। लेकिन जब से यह सक्यूलर आपका गया है तब से इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स ने नयी भर्ती बिलकुल ही बन्द कर दी। इसका नतीजा यह हुआ है कि मिडिल स्कूल्स में टीचर्स पूरे नहीं हैं। कहीं कहीं तो दो दो टीचर ही हैं, कहीं कहीं पर प्राइमरी स्कूल्स में एक टीचर ही है। इसके लिये आपने भी फर्माया था, अध्यक्ष महोदय, स्कूल्स के टीचर्स नहीं होने के कारण बड़ी सोचनीय स्थिति है ...

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री ईश्वरचंद्र : अध्यक्ष महोदय, अभी जो डागा जी ने पढ़ा था उसमें यह कहा कि अनप्रोडक्टिव पेरासाइट हैं। आपने 19 महीनों तक इमर्जेन्सी में काम किये, तो क्या आप अनप्रोडक्टिव पेरासाइट्स की श्रेणी में नही आते ?

श्री मूलचन्द डागा : अरे माननीय सदस्य, कुछ अपनी बात कहना सीखो, दूसरों पर जीना मत सीखो। मैंने प्रश्न किया था उसका जवाब तो आने दो। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया कि किस किस मद में कितनी कितनी कमी की गयी ? यह बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह भी एक अनप्रिसिडेन्टेड प्रिसीडेन्ट ही था कि कांग्रेसी सरकारों ने आपातकाल में देश की वित्तीय स्थिति को खोखला कर दिया। उसके लिये यह क्या कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अरे हमने तो खोखला किया पर आपने तो उसे और खोखला कर दिया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, इसी परिपेक्ष में मेरा एक प्रश्न है। मन्त्री महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार एक तरफ तो यह घोषणा करती है कि वित्तीय खर्चों में कमी की जाय दूसरी ओर अपने सचिवालय के आफिसेज को गर्म-ठन्डा करने के लिये 50 लाख रुपये खर्च करके एक प्लान्ट लगा रहे हैं ? तो क्या यह अनावश्यक खर्च नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : अरे यही क्या आप तो कई नये बंगले अधिकारियों के लिये बना रहे हैं। अभी भी आप बेरी साहब के लिये नया बंगला बना रहे हैं, इसमें आप लाखों रुपये का खर्चा अनावश्यक रूप से कर रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने मन्त्री महोदय से पूछा था कि आपके सचिवालय को गर्म-ठन्डा रखने के लिए आज आप 50 लाख का प्लान्ट लगा रहे हैं ? उसके लिये पूछ रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो कह रहे हैं कि पांच करोड़ की बचत कर रहे हैं। सारांश यह है उसका that parasitical extravagance of the former regime will be drastically cut.

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। वह प्रश्न तो बिलकुल साफ प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : Whether he has reduced it or not? How much he has reduced, that is the point. आप कौन कौन से मद के खर्च में कमी कर रहे हैं और कितनी कितनी ?

श्री अध्यक्ष : अभी आपको बताया ना, किन-किन बातों में कमी की जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, न सूची है न प्रश्न का जवाब है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। क्या 50 लाख का प्लान्ट लगने से वित्तीय साधनों में बचत आयेगी ? यह जो आप सचिवालय को गर्म ठन्डा करने के लिये प्लान्ट लगा रहे हैं क्या यह अनावश्यक खर्चा नहीं है ? हुकम कांग्रेस का था और लागू आप कर रहे हो। उसको रोका जा सकता था। नम्बर दो, मेरा सवाल यह है कि हनुमानगढ़ में आपके एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से लाखों रुपया खर्च करके जो एरिया डवलपमेन्ट अधिकारी हैं प्राजेक्ट डाइरेक्टर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको प्रश्न पूछने दीजिए। उनको अधिकार है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको अजमेर भेजा जाये या आगरा भेजा जाये, कहीं भी भेजें। हर वक्त माननीय सदस्य न्यूसेन्स क्रियेट करते हैं। यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

तो दूसरी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि श्री चन्द्रमोहन माथुर, जो हमारे यहां प्राजेक्ट डाइरेक्टर हैं,ने लाखों रुपयों की बिल्डिंग हनुमानगढ़ में बनाई और जब दफ्तर खोलने का सवाल आया तो बीकानेर में खोल दिया। क्या यही बचत का आधार है और क्या यही आपके सक्यूलर का नतीजा है ?

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य डागा जी ने जो सवाल पूछा है वह अत्यन्त ही महत्व का है। जो इसकी सूची है 5 करोड़ 22 लाख की कटौती की यह सदन की मेज पर आनी चाहिए। इसी तरह से भूतपूर्व सरकार ने भी कई बार कटौती की घोषणायें की हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है कि कटौती की घोषणा के तीन महीने बाद ही उन्हीं पदों पर नये नये लोग लगा दिए गए। इसलिए पुरानी सरकार ने कितनी बार कटौती की घोषणा की और उसको उन्हीं ने अनडू किया यह सारा रिकार्ड भी, वित्त मंत्री जी को चाहिए सदन की मेज पर रखें। जनता सरकार ने कटौती की घोषणा 5 करोड़ 22 लाख की वह वास्तविक कटौती है, तो उन पदों पर दुबारा की लोग नहीं भरे जायेंगे और यह कटौती अनडू नहीं की जायेगी, इस बात का भी वित्त मंत्री जी आश्वासन दें।

Page No 14

(१५)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ठंडा गरम करने का प्लाण्ट लगाने की योजना रोकी जा सकती है।

श्री आदित्येन्द्र : 5 करोड़ 22 लाख की कटौती की सूची मेरे पास है। यह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, रूल्स आफ प्रोसीजर में प्रावधान है कि जब सूची मांगी जाये प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य द्वारा तो कुछ घण्टों पहले वह सूची उसे दे दी जाये।

श्री ईश्वरचन्द्र : अगर वह समझने वाला हो।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात बिल्कुल ठीक कही। तो दोनों बातें होनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह वित्त मंत्री के बारे में कहा है या माननीय सदस्य के बारे में कहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, सूची आपने सदन की मेज पर नहीं रखी है इसलिए इस सवाल को डेफर किया जाय। मैं सूची देखकर ही सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : This should be deferred.

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस पर कुछ कहना चाहें तो बजट सैशन में जो चाहें कहें। उस समय तक आपको सूची मिल जायेगी। बजट की डिबेट में जो भी आप कहना चाहें कहें। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया कि सेक्रेटेरियट में ठंडा करने का प्लान्ट लगाने की योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपया खर्च हो रहा है। यह सही है कि रुपया खर्च हो रहा है लेकिन मैं जानकारी दे चुका हूं कि जिस समय हमने चार्ज लिया उस समय तक, मेरे पास एग्जेक्ट आंकड़े नहीं हैं, 15–20 लाख रुपया खर्च हो चुका था। फिर हमारे सामने समस्या यह थी कि इस खर्च को बिल्कुल ऐसा न करें कि उसका कोई उपयोग नहीं हो, इसलिए हमने इस खर्चे को चालू रखा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जितना रोका जा सकता था उतना तो रोकते।

श्री मदनसिंह दांता : टिन शेड्स बना सकते थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं चेलेन्ज नहीं करता, मुख्य मंत्री जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं कहूंगा कि 20 लाख रुपया खर्च हो चुका था। जब आपकी सरकार ने चार्ज लिया, 30 अप्रेल को कांग्रेस सरकार भंग हुई, तो 30 अप्रेल तक कितना खर्चा हुआ? यह आंकड़े आप सदन की मेज पर रखें। आपके आफिसर्स ने आपको गलत सूचना दी है। हां, यह हो सकता है कि यह प्रपोजल रहे हों लेकिन यह इम्पलीमेन्ट आपके समय में हुआ है। मैं दावे के साथ कहूँगा कि आप बतायें कि 30 अप्रेल तक कितना खर्चा हुआ। यह सूची आप सदन की मेज पर रखें। जहां तक मेरी जानकारी है तब तक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था और जितना भी खर्चा हुआ है वह आपके जमाने में हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि 30 अप्रेल और 22 जून तक कितना खर्चा हुआ, आगे कितना होगा। यह जानकारी ऐसी है कि जिसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
छिपाया नहीं जा सकता। आपको पूरी जानकारी दी जायेगी।

आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हनुमानगढ़ के अन्दर भवनों के बनाने के बारे में कहा कि वहां बिल्डिंग बना दी गई और फिर दफ्तर बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया। इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। यह जानकारी मैं आपको भेज दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह भवन छोड़ कर जा रहे हैं। जब छोड़ कर ही जाना था, तो फिर भवन क्यों बनाये गये? क्यों बीकानेर भाग रहे हैं? क्या वजह है? एक अधिकारी की लड़की हायर सैकण्डरी पास थी और कालेज में एडमिशन का सवाल था इसलिए यह सारी गड़बड़ हुई।

श्री सुरेशकुमार। मैं निवेदन करूंगा...

श्री मूलचन्द डागा : Answers laid on the table—Lengthy answers to starred questions may be laid on the table.

श्री सुरेशकुमार : यह जो खर्चा लाखों का हो रहा है यह सवाई मानसिंह हास्पिटल में लगवा दें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : ....“May be laid on the table of the House without being read, but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being laid on the table.”

मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : I agree.

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए इसे क्वेश्चन को डेफर किया जाय। यह बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है। सदन के माननीय नेता महोदय ने कहा कि बजट के समय बात होगी तो मैं आज प्रश्न करने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

श्री मूलचंद डागा : बड़ी कृपा करी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री करतारसिंह।

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की योजना

31. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में काफी तादाद में मजदूर हैं जिन्हें कि वर्तमान में रोजगार उपलब्ध नहीं हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रूपनगढ़, अराई, हरमाड़ा, तिलोनिया आदि अच्छे कस्बे हैं तथा साथ ही इन कस्बों में पर्याप्त मात्रा में मजदूर उपलब्ध हैं एवं उद्योगों के लिए अन्य आवश्यक सुविधायें (जैसे यातायात के साधन, विद्युत, जल आदि) भी उपलब्ध हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इन कस्बों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार कब तक रखती है?

(3) क्या उपरोक्त कस्बों में राज्य सरकार कोई उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन कौन

(श्री करतार सिंह)
से उद्योग कहां कहां स्थापित किये जा सकते हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) इस बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है। देश में बेरोजगारी व्याप्त है और किशनगढ़ चुनाव क्षेत्र अपवाद नहीं है।

(2) जी हां, यदि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उपक्रमियों के आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार किया जा सकता है। इन क्षेत्रों से किसी भी उद्यमी ने उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र उद्योग विभाग या राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) अभी तक कोई योजना सामने नहीं है। परन्तु अगर कोई उद्योगपति चाहेंगे तो उन्हें स्थापित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी।

श्री करतार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड (3) के संबंध में यह निवेदन है कि क्या राज्य सरकार इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में साधनों के होते हुए और पर्याप्त मात्रा में रा-मैटीरियल के मिलते हुए भी राज्य की तरफ से कोई स्माल स्कैल इन्डस्ट्री खोलना चाहती है या नहीं ? यह पूछना चाहता था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, अगर कोई वायेबल यूनिट और फिजिबल यूनिट बतायेंगे तो उस पर तुरन्त राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किशनगढ़ में जो पावरलूम लगे हुए हैं, वहां प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की योजना है क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु आप इस प्रकार का सुझाव देंगे तो उसका स्वागत किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि पावरलूम की इन्डस्ट्री में इस समय ब्यावर और किशनगढ़ में भयंकर क्राइसेस आ रहा है, इस तरफ आपका ध्यान है या नहीं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इसकी अलग से जानकारी करके बता दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अलग से जानकारी क्या है। वहां पर क्राइसेस है और इण्डस्ट्री बन्द हो रही है। यह तो आपकी नालेज में होना चाहिए। आप उद्योग मंत्री हैं आप टालने का प्रयत्न नहीं करें। आपको मालूम होना चाहिए कि डिपार्टमेन्ट में क्या हो रहा है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप सत्य कह रहे हैं कि मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं आपको मालूम करके बता दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लगातार दो रोज से देख रहे हैं कि जो नये उद्योग मंत्रीजी हैं यह पढ़ाई के हिसाब से बहुत काबिल हैं, भाषण देने में भी काबिल है लेकिन जानकारी में कोरे हैं। इसलिए मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हर सवाल

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

को इस तरह से नहीं टाला जाये और फैक्ट्स सदन के सामने रखें। मंत्री महोदय अपने विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखें। हाउस में कोई सवाल आता तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन के लिए भी मंत्री महोदय तैयार होकर आये होंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पावर लूम कहां से आ गया ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अजमेर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के पश्चात् परबतसर तहसील और गुलाबपुरा में कितने उद्योग लगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष जी, इसके लिये अलग सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

अन्त्योदय योजना

32. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने अन्त्योदय योजना के बारे में कोई ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया है ? यदि हां, तो उक्त ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के विभिन्न जिलों में अन्त्योदय योजना की क्या प्रगति है ?

(3) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितनी राशि कर्ज एवं सब्सिडी के रूप में किन-किन कार्यों के लिए राज्य सरकार एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने गरीब लोगों को अब तक वितरित की गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में भी रूपरेखा तैयार की है कि ये उपरोक्त वर्णित गरीब व्यक्ति कितने वर्षों में गरीबी की रेखा को पार कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 33

श्री मदनसिंह दांता : आपका आदेश मानने योग्य है लेकिन कोई भी प्रश्न जब सदन में आ जाता है तो सदन की प्रापर्टी है।

श्री अध्यक्ष : सदन की प्रापर्टी है। माननीय प्रश्नकर्ता से पूछ लीजिये। सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करने से क्या लाभ ?

एक माननीय सदस्य : स्थगित कर दिया है या पूछना नहीं चाहते ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया है।

नैक्स्ट। श्री एच. एन. शर्मा !

ग्राम केसरपुरा से भैंसरोडगढ़ सड़क का कार्य

33. **श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के तहत ग्राम केसरपुरा (सिंघोली) से भैंसरोडगढ़ तक की सड़क को

Page No 18

(18)

(श्री एच. एन. शर्मा)
ब्लैक टाप बनाने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत बनी कमेटी जिला चित्तौड़गढ़ ने इस सड़क को पूरा करने हेतु अपनी सिफारिश भेजी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क को ब्लैक टाप करने की सिफारिश मय खर्चे एवं नक्शे के अधिशासी अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ तथा अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर ने मुख्य अभियन्ता एवं राज्य सरकार को प्रेषित की है ? अगर हां, तो किन कारणों से इस सड़क के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष इस सड़क को पूरा कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जय नारायण पूनिया) : (1) जी हां।

(2) जी हां। स्वीकृति नहीं है इस कारण विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता। इस वर्ष केवल वे सड़कें, जो 5000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ती हैं, ही स्वीकृत हैं। भैंसरोडगढ़ की आबादी 5000 से कम है, अतः यह सड़क स्वीकृत सड़कों की सूची में नहीं है।

(3) इस कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना में डामर कराने पर विचार किया जा सकता है।

श्री एच. एन. शर्मा : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सड़क इन्टर स्टेट लिंक रोड है और राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है ? यह गिट्टी रोड कब बनाई गई थी ? जहां तक पांच हजार की आबादी का प्रश्न है, पांच हजार का रूल इन्टर स्टेट मार्ग पर लागू नहीं होता है।

श्री जय नारायण पूनिया : इस प्रश्न में जैसा पूछा गया है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत बनी कमेटी जिला चित्तौड़गढ़ ने इस सड़क को पूरा करने हेतु अपनी सिफारिश भेजी या नहीं ? भेज तो दी मगर यह ग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं होने की वजह से इस प्रपोजल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस सड़क का महत्व क्या है ? अर्थाभाव में कौन सी सड़क ली जाये, कौन सी न ली जाये, यह सोचना पड़ेगा।

श्री एच. एन. शर्मा : अधिकारी वर्ग से जो रिपोर्ट प्राप्त हो गई उसी के आधार पर जवाब दे दिया। हुकम, इन्टर स्टेट सड़क है...

श्री श्योपत सिंह मकासर : 'हुकम' शब्द असेम्बली में प्रयोग नहीं होना चाहिये। हीनता का परिचायक है।

श्री मदनसिंह दांता: Hukam means Sir

श्री श्योपत सिंह मकासर : न हुकम न सर।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहूंगा कि पांच हजार की जनसंख्या का सवाल पैदा करके कहां कि सड़क स्वीकृत नहीं है। पांच हजार की जनसंख्या के आंकड़े पहले के हैं। आज रावत

(श्री एच. एन. शर्मा)
भाटा की आबादी 15 हजार और 20 हजार के बीच है। भैंसरोडगढ़ की आबादी 4 हजार के ऊपर है। इन्टर स्टेट मार्ग है। मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ती है। झालावाड़ को चित्तौड़, कोटा को चित्तौड़ से जोड़ती है, इसको प्राथमिकता से पूरा कराया जाना चाहिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : राजस्थान में कुल 33 हजार गांवों में से 165 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 हजार से 10 हजार के बीच है तो क्या केवल 165 गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे ? हजारों गांवों की सड़कों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अभी शुभारम्भ हुआ है। क्रमश: धीरे धीरे अभिवृद्धि हो जायेगी।

श्री शीशराम ओला : पहले दो हजार की आबादी वाले गांवों के लिए था। यह पांच हजार की आबादी वाले गांव का कब से हुआ ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है पांच हजार आबादी वाले गांव सड़क से जोड़े जायेंगे, तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करने को तैयार हैं कि जो इलाके बैकवर्ड हैं या ऐसे इलाके हैं जहां कोई आवागमन का साधन नहीं है, उनको सड़क से जोड़ा जाय ?

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, राजस्थान का दुर्भाग्य है। हरियाणा में 200 की आबादी वाले गांवों को जोड़ा है, यू.पी. में 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ा है। हमारे यहां पांच हजार की बात की जा रही है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य है।

श्री मूलचन्द डागा : दुर्भाग्य से आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, जन-हित में इस पर किस प्रकार से विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन !

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है·····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में सुझाव तो नहीं दिये जा सकते। प्रश्न पूछें, सप्लीमेंट्री पूछें। प्रश्न काल में इस तरह से चर्चा करना अनावश्यक है।

माननीय मंत्री महोदय ने बता दिया है सरकार की नीति क्या है। सरकार की नीति में परिवर्तन सरकार ही करेगी, तत्काल आज तो नहीं कर सकती। आप कट मोशन्स के जरिये इस विषय को उठायें, आप बजट पर सामान्य बहस पर उठायें, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान उठायें। अब सदन का समय न लें।

नेक्स्ट ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

ग्राम पंचायत सांचोर के सरपंच के विरुद्ध आरोपों की जांच

34. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : [श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) की अनुपस्थिति में] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, सांचोर के भूतपूर्व सरपंच श्री धर्माराम

(श्री सूरजपाल सिंह)
के खिलाफ अनेक अनियमितताओं एवं गबन के आरोप थे, जिनकी जांच की जा रही थी? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ कई साल बीतने पर भी अभी तक जांच पूरी नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अब उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी? जांच पूरी कराई जाकर उक्त भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कब तक करवा दी जायेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, रामीवाड़ा जिला जालौर के विरुद्ध भी कई गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं? अगर हां, तो उस बारे में अभी तक उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? अब कार्यवाही पूरी की जाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) जी हां, अभी तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) जी हां, पंचायत के लेखों के विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निर्माण कार्य संबंधी अनियमितताओं के मामलों का जांच-प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही, भूमि विक्रय संबंधी अनियमितताओं का जांच-प्रतिवेदन तहसीलदार सांचोर व अन्य आरोपों से संबंधित जांच प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी भीनमाल से अभी तक भी अपेक्षित हैं। जांच प्रकरणों में विलम्ब होने के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जांच प्रतिवेदन शीघ्र मंगाकर जांच परिणामों के आधार पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। श्री मूलसिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां को पंचायत कोष की राशि के दुरुपयोग व गबन करने, अनियमित तरीके से भूमि विक्रय करने व पंचायत का निरीक्षण नहीं कराने के आरोप में प्रारम्भिक जांच के आधार पर दिनांक 10–11–70 को निलम्बित किया गया था और उप जिला विकास अधिकारी जालोर को जांच प्रतिवेदन भेजने के आदेश दिये गये थे किन्तु श्री मूलसिंह के प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही उपरोक्त निलम्बन के आदेश को दिनांक 31–12–71 को निरस्त कर दिया गया था। अभी तक इस प्रकरण में नियमानुसार जांच पूर्ण नहीं होने के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जांच प्रतिवेदन शीघ्र मंगाकर जांच परिणाम के आधार पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही पूरी की जावेगी।

श्री सूरजपाल सिंह: सरपंच के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी भी उसकी स्वीकृति दी जाकर चालान क्यों नहीं किया गया?

श्री रतन लाल वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पंचायतों के अन्दर जो निर्माण कार्य हुआ था, उसके कारण सरपंचों पर मुकदमे लगे हुए हैं। आडिट पार्टी ने इसको गबन बताया है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव

(श्री रतनलाल वर्मा).

में गबन नहीं है। यह पैसा निर्माण कार्य में खर्च हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनको इससे प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

श्री सूरजपालसिंह : मेरा प्रश्न लालचन्द सरपंच के खिलाफ है।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा प्रश्न सारे राजस्थान के लिए है।

श्री सूरजपालसिंह : पंचायत समिति के कार्यालय में जाकर एक सरपंच ने अनधिकृत जमीन को घेर रखा है। उसका पट्टा बनवा कर भीनमाल तहसील में जाकर रजिस्ट्री करवा दी, क्या यह सही है ? क्या यह भी सही है कि स्कूल के लिए चन्दे की राशि एकत्रित कर उसका गबन किया है ? क्या यह भी सही है कि वहां पशु मेले के आयोजन के अन्दर पैसे का गोलमाल सरपंच ने किया ? क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मंत्रीनाथूरामजी मिर्धा से वहां के कोआपरेटिव के गोदाम की आधार शिला जिस भूमि पर रखवाई थी उस भूमि का अपने नाम से फर्जी पट्टा बनवा कर अब उसने मकान बना लिया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायक ने आरोप लगाये हैं वे आरोप प्राथमिक प्रतिवेदन में आये हैं। पत्रावली मेरे पास है। लेकिन हुआ यह था कि कि सरपंच को निलम्बित कर दिया गया था। 10 साल के बाद पंचायत राज्य मंत्री ने उसे निरस्त कर दिया। निरस्ती के आदेश इस प्रकार किये गये कि 7 साल तक यह कार्यवाही समाप्त हो गई। अब यह प्रश्न आया है। पत्रावली दबी हुई थी। अब पत्रावली मेरे पास आई है। मेरी जानकारी में यह बात लाई गई है तब से यह कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय और पूरी जानकारी हो जाने के बाद पुलिस स्तर पर कार्यवाही की जाय।

श्री सूरजपालसिंह : प्रश्न लालचन्द सरपंच का है।

एक माननीय सदस्य : गबन करने वालों को सजा दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरपंच सांचौर का स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री सूरजपालसिंह : कार्यवाही कब तक कर दी जायगी ? कोई निश्चित तारीख बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

प्रश्न लाल चन्द सरपंच का था और उत्तर दे दिया मंत्री महोदय ने मूलसिंह सरपंच का। मंत्री महोदय कितना गलत उत्तर दे रहे हैं।

Page No 22

(22)

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है।

(व्यवधान)

कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा आरोप लगाया जा रहा है····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह मूलसिंह भूतपूर्व सरपंच का दिया है जब कि प्रश्न लाल चन्द सरपंच का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर): अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से मूलसिंह का नाम भी साथ आ गया है। दोनों की ही जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इनको बोलने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने प्रश्न काल समाप्त होने की घोषणा कर दी। मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : There is no point of order, during question hour.

श्री प्रद्युम्न सिंह : You have already closed the question hour. आपने प्रश्न काल समाप्त होने की घोषणा कर दी, यह रिकार्ड पर है।

श्री अध्यक्ष : I stick to that. Then you sit down. Have one thing or the other.

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप मेरी बात तो सुन लीजिए···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी जनरोसिटी का अन-ड्यू एडवान्टेज लेते हैं। आखिर मैं इन्सान हूं। I am human अगर प्रश्न काल की समाप्ति की घोषणा की तो सिद्धान्ततः आपको प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am raising point of order. I am not asking supplementary question.

श्री अध्यक्ष : You are asking supplementary question.

श्री प्रद्युम्न सिंह : No Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोतर

हवाई अड्डे के लिये आरक्षित भूमि का मुआवजा

27. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम सालावास जिला जोधपुर के पुराने हवाई अड्डे हेतु आरक्षित भूमि के लिए गांव गुडन विश्नोईयान के कितने

(श्री रामसिंह विश्नोई)
काश्तकारों की कितनी–कितनी भूमि अवाप्त की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई उनमें से अधिकांश व्यक्तियों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है ? जिन लोगों को मुआवजा या भूमि का किराया देना बाकी है उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) जिन लोगों को मुआवजा देना बाकी है उनको राज्य सरकार कब तक मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सांलावास हवाई अड्डे के लिये निजी भूमि 44 काश्तकारों की 824 बीघा 9 बिस्वा अवाप्त की गई थी।

(2) जी नहीं।

सबको भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

(3) किसी खातेदार को मुआवजा देना बाकी नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्न के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने का अध्यक्ष महोदय का निदेश

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, आज प्रश्नोत्तर काल के दौरान कई दफा यह व्यवस्था दी कि मैं मंत्री महोदय को सप्लीमेन्ट्री का उत्तर देने के लिए कम्पेल नहीं कर सकता हूं। यह रिकार्ड पर मौजूद है। मैं नियमों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कौन सी नई बात कही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा है, अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड पर है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कौनसी नई बात कह दी। यह तो सर्वमान्य बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आसन ने इस प्रकार की विवशता जाहिर की तो सदन में काफी गलत परम्परा पड़ जायेगी। हम विरोधी पक्ष के लोगों की संख्या काफी कम है और इनका प्रचण्ड बहुमत है। इनको अगर इस तरह का संरक्षण मिल जायेगा तो, अध्यक्ष महोदय, अनर्थ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो ऐसा ही होता है कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। कभी मैं उधर बैठता था तो मजा भी आता था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम तो यह चाहते हैं आप इधर बिराज। आपके द्वारा संरक्षण ही होगा। आपने कहा, मैं मन्त्री महोदय को सप्लीमेंट्री प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम्पेल नहीं कर सकता हूं। यह, अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर है। मेरा निवेदन है कि एक प्रश्न एडमिट होने के बाद उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, सुन तो लीजिये। हमारी कुछ गुजारिश है, उसे भी आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं अब एक भी शब्द नहीं कहूंगा, आप कह लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आसन यह महसूस करता है कि यह सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन नियमों के विरुद्ध है···

श्री बजरंग लाल शर्मा : अब तो शर्म खायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है···

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सदन का समय बरबाद करने के लिये छूट नहीं दी जा सकती है। हम इसके लिये तैयार नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, मैं नियमों में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और नियमों के तहत बोल रहा हूं। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं···

श्री सुरेश कुमार : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक अच्छे वकील हैं, नियमों को आप पढ़िये। मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ दिलाना चाहता हूं··

श्री मदन सिंह दांता : नियमों में है सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को ताड़ना भी दे सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष पद की बात है। नियम 29 के अन्तर्गत प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में है, 'प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा की अनुज्ञा नहीं होगी।' आगे, श्रीमन्, अनुपूरक सूचना के सम्बन्ध में है। 'परन्तु अध्यक्ष कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा यदि उसकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हों,' तो, श्रीमान, यहां तक तो सही है। अगर आप यह महसूस करते हों कि यह क्वेश्चन इर्रेलेवेंट है, नियमों के विरुद्ध है, तो आप सप्लीमेंट्री डिसअलाउ कर सकते हैं। लेकिन अभी-अभी, श्रीमान, आसन की तरफ से यह व्यवस्था हुई कि मैं मंत्री महोदय को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। श्रीमान्, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मैं इस बारे में आसन से व्यवस्था चाहता हूं कि अगर आपकी तरफ से यह व्यवस्था नहीं हुई तो इन मंत्रियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। अभी राज्य सरकार द्वारा जो एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उसमें प्रश्न पूछा गया 'ए' के बारे में और उत्तर दिया गया है 'बी' के बारे में। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 44 के अन्तर्गत····

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था है कि नियम 39 है उसमें बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर है। स्पीकर चाहें तो मंत्री महोदय को वह बाध्य नहीं करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : रूल नम्बर 44 का सब रूल (3) है :

(श्री मूलचन्द डागा)

....The Speaker may at the request of any member direct that answer to it be given.'

आप महरबानी करके direct the Minister to give reply.

श्री अध्यक्ष : It is not mendatory.

श्री मूलचन्द डागा : No, the Speaker may.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर क्वेश्चन इर्रेलेवेंट हो तो मन्त्री महोदय को मजबूर नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते लेकिन जब स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो जवाब देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 44 का सब-रूल (3) यह है, श्रीमान, 'The Speaker may at the request of any member direct that answer to it be given'. So you can ask them, direct them to give answer. आपका हुकम नहीं मानें तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। इनको हाउस के बाहर निकाला जावे।

श्री अध्यक्ष : I don't think a Legislator like you should raise a frivolus question like this. It is totally unnecessary. I beg of you. I cannot compel.

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान, मैं निवेदन करूंगा कि इस कानूनी मुद्दे पर ....

श्री अध्यक्ष : डिस्क्रिशनरी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डिस्क्रिशनरी आप कहते हैं You can compel. आप अपनी विवशता जाहिर करते हैं जब कि आप विवश नहीं हैं, आप सक्षम हैं। आप सप्लीमेंट्री का जवाब देने के लिए विवश कर सकते हैं, आदेश देने के लिए सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर जब पर्याप्त होता है मेरी समझ में तब मैं उनको कम्पेल नहीं कर सकता कि वह बार-बार उठ कर उसी बात को दोहरायें।

श्री मदनसिंह दांता : यह उत्तर ठीक था क्या कि मूलसिंह के बारे में पूछा और लालचन्द के बारे में जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : अब मैं इण्टरवीन नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

No more discussion now. I have given you enough lattitude.

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में रंगीन चश्मे का उपयोग

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में कुछ लोग रंगीन चश्मा लगा कर आए हैं। अदालत में अगर रंगीन चश्मा लगाकर जाने से पूर्व न्यायाधीश की अनुमति नहीं ली जाय तो इसे अदालत की डिग्निटी के खिलाफ माना जाता है। यहां पर आज डाक्टर हरिसिंहजी रंगीन चश्मा लगाकर बैठे हैं..

श्री मदनसिंह दांता : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 269 बिल्कुल साफ हैं। आप भी रंगीन चश्मा लगा सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जिस समय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस दिन उनके ए.डी.सी. रंगीन चश्मा लगा कर सदन में आए थे। रंगीन चश्मा तभी लगाकर बैठ सकते हैं जब आंख दुख रही हो। यह पवित्र सदन है, यहां की कुछ ऊंची परम्पराएं हैं, डिग्निटी है। इस तरह से रंगीन चश्मा लगाकर बड़े आराम से आकर बैठे हैं यह सदन की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है।

श्री मदनसिंह दांता : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।'

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था के प्रश्नों से सम्बन्धित रूल 269 दिया हुआ है। व्यवस्था के प्रश्न से ताल्लुक रखने वाले कौन-कौन से विषय हो सकते हैं, यह रूल 269 में बिल्कुल साफ है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जब राज्यपाल महोदय का प्रोसेशन आया तो उनके ए.डी.सी. रंगीन चश्मा लगा कर चल रहे थे जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह सदन की गरिमा के प्रतिकूल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मेरी समझ में सदन की मर्यादा के विपरीत हरा चश्मा लगा कर बैठना नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ! स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री शंकरलाल : राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन और श्रीमती मदन कौर : बाडमेर जिले में ग्रामीण जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत जनता को पेयजल प्रदान नहीं किया जाना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : थीम डेम नियन्त्रण भाखड़ा बोर्ड को सुपुर्द करने पर पंजाब सरकार द्वारा आपत्ति।

श्री रामरघुनाथ, श्री खेतसिंह, श्री सूरज पाल सिंह, श्री रामेश्वर लाल चौधरी, श्री माधोसिंह : पश्चिमी राजस्थान में लिफ्ट सिंचाई योजना को स्थगित किया जाना।

श्री सुखलाल सेणचा : पीपलिया तहसील रायपुर, जिला पाली में कुछ कारखानों के मजदूरों का दमन।

ये सब स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे जा रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था·····

श्री अध्यक्ष : मुझे पढ़ लेने दीजिये, फिर आप खड़े होकर कहें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तहसील लूणकरणसर के 26 गांवों में सुरक्षा हेतु ली गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है।

मेरा निवेदन है कि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय दे दूंगा, आप बोल देना।

श्री मूलचन्द डागा : केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्री द्वारा कांग्रेस के तिरंगे झण्डे पर रोक लगाने के लिए प्रावधान बनाने की घोषणा।

यह भी केन्द्रीय सरकार का विषय है।

श्री मूलचन्द डागा। यह तो देशव्यापी विषय है, श्रीमान !

श्री मदन सिंह दांता : केन्द्र को कह देंगे।

श्री अध्यक्ष : मुझे पढ़ लेने दीजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक तहसील लूणकरणसर· · ·

श्री मूलचन्द डागा : आप पढ़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं सुरक्षा हेतु जो जमीन· · ·

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन पैरों पर है और आप बोले जा रहे हैं। आप तशरीफ रखिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप भी बोल रहे हैं। आपने बड़ा शोभनीय काम किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने तो आपको याद दिलाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा शांत रहिये। मेरी स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था सुन लीजिये। उसके बाद जो भी कहना हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत बढ़िया बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे सुन लीजिए, फिर सबकी बात मैं सुन लूंगा।

श्री रामकरण सिंह : कोटपूतली तहसील अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अकालग्रस्त हो गई है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के समय इस सम्बन्ध में चर्चा उठाई जा सकती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान ने जो व्यवस्था स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में दी है कि 26 गांवों में, जो तहसील लूणकरणसर के हैं, जमीनें सुरक्षा हेतु ली गई हैं लेकिन ग्रामीणों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है· · ·

श्री अध्यक्ष : यह श्योपतसिंहजी का स्थगन प्रस्ताव है· · ·

श्री माणकचन्द सुराणा : इस विषय पर आपने सदन में व्यवस्था दी है। यह अब चूंकि हाउस की प्रोपर्टी हो चुका है···

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा···

श्री माणकचन्द सुराणा : मुझे कहने से मना नहीं किया है I am seized of the

(श्री माणकचन्द सुराणा)
House. I have caught the eye of Hon'ble Speaker.

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या किसी स्थगन प्रस्ताव पर, जो किसी ग्रन्य सदस्य द्वारा रखा जावे··

श्री ग्रध्यक्ष : You are entitled to speak. I admit it.

श्री शंकरलाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे दो व्यवस्था के प्रश्न हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : दो व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं।

माननीय विधायक महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, यह राज्य सरकार से सम्बन्धित मामले के सम्बन्ध में है। हमारी सुरक्षा सेनाग्रों ने ग्रभ्यास के लिए लूणकरणसर तहसील के 26 गांवों की जमीन को छांटा है। लाखों की तादाद में वहां भेड़ें ग्रौर ग्राबादी है। ग्रभ्यास करते वक्त कितनी परेशानी होती है। खेतों में व्यवधान पड़ता है। चार पांच खलिहान जल चुके हैं। देश के हित में यह ग्रभ्यास की कार्यवाही ग्रावश्यक है। यह ग्रावश्यक है कि सुरक्षा सेनाएं ग्रभ्यास करें। केन्द्रीय सुरक्षा विभाग ग्रौर केन्द्रीय मंत्री इसको ग्रावश्यक समझते हैं। चांदमारी के लिए यह क्षेत्र ग्रावश्यक है तो ग्रभ्यास से पहले, वह फायर करें उससे पहले किसानों की परेशानियों के बारे में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रगर टेम्प्रेरी तौर पर सुरक्षा सेनाएं ग्रभ्यास या चांदमारी करती हैं तो उस पीरियड का उनको मुग्रावजा मिलना ग्रावश्यक है। एक साल से ग्रभ्यास हो रहा है। लूणकरणसर तहसील का इलाका पहले ही ग्रकाल से ग्रस्त रहा है। उसके बावजूद मुग्रावजा नहीं दिया जाता है। वहां पर जो चांदमारी होती है उससे कितनी ग्रावाज होती है। उसका धड़ाका कितना बेचैन कर देता है इसको वह लोग महसूस करते हैं। वहां के कई लोग ग्राकर मुख्य मंत्री से मिले हैं। कई ग्रौर व्यक्तियों ग्रौर ग्रधिकारियों से मिले हैं। लगातार एक साल से दिल्ली व जयपुर तक कोशिश की है। मगर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस प्रकार से सुरक्षा सेनाग्रों के प्रति उनकी भावनाएं क्या होंगी? यह हमारी राजस्थान की धरती पर प्रेक्टिस हो रही है। यह बात ठीक है कि मुग्रावजा केन्द्रीय सरकार देगी। उसने मना भी कब किया है? सवाल यह है कि उसके लिए कोशिश ही नहीं की है। सुना ही है। लालगढ़ ग्रौर भगवानसर गांव हैं। लालगढ़ के पास हजारों बीघा जमीन ग्रवाप्त कर ली गई है। डेपुटेशन पर डेपुटेशन मिले हैं। ग्राखिर वह कहां जायें? मुग्रावजा दिया जाता है, 600–800 रुपया। खेती करने की इजाजत नहीं है। उनके खेत ले लिये गये हैं तो उनके पशुग्रों के लिए चारे की व्यवस्था करें। मेरा निवेदन यह है कि ग्रगर सुरक्षा सेनाएं उस इलाके का एक्वीजीशन करना चाहती हैं तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उन गांवों के नागरिकों को मुग्रावजा दिलाया जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ग्रौर दूसरे मंत्री मौजूद हैं, उनके सामने ग्रापकी मार्फत दरख्वास्त पेश करना चाहता हूं। मैं यह ग्रनुभव करता हूं कि सामान्य स्थितियों में भी व्यक्ति को मुग्रावजा दिलाया जाता है। यह मिलिटरी की कार्य-

(श्री प्रयोपतसिंह मकासर)

चाही देश हित में जरूरी है फिर भी उन लोगों की परवाह नहीं की जाये तो यह अनुचित बात है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रयोग शाला सहायक संघ द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर 15 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। यह 30–1–1977 से संघर्ष चल रहा है। सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना। वह सरकार लोकतंत्र की बड़ी दुहाई देती है इसलिये इसको इन कर्मचारियों की मांगों के ऊपर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। यह पूरे राजस्थान में करीब 16 हैं। 1955 में यह पद सृजित किये गये थे। तब से आज तक 23 वर्ष हो गये हैं। अब तक उनकी पदोन्नतियों के कोई नियम नहीं हैं। कौन से सेवा नियम उन पर लागू होते हैं, यह भी तय नहीं है। 23 साल हो गये हैं। मुख्य मन्त्री महोदय कहेंगे कि यह तो पिछली सरकार की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्री तरीके से आपके सामने आये हैं। वास्तव में कार्य करने वाले लोग हैं। आप क्यों नहीं सुनें? इनकी पदोन्नति का कोई क्राइटेरिया नहीं है। केवल यह भूख हड़ताल करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगें बहुत वाजिब हैं। मेडिकल विभाग में टेक्निशियन को भत्ता दिया जाता है तो इनका काम जोखम का है। प्रयोगशाला में गैस से काम करते हैं इसलिये इनको भी भत्ता दिया जाना चाहिए। इनका जो वेतनमान है, उसको चतुर्थ श्रेणी का माना है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह बात ठीक नहीं हो सकती है कि इन की मांगों पर विचार नहीं किया जाय। यह लोग राजस्थान के थोड़े से कर्मचारियों में आते हैं। वह टीचर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन पर कौन से नियम लागू होंगे? इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने का सरकार के पास कोई कारण है तो वह सदन के सामने रखे। मैं समझता हूं कि इनकी मांगें उचित हैं। उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पश्चिमी राजस्थान में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में है, जो कि राज्य सरकार ने स्थगित की हैं। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों लिफ्ट योजनाओं का सर्वे कराया गया था। सारी बातें ध्यान में रखी गई थीं। एक्सपर्ट्स से ओपीनियन ली गई थी। यह माना गया था कि इन योजनाओं से पश्चिमी भू-भाग को पानी पहुंचेगा। इससे सीकर और झुन्झुनूं जिलों को भी फायदा होने वाला था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी तो है।

श्री खेतसिंह राठौड : इस योजना से··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी तो है। आपने सीकर और झुन्झुनूं का नाम लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड : आप आगे बढ़ाते तो निश्चित रूप से पानी ले सकते थे।

एक माननीय सदस्य : वह जयपुर भी आ सकता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या नागौर तक आने वाला है?

श्री खेतसिंह राठौड : नागौर शहर में नहीं आता है। आपने पढ़ा नहीं है।

(व्यवधान)

जोधपुर में पानी की योजना थी। बाड़मेर में खारा पानी है। उसकी योजना भी है। आप ध्यान से पढ़िये। आप इस योजना पर सोचते नहीं हैं इसीलिये राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरु प्रदेश की भावनाएं उठती हैं। इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं को आपने रद्द किया है। आप यह जानते हैं कि इन नहरों से इतना पानी आयेगा तो आपको इन योजनाओं को लेने में दिक्कत क्या आ रही है? आप जानते हैं कि नहर भी चली जायगी और योजनाएं भी बन सकती हैं। मेरा निवेदन है कि वहां का काश्तकार काश्त करके लाखों मन धान पैदा करेगा। नहर का काश्तकार उस स्थान पर जाने को तैयार नहीं है। जितनी भी नहरें बनी हैं वहां पर पंजाब और हरियाणा के काश्तकारों ने जमीनें दबा ली हैं और राजस्थान के काश्तकार को लाभ नहीं मिला है। आगे आप जहां पर नहर को ले जा रहे हैं वहां पर आबादी नहीं है। वहां पर पंजाब और हरियाणा के लोग आबाद होंगे और यहां के लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा खास तौर से निवेदन है कि लिफ्ट इरिगेशन के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। यह एक गम्भीर प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में स्पष्ट कर दूं। माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे। जो लिफ्ट इरिगेशन योजना है माननीय भूतपूर्व मंत्री महोदय ने उसको ध्यान से देखा नहीं है। अगर वे ध्यान से देखते तो उनको मालूम होता कि जिन क्षेत्रों में पानी जाने वाला है और जो योजना के अन्दर पानी जाने वाला है उसमें झुन्झुनूं और सीकर जिलों के नामों का उल्लेख नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उचित भी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)। खाचरियावास को ले लें तो सीकर और झुन्झुनूं दोनों ही शामिल हो जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सोचा है वह सही है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई हमने काम स्थगित कर दिया हो इस तरह की स्थिति नहीं है। उस पर हम विचार कर रहे हैं, और विचार करने की दृष्टि से ही मैं दिल्ली गया था तो प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री शिवरामन, जिस समय वे नेशनल कमीशन फार एग्रीकल्चर के सदस्य थे, ने इन सारी बातों की सिफारिश की थी, उनसे मैंने बात की थी। वह इस प्रश्न पर बात करने के लिए जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ प्लानिंग कमीशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं। उस वक्त सारे पहलुओं पर विचार करेंगे।

अब रहा मरु प्रदेश का सवाल तो जो पानी जैसलमेर जा रहा है वह खाचरिया-

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
वास जाने वाला नहीं हैं, उदयपुर डिवीजन जाने वाला नहीं है, जयपुर जाने वाला नहीं है। वह पश्चिमी राजस्थान में जाने वाला है। इसलिए मरु प्रदेश को इस बात से जोड़ा जाय मैं समझता हूं उसमें तर्क नहीं है।

एक माननीय सदस्य : टेक्निकल जानकारी करा लें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो कहा है उसके संबंध में मेरा यह निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव नहीं था

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उसमें मेरा भी नाम था। स्थगन प्रस्ताव मैंने ही रखा है।

श्री अध्यक्ष : आलराइट।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो लिफ्ट इरिगेशन योजना की सिफारिश करके भेजी है वह 200 फीट पानी लिफ्ट करने की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि नागौर को पानी नहीं मिलेगा, उसमें नागौर का नाम नहीं है लेकिन उस योजना में स्पष्ट है कि नागौर के उत्तरी हिस्से में पानी जायगा और उधर से जैसलमेर और बाड़मेर जायगा तथा इस योजना के अन्तर्गत पानी 200 फीट लिफ्ट किया जायगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग का यह स्पष्ट मत था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ दिन पूर्व हुई अपने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद में प्रेस कान्फ्रेन्स की थी उसमें बताया था, चूंकि यह योजना बहुत महंगी रहेगी और प्रत्येक एकड़ पर जितना खर्चा आयेगा उसको देखते हुए यह लाभान्वित नहीं रहेंगी, अतः इसको नहीं स्वीकारा जा सकता। इस योजना के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के बन जाने से लाभ सैकड़ों-हजारों वर्षों तक होगा उससे जो उत्पादन होगा उससे यह स्पष्ट होगा कि यह योजना कितनी लाभकारी होगी। पश्चिमी राजस्थान में हर साल अकाल पड़ता है और वहां के मवेशी कहां से कहां ले जाए जाते हैं। और तो और वहां पर पीने का पानी नहीं है। इसी बात पर आपने कहा था, आपने बताया था कि इस योजना से पीने के पानी की दिक्कत तो हल हो सकती है पर और अधिक लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान एक पशु प्रधान क्षेत्र है और वहां पर जब तब अकाल पड़ता रहता है तब वहां के मवेशियों को कहां से कहां ले जाना पड़ता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी को ध्यान होगा कि भेड़-पालक आपके पास आये थे जिन्होंने आपको बताया था कि हमारी भेड़ें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं जहां हर वर्ष अकाल में ले जाई जाती हैं तो आपने उन लोगों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में वहां के मुख्य मन्त्रियों के नाम एक सिफारिशी पत्र भी लिखा था कि हमारे यहां की भेड़ें आपके यहां गई हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। आप उनकी दिक्कत से वाकिफ हैं। जब हमारे यहां पानी की कमी होती है, जब चारे की कमी होती है तो हमारे पशु पालकों को दूसरे आस-पास के प्रदेशों में जाना पड़ता है और वहां पर उन्हें कितनी कठिनाई होती है, इसका अन्दाजा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लगाना कठिन है। इसलिए इस पर विचार करके गम्भीरता से सोचने की बात थी। आपने बताया था कि 470 रु. प्रति एकड़ के हिसाब से इस योजना पर खर्च आता है, अतः महंगी योजना है पर मैं इसे कतई महंगी नहीं समझता। आप अगर ट्यूब वेल से सिंचाई करते हैं तो 125 रु. प्रति बीघा के करीब बिजली खर्च आता है और इस हिसाब से 250,300 रु. प्रति एकड़ के हिसाब से बिजली खर्च देना पड़ता है मिनिमम चार्ज और एवरेज चार्ज के हिसाब से। जब कि 15, 20 हजार का इन्वेस्टमेंट तो पहले करना पड़ता है। 20 हजार की धनराशि पर ब्याज का हिसाब लगाइये कितना आता है। कुल मिलाकर इस पर जो खर्चा आता है आपकी लिफ्ट सिंचाई योजना से कहीं ज्यादा पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस योजना को पुनः सोचें और विचार करें पर स्थगित न करें। इस पर पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक व सामाजिक समृद्धि निर्भर करती है। अतः जिस तरह से इस योजना हेतु पिछली राजस्थान सरकार ने व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की थी उसके अनुसार ही कार्य करावें। यही मैं निवेदन कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह एलान किया था कि मैं भ्रष्टाचार की समाप्ति को और पीने के पानी की समस्या के हल को प्राथमिकता दूंगा तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या के हल के लिए जो बाड़मेर जिले में तैयारी हो रही है और जो जलप्रदाय योजना, ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं पहले से बनी हुई हैं और चल रही हैं उनकी बहुत ही बुरी स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्रीजी अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं उन्होंने इस महकमे को अपने पास ले रखा है। राज्य मंत्री जी का अधिकारियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। यह हो रहा है कि चीफ इन्जीनियर और एडिशनल चीफ इन्जीनियर लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई जिले के स्तर तक पहुँच गई है और महकमे के अन्दर बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है। वे उदासीनता की नीति अपना रहे हैं। जितनी भी ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं हैं उनकी स्थिति यह है कि कहीं कहीं तो दो दो महीनों में एक दफा पानी पहुंचता है, कहीं कहीं तीन–तीन महीनों में एक दफा पानी पहुंचता है, कहीं एक महीने में एक दफा पहुंचता है, कहीं 15 दिन में पहुंचता है तो कहीं पर एक हफ्ते में पहुंचता है। यही स्थिति है। अकाल की स्थिति है वहां फिर भी पानी की यह स्थिति है। मैंने एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से बात की, सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर से बात की, एडिशनल चीफ इन्जीनियर से बात की, चीफ इन्जीनियर से बात की लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं और बहुत बुरा स्थिति हो रही है। ग्रामीण जनता में इससे बड़ा असन्तोष है। वे हड़ताल की तैयारी में हैं। हमने इसको रोकने की कोशिश की है। मैंने उनसे कहा है कि इस बारे में मैं विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मैं आपको बतलाऊं कि इन केन्द्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है कई महीनों से–(1) शिवकर, (2) मगना की ढाणी (कुड़ला), (3) गाला बेरी शिकर, (4) रामसर कुआं (5) रावतसर। इनमें कहीं एक महीने में एक दफा पानी पहुंचता है, कहीं 2 महीने में एक दफा और कहीं तीन महीने में एक दफा। दूसरी स्कीम बताता हूं, उड़ू पनावड़ा। इसके बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र भी लिखा और उनका जवाब भी आया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा।

उस पत्र में आपने बताया कि उड़ू से पानी पहुंचा दिया है, लेकिन उड़ू से सिर्फ एक दफा पानी पहुंचा है। उसके बाद कभी भी पानी नहीं पहुंचा है।

चूली भादरेश, इसका पानी पहुंचता है कभी महीने में एक दफा, कभी 15 दिन में एक दफा। इस स्कीम के अन्दर जो गांव पड़ते हैं वह हैं गुडीसर, देरासर, तिरसीगढ़ी, तिरसीगढ़, घनोड़ा, बोला। वहां पर पानी नहीं पहुंचा है और सभी गांवों की इसी प्रकार की स्थिति है। आदेश देते हैं तो कभी कहते हैं कि ट्रक्स की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसे व्यवस्था करें। कभी यह कह देते हैं कि हमारे पास मेन्टीनेन्स का फण्ड नहीं है और मशीनरी खराब पड़ी है। कभी कहते हैं कि डीजल सेट्स खराब पड़े हैं। तो इस प्रकार से सब तरह की बात करके व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है लोक महत्व का है। इस विषय में चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स और अण्डर ग्राउण्ड वाटर वर्क्स को बुलाकर तत्काल हल निकाला जाय।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगी जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहे हैं। यह सही है कि जो पेयजल योजनायें पहले कई गांवों में चल रही थीं उनमें से कई गांवों को आज लम्बी-लम्बी अवधि तक पानी उपलब्ध नहीं होता। आज उन क्षेत्रों में अकाल है, वर्षा की कमी से टांकों में पानी इस साल आया ही नहीं। जो गांव क्षेत्रीय जल योजनाओं में सम्मिलित हैं वहां जिला प्रशासन तो पानी इसलिए नहीं उपलब्ध कराता कि वह क्षेत्रीय योजनाओं में हैं। अतः मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय जल योजनाओं की व्यवस्था सुधारें। इसमें विलम्ब होने की सम्भावना हो तो उन गांवों को ट्रक टैंकरों से पानी सप्लाई करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दें। मजदूरी के लिये लोग बाहर जाने को तैयार हैं लेकिन सशक्त लोग इसलिए बाहर नहीं जा सकते कि पीछे से उनके परिवारजनों के लिए पानी लाने वाला कोई नहीं। आपकी सरकार ने कोई अकाल राहत काम नहीं खोला। पानी की समस्या के कारण बाहर लोग मजदूरी करने जा नहीं सकते। अब तक केवल चार स्थानों पर पानी सप्लाई करने के आदेश दिये गये हैं।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे फलोदी क्षेत्र में भी पानी की बहुत कमी है।

Page No 34

(34)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका कौनसा स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री **बालकृष्ण थानवी** : नहीं मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जो सम्पूर्ण राजस्थान के हित में है । राजस्थान और पंजाब की वाटर प्रोब्लम के बारे में हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पूर्ण इन्ट्रेस्ट लेकर रोपड़, व्यास और हरी के पत्तन के विषय में इन्टर-स्टेट लेवल पर बातचीत की थी । थीन डेम के बाबत जो समझौता हुआ उसमें हमारे राज्य का 52 प्रतिशत हिस्सा है । प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में यह तय किया गया कि पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन्हें भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड को दे दिया जाय । पंजाब अपने मनमाने ढंग से और फर्जी तरीके से राजस्थान को पानी का हिस्सा नहीं देता, गंग कैनाल और भाखड़ा से जो पानी देना चाहिए वह कम देता है और जब मांग होती है उस समय नहीं देता है । ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर जो यह फैसला किया गया कि पंजाब इन तीनों रिवर हैड वर्क्स का कन्ट्रोल भाखड़ा मनेजमेंट बोर्ड को दे देगा । परन्तु दो महीने हो गये हैं मुख्य मंत्रीजी ने भी नहीं बताया कि उन्होंने कितनी सफलता प्रधान मन्त्रीजी से बातचीत में प्राप्त की । पंजाब सरकार ने कहा है कि किसी भी कीमत में इन तीनों हैड वर्क्स का कन्ट्रोल केन्द्र शासित बोर्ड को नहीं देगी और कई अकाली नेता इसके लिए भूख हड़ताल की भी तैयारी कर रहे हैं । वहां पर इस बात तक की धमकी दी गई है कि अगर भारत सरकार ने प्रेशर डालकर तीनों वाटर हैड वर्क्स का कन्ट्रोल अपने हाथ में ले लिया तो पंजाब भारत से अलग होने की हद तक मांग कर सकता है, ऐसे वहां के नेताओं ने बयान दिये हैं ।

श्री **मूलचन्द डागा** : श्रीमन्, मैंने भी इस पर एडजोर्नमेंट मोशन दिया है । मैंने परसों दिया था और आपने यह व्यवस्था दी थी कि सरकार की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है और आज दूसरा पेश हो रहा है ।

श्री **अध्यक्ष** : आप पांच मिनट के लिए बोलने दीजिये ।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं यह निवेदन कर दूं कि अगर इन तीनों हैड वर्क्स का कन्ट्रोल केन्द्र में चला जाएगा तो सारे उत्तर-पश्चिम राजस्थान को फायदा होगा और उससे जो हर बार मरु प्रदेश की मांग होती है वह भी नहीं होगी, क्योंकि गंग कैनाल भाखड़ा और राजस्थान नहर उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में ही बहती हैं और राजस्थान के एक हिस्से की मांग है, यह सारे राजस्थान के हित में है । पंजाब में इस तरह की तैयारी हो और यहां कोई भावना नहीं भड़कती । उससे यहां पर चार हजार आदमियों को काम मिल सकता है वह नहीं मिला क्योंकि राजस्थान ने इन्टर-स्टेट रिवर पर ध्यान नहीं दिया । अब जनता सरकार ने प्रधान मंत्री को बाध्य किया है कि राजस्थान का जो कानून सम्मत अधिकार है वह हमको दिया जाय । परन्तु पंजाब सरकार ने आन्दोलन का रुख अपनाया है उससे प्रधान मंत्रीजी प्रभावित हुए हैं । अखबारों में आया है कि प्रधान मंत्रीजी ने अटलबिहारी बाजपेयी, जो विदेश मंत्री हैं, को कहा है कि राजस्थान के मुख्य

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)
मंत्री को प्रभावित करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंजाब को नाजायज फायदा मिल जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। अटलजी का हम सम्मान करते हैं, वे विदेश मंत्री हैं लेकिन हो सकता है, मुख्य मंत्रीजी से कुछ पुराने सम्बन्ध हों। मुख्य मन्त्री जी को इस सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि प्रधान मन्त्री से वार्ता के दौरान जो आश्वासन दिये गये थे, क्या वे उसी पर मजबूती के साथ कायम हैं जिस मजबूती के साथ पंजाब ने विचार रखा है। मैं अपनी ओर से और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की जनता की ओर से विश्वास दिला सकता हूं कि पंजाब इन वाटर हैड्स को रखने के लिए कुर्बानी दे सकता है तो राजस्थान का एक एक नागरिक मुख्य मन्त्रीजी के पीछे आकर केन्द्र से निर्णय करवाने को तैयार है। मुख्य मन्त्री जी में तो कमजोरी नहीं है परन्तु क्या यह बात सही है कि···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पंजाब की ओर से इस प्रकार का रुख अपनाने पर भी सरकार की ओर से कोई टीका-टिप्पणी नहीं की गई? मैं समझता हूं कि यदि पंजाब सरकार को कोई जवाब नहीं दिया गया और शान्त रहे तो प्रधान मन्त्रीजी समझेंगे कि राजस्थान भी इस बात के लिए तैयार है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी पुरजोर शब्दों में राजस्थान की मांग को रखें कि पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट को मान्यता दी जाय। एक ही देश के दो राज्य हैं, जो हमारा हक है उसकी पूर्ति करने में क्या दिक्कतदारी है? कहीं पंजाब के रुख से प्रधान मन्त्री जी प्रभावित न हो जायं इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बारे में शीघ्र कदम उठाये जायें। जो नदियां पंजाब से निकलती हैं उन पर राजस्थान का भी हक है, उनका ही नहीं है। इसलिए मुख्य मन्त्रीजी अपने विचार बतलावें वरना हम समझेंगे कि जनता पार्टी और मुख्य मंत्रीजी को उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के विकास के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो कि होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक मैंने भी आपकी सेवा में···

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोलियेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो आधे मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

पहले मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा था और श्रीमान् ने कल यह निर्णय दिया था कि राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजा है और उसका उत्तर आने पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में।

श्री मूलचन्द डागा : इसी के बाबत में हैड वर्क्स के बारे में।

श्री अध्यक्ष : मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री मूलचन्द डागा : दिया है, गवर्नमेन्ट को भेजा है। कई बार हमारे स्थगन प्रस्ताव को सरकार के पास भेज देते हैं और सरकार के जवाब देने के बाद श्रीमान् निर्णय लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी आपके दल के श्री मथुरादास माथुर ने राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित किया। इस पर भी आप उस चीज को दोहराना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं हैड वर्क्स की बात कह रहा हूं। कल इस बाबत मैंने कहा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं ?

श्री अध्यक्ष : बता दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी माननीय डागा जी तीनों हैड वर्क्स के सम्बन्ध में बोल रहे थे और श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने इस प्रश्न को उठाया। सदन को याद होगा कि पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 के अनुसार ये तीनों हैड वर्क्स भांखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को ट्रांसफर किए जाने चाहिए। उस समय से लेकर 1977 तक ये हैड वर्क्स ट्रांसफर नहीं हुए। जिस समय थीन डेम के सम्बन्ध में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर के मुख्य मन्त्रियों के साथ प्रधानमन्त्री जी की वार्ता हो रही थी और इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, यह प्रश्न वहां उपस्थित हुआ उस समय भी मैंने कहा कि इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स में जब जब निर्णय होता है तो उसको लागू करवाया जाना चाहिए ताकि राज्यों में किसी तरह अविश्वास की भावना पैदा न हो और राज्य जागरूक होकर स्कीम्स को लागू कर सकें। उस प्रसंग में तीनों हैड वर्क्स का सवाल भी आया और प्रधान मन्त्री ने उस समय पंजाब के मुख्य मन्त्री से सारी स्थिति जानी और जानकारी करने के बाद मेरी जानकारी के अनुसार, उन्होंने मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि तीनों हैड वर्क्स भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को ट्रांसफर किए जाने चाहिए।

उसके बाद में माननीय गुप्ता ने कहा कि पंजाब में इस तरह के कई वक्तव्य निकले हैं। मैंने भी वे वक्तव्य देखे हैं और उसके बाद मैंने फिर प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा है। बाजपेयीजी का प्रश्न है; न तो मुझे बाजपेयी ने कहा न प्रधान मन्त्री ने कहा। कैसे यह बात समाचार पत्रों में आई, मैं नहीं कह सकता। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जिस जोश के साथ इस प्रश्न को अभी आपने उठाया है उस जोश के साथ इस प्रश्न का हल निकालने को मैं भी उतना ही आतुर हूं...

श्री श्योपत सिंह मकासर : बादल के साथ आपकी बातचीत हुई उसके बाद तय हुआ हैड वर्क्स खोलने के बारे में।

श्री भैरोंसिह शेखावत: जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उस समय भी मैंने उनसे आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी इनका कन्ट्रोल बी.एम.बी. को दे दें। मैं, डागाजी, आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों से आप लोक सभा सदस्य थे, वहां इस प्रश्न पर आपने चिन्ता क्यों नहीं व्यक्त की ? यदि ऐसा करते तो लोक सभा में वातावरण बनता और उसके कारण यदि हैड वर्क्स ट्रांसफर हो जाते तो राजस्थान का हित होता। आज आप यहां चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आपकी चिन्ता के प्रति सहानुभूति है। अच्छा होता यह चिन्ता पहले आपको होती...

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको लोक सभा की कार्यवाही दिखा सकता हूं। संसद में मैंने यह सवाल मजबूती के साथ उठाया था। कार्यवाही आपकी सेवा में पेश कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उठाया था लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

श्री मदनसिंह दांता : परिणाम तो आज भी नहीं निकला।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी सरकार द्वारा एक निर्णय लेने के बाद आज आप मौन क्यों हैं? जब उन्होंने आत्मदाह और आन्दोलन की धमकी दी तो हमारी सरकार सरदार से दब क्यों रही है? प्रधान मंत्री का निर्णय हुआ, आपने और आपके मन्त्रियों ने निर्णय लिया है। हम आपके साथ हैं। आप यह मत कहिए कि हम लोग तैयार नहीं हैं, सारा राजस्थान इस बात के लिए इच्छुक है कि भाखडा नांगल बोर्ड के नीचे इन हैड वर्क्स की व्यवस्था आ जाए। हम इस बात के लिए बार-बार कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने आते ही सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा था। आज भी कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए और इस पर चर्चा की जाए ताकि अखबारों में सब जगह प्रचार हो, राजस्थान का बच्चा-बच्चा, विधायक, किसान जागरूक है और इस बारे में पंजाब सरकार की गलत धमकियों से डरने वाला नहीं है। आपकी कहीं अपनी जनता पार्टी सरकार को बनाये रखने या सत्ता से चिपके रहने की नीति न हो और आप कहीं समझौते और संतुलन की नीति न अख्तियार करें। आप कहिए कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, आन्दोलन करूंगा, इस विषय पर आप अपना वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अफसोस है 11 वर्ष हो गये एक बात...

श्री मूलचन्द डागा : पुरानी बातें मत कहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 11 वर्ष हो गए, आपके किसी सदस्य ने आंख नहीं खोली, किसी ने भूख हड़ताल की चिन्ता नहीं की, मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, बरकत साहब थे, कभी किसी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया। जिस प्रश्न को राजस्थान सरकार इतने सालों तक भूल गई, राजस्थान के हितों की उपेक्षा की गई। उस प्रश्न को उठाकर मैं प्रयत्न कर रहा हूं। फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं। इस मामले में ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्रकार की उत्तेजना आज बता रहे हैं, अगर वह 11 वर्ष पहले बताते तो आज यह स्थिति क्यों पैदा होती? राजस्थान के हितों पर कुठाराघात क्यों होता?

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या संतोषजनक उत्तर है? आप हमारी गलतियां निकालते हैं। जो कदम आगे बढ़ गया है उसको और आगे बढ़ाइए। यह उत्तर थोड़े ही है। यह उत्तर मैं नेता महोदय से सुनना नहीं चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रश्न पर ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी शक्ति व क्षमता जो भी होगी उसके अनुसार

Page No 38

(३८)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रयत्न करूंगा कि हैड वर्क्स भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ट्रान्सफर हो जायं। संतुलन और समझौते की नीति और कुर्सी पर चिपके रहने की बात आप बार बार न दोहरायें तो अच्छा है। तीनों हैड वर्क्स ट्रांसफर हो जायें इस प्रश्न को हमने उठाया है। आपको एप्रीशियेट करना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम जरूर एप्रीशियेट करेंगे। डागा साहब तो नकली, बनावटी गुस्सा और हमदर्दी बता रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : नकली क्या होता है, असली क्या होता है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं एप्रीशियेट करूंगा। लेकिन दो सवाल हैं, एक तो हैड-वर्क्स का सवाल है। दूसरा, हमारा पानी पंजाब यूटीलाइज कर रहा है, 10 हजार क्यूसेक्स पानी या तो पाकिस्तान में जा रहा है या पंजाब यूटीलाइज कर रहा है। जब तक हैड वर्क्स का फैसला न हो जाय तब तक उस पानी को यूटीलाइज करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : दोनों जगह के काश्तकार एकसार हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सदन में वादविवाद हो, स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक दिन रखा जाय और हमें पूरा समय दिया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : जिस धरती को चीन दबा बैठा है, इसके लिए कम्युनिस्ट्स क्या कर रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जाओ लड़ो। कौन रोकता है। हकुमत ××× पास है, ले जाओ फोर्सेज।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ठाकुर साहब, आप यह कहना चाहते हैं कि हम तो पहले भी लड़े हैं और अपना सर कटाया है तो और लड़ो जाकर। हमें क्या कहते हो, जाओ और ले लो जमीन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि लड़ों तो हम तो पहले भी लड़े हैं और सर कटाए हैं भारतवर्ष के लिये। पर यह तो लड़ रहे हैं रूस और चीन के लिये। हम अपने देश के लिये लड़े हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अरे हमने कोई हिस्से नहीं करवाये हैं देश के।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। एक एक बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है उस

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री मूलचन्द डागा)

पर आप हाउस को एडजोर्न करके चाहे नियमों के नियम 157 के मातहत चर्चा करें या और किसी प्रकार चर्चा करें। इस विषय पर खुल कर चर्चा हाउस में होनी चाहिए। ताकि इसका जो भी हल निकले उसके अनुसार राज्य सरकार अपने विचार भारत सरकार को भेजे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अब क्या बात रह गयी? जो भी उत्तर देना था वह मैंने सदन में दे दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, पाली जिले में पीपलिया कलां गांव है वहां पर एक फैक्ट्री है उसमें केवल तार बनाये जाते हैं। उस फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते हैं। उस फैक्ट्री में काम करने से, ऐसा देखा गया है, वहां के मजदूरों को टी.बी. की बीमारी हो जाती है। इससे कई मजदूर मर जाते हैं और कई लोग इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मेडिकल फेसिलिटी की कोई व्यवस्था नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : आपने कौन सा स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री सुखलाल सेंणचा : अध्यक्ष महोदय, पीपलिया कलां की फैक्ट्री के मजदूरों के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। कई मजदूर बीमार हो गये हैं। उनके लिए कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि आप इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बिठायें और इसकी जांच करवायें कि वहां के मजदूरों की यह हालत क्यों है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ मेडिकल बोर्ड से ही काम नहीं चलेगा, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन राज्य सरकार से करना चाहूंगा कि अभी वहां पर पंचायतों के जब चुनाव हुए थे तो फैक्ट्री के मालिक सेठों ने उन मजदूरों का भयंकर रूप से पंचायतों के चुनाव में वोटों के लिए दुरुपयोग किया। वहां के हरिजनों को सेठों ने सत्तर हजार रुपये में खरीद लिया। इसके अलावा जो भी मजदूर और हरिजन फैक्ट्री में काम करते हैं उन पर सेठ लोग बहुत भारी जुल्म ढा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करवायें। हरिजनों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करावे। राज्य सरकार एक अधिकारी भेजे जो कि इन सारे जुल्मों की जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट करे।

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही बोल रहे हैं ना। अब समाप्त करें।

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ओन स्पोट इन्क्वायरी के आदेश दे दिये हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। अभी जैसा कि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर डिस्कशन के बीच में कहा उस पर आपने यह कहा कि यह राज्य

(श्री माणकचन्द सुराणा)

सरकार का विषय नहीं है, केन्द्र सरकार का विषय है। उसी तरह मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है कि हमारे लूणकरणसर और नोखा तथा उसके आसपास में फौजी लोग तोपाभ्यास करते हैं और वहां पर एक्सर्साइजेज करते हैं जिससे वहां के काश्तकारों को काफी नुकसान होता है। वैसे तो आपने यह फर्मा दिया है कि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है पर इन नुकसानों का जो मुआवजा है उसका क्या होगा ? कलेक्टर बीकानेर मुआवजा तय करता है और यह भारत सरकार का एक्ट बना हुआ है उसके तहत होता है। अध्यक्ष महोदय, करीब 27 गांव ऐसे हैं जो कि इन डिफेन्स के लोगों की एक्सर्साइज की चपेट में आते हैं। इन 27 गांवों के लोगों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी मुख्य मन्त्री महोदय से मिला था...

श्री अध्यक्ष : यह आपका ओवर लेपिंग विषय है। कृपया आप दो शब्दों में ही कहें।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई केस आज का नहीं है चार साल से उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इस प्रश्न पर राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, वहां पर काश्तकारों का लाखों मन अनाज अब भी पड़ा हुआ है। उन लोगों को नुकसान हो रहा है। कलेक्टर बीकानेर से 17 फरवरी को भी वह लोग मिले। मुख्य मन्त्री जी से भी मिले। उस प्रतिनिधि मण्डल को मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय से इस सम्बन्ध में बात हो रही है। तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय का तोपाभ्यास का काम है इससे हमारे राजस्थान का लाखों मन अनाज नष्ट हो रहा है। आप कृपया डिफेन्स मिनिस्ट्री को इसके बारे में लिखें और इस तोपाभ्यास को रोके जाने की कार्यवाही करने की कृपा करें तथा जिन लोगों को मुआवजा पिछले चार सालों से नहीं मिला है उनको मुआवजा भी दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले एक प्रतिनिधि मण्डल मेरे से सुराणा जी के साथ मिला था। मैंने सारी स्थिति को सुना फिर मैं सुराणा जी को लेकर सचिवालय गया और जो पुरानी पत्रावली थी इस बारे में उसको देखा। उसके बाद में यह पता लगा कि डिफेन्स मिनिस्ट्री से इसका हल होगा। तो डिफेन्स मिनिस्ट्री को पत्र लिखा। इसके साथ साथ मैं यही कह सकता हूं कि राज्य सरकार डिफेन्स मिनिस्ट्री से बातचीत करके हल निकालने के बाद जो भी उन लोगों के लिये कर सकेगी वह निश्चित रूप से करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल उठाया था उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह सवाल सिर्फ गंगानगर और लूनकरणसर या जैसलमेर की तहसील के ही बारे में नहीं है। आज डिफेन्स के लोग सुरक्षा के नाम पर वहां एक्सर्साइज करते हैं उससे फसलों का नुकसान होता है और उनका मुआवजा काश्तकारों को नहीं मिलता।

दूसरे यह जो भाखड़ा के हैड वर्क्स के बारे में और पानी के कन्ट्रोल का सवाल है...

श्री केदारनाथ : आप तो विराज जाओ, डागाजी। यह प्रश्न डिस्कस हो चुका है। अब अखबारों में नहीं आयेगा। रिपीट क्यों कर रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष, महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव का उत्तर नहीं आया है। आप मेरे प्रश्न को साइड ट्रेक मत कीजिये। मेरा प्रश्न है कि जो पानी दस हजार क्यूसेक है वह या तो पंजाब यूटीलाइज कर रहा है या पाकिस्तान में जा रहा है। आप उस दस हजार क्यूसेक पानी को राजस्थान को दिलाने के बारे में क्या कर रहे हैं ? इसके बारे में मुख्य मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, एक बात में आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। फौजियों की एक्सर्साइज से न केवल लूनकरणसर और गंगानगर का एरिया ही पीड़ित है बल्कि फलौदी और जैसलमेर के एरिया में भी पिछले तीन महीनों से बी. एस. एफ. के जवान एक्सर्साइजेज कर रहे हैं। उनकी इन एक्सर्साइजेज से हमारे यहां की सड़कें टूट गयी हैं। कारण यह है कि जब वह लोग एक्सर्साइजेज करते हैं तब टैंक्स भी चलते हैं। उनसे हमारी रोड्स को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। आज वहां की रोड्स की स्थिति बहुत खराब है। वैसे भी अपन देखें तो राजस्थान की सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। दूसरे जब भारी भरकम टैंक्स चलते हैं तो हमारे यहां पर सड़कों के टूटने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। हमारे यहां की रोड्स की हालत तो ऐसी है कि भारी लोड ट्रक भी ठीक तरह से नहीं चल पाते हैं तो फिर डिफेन्स के ट्रक्स और टैंक्स से क्या हालत होती होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप राज्य सरकार को कहें कि वह डिफेन्स मिनिस्ट्री से बात करके इन सड़कों के टूटने का मुआवजा ले, अभी वहां जब जनरल वोहरा आये थे तो मैंने उनसे जो खराबियां हो रही हैं उनके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार से कहें कि वह डिफेन्स मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करे। एक्ट में प्रावधान ऐसा है कि उसका मुआवजा मिल सकता है। इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर दूं, उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि यहां का जो एरिया है वह एक्सर्साइज करने के लिये काफी मुफीद है क्योंकि धरती में बड़े धोरे हैं, टीबे हैं जिससे अच्छी एक्सर्साइज जवानों की हो सकती है। यह तो हर साल चलती है और चलेगी। इसके लिए अगर कोई राज्य सरकार ने कारगर कदम नहीं उठाये और डिफेन्स मिनिस्ट्री से बात कर मुआवजा नहीं लिया तो हमारे यहां की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : डागाजी, आप अभी इतना जोर लगा रहे हैं। अच्छा होता पहले ही आप इस पर ज्यादा जोर लगाते।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप अकेले कितने एडजोर्नमेन्ट मोशन रोज देते हैं ? उनके कितने स्थगन प्रस्ताव हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही स्थगन प्रस्ताव दिया था और एक ही

(श्री मूलचन्द डागा)
पर बोल रहा हूं। नियमों के अन्तर्गत ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने थोड़ी ढील दे दी थी माननीय सदस्यों को चर्चा करने के लिये।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव है और उस पर बोल रहा हूं। कल भी मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था और एक आज दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक ही दिया था। एक ही एडजोर्नमेंट मोशन पर बोल रहा हूं। एक का ही कानून है, एक का ही नियम है। आपके नियमों के तहत ही बोल रहा हूं। एक आज दिया, एक कल दिया था।

श्री केदारनाथ : डागाजी, अब अखबारों में तो आयेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके या नहीं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, अगर आपके हाथों हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें कहां न्याय मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : क्या बोलते हैं ? आप लोक सभा के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। मैं तिरंगे झण्डे पर बोल रहा हूं जिसके कारण से हमने आजादी प्राप्त की···

श्री अध्यक्ष : यह आजादी का दुरुपयोग है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव, माननीय सदस्य, आज नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : आज है। यह बोला है आपने।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में है ?

श्री रामकरण सिंह : अकाल और ओलावृष्टि के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिए दो मिनट।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पांचवां स्थगन प्रस्ताव मेरा इसी मसले पर है। मैं एक वर्ष में पांचवीं दफा विधान सभा के प्रांगण में इस बात के लिए राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन कर चुका हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मंत्री महोदय, चाहे राहत मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो, इस बात के लिए सहानुभूति रखते हैं, आदेश भी देते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते यह बहुत ही अफसोस की बात है। आप या दूसरे मंत्रि-मण्डल के सदस्य जब दिल्ली जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोटपूतली के बस स्टेण्ड पर ही चारे के ढेर लगे हुए होते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि वहां पर चारे के अलावा और कोई दूसरा व्यापार नहीं है। चारे के लिए वहां पर ट्रकों के ट्रक लगे रहते हैं। यह स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि वहां से जब चारा इतनी मात्रा में निकल जायेगा तो वहां उसकी कमी रहेगी। आप

(श्री रामकरण सिंह)

दिल्ली गये होंगे पिछली बार बारिश के दिनों में तो देखा होगा कि नेशनल हाईवे पर 1½ फुट और दो दो फीट पानी चढ़ गया था। माननीय सम्पत राम जी जब राहत मंत्री थे तब उन्होंने वायरलेस से कहा था कि कुछ पम्प सेट से पानी निकाल दिया जाये। रामपुरा का गांव बिलकुल पानी में डूबा हुआ था। हम स्वीकार करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ किया और जो कुछ पैसा दे सकते थे वह उन्होंने दिया। लाखों रुपया हमें दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि वही समय फिर आ रहा है। वहां पर लोगों को काफी भय लग रहा है कि कहीं फिर वही स्थिति न बन जाये। जिसको बिजली मार जाती है वह चौंधे से भी डरता है। तो हम कांपते हैं कि उस समय की फसल सारी बरबाद हो गयी और आगे की जो फसल आ रही है वह भी बरबाद न हो जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका स्थाई हल करा दिया जाये। तीन चार जगह ऐसी ही हैं कि जहां कोई परमानेन्ट काम करवा दिये जायें तो इस बात से बचा जा सकता है। जैसे साबी नदी में नाला बन जाता है और सोते में बन जाता है तो जो दस-बीस गांव आसपास के हैं वह बच सकते हैं और सारा कोटपूतली क्षेत्र बाढ़ के चक्कर से बच सकता है। इसमें चन्द हजार रुपये ही खर्च होंगे। आप लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर दौरों पर जाते हैं, आज एस. पी. दौरों पर जाते हैं, दूसरे मलेरिया वाले भाग रहे हैं, इरिगेशन वाले भाग रहे हैं उनके लिए टी. ए., डी. ए. में आप खर्च सकते हैं। इसके लिए तो धन है लेकिन इसके स्थाई हल के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कितने हजार में यह व्यवस्था करा सकते हैं, यह बता दें?

श्री रामकरण सिंह : मैं कह सकता हूं कि नांगल गांव है वहां आज भी पानी खड़ा हुआ है, वाही जमीन डूबी हुई है और वहां पर जिले के अधिकारियों ने और नीचे के अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो योजना बताओ कि क्या करना है।

श्री रामकरण सिंह : इरिगेशन डिपार्टमेंट से सरकार के पास सुझाव आये हुए हैं और उनको पूरा करने के लिए जितना धन मांगा है उतना दे दें तो उसकी व्यवस्था हो सकती है और हमेशा का सिर दर्द है वह मिट सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका परमानेन्ट इलाज करें ताकि इससे राज्य को भी फायदा हो। इससे अधिकारियों को भी फायदा हो सकता है और आप और हमको भी फायदा हो सकता है। इस संबंध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र...

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव/कोल/75 दिनांक 30 जनवरी, 1978

(श्री केदार नाथ)

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4(8) राज/उप./76 दिनांक 31 जनवरी, 1978

प्रतिवेदन

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट टेनरीज लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1976–77 सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद।

श्री बजरंगलाल शर्मा !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न कल उठाया था उस समय आसन पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय थे। उन्होंने व्यवस्था देने के लिए आज के लिये फर्माया था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि जिन सदस्यों द्वारा संशोधन रखे गये हैं पहले उनको नियमानुसार बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपको माननीय सदस्य अवश्य समय दिया जायेगा। माननीय सदस्य को बाहर जाना है इसलिए मैंने प्राथमिकता दी है सुविधा के लिहाज से।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क,-जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मै बड़ी दुविधा में हूं और आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं। यह प्रस्ताव रखा गया है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए हम उनको धन्यवाद दें। अन्दाज कीजिए कि इतना बड़ा बंगला, नौकर-चाकर, ऐशो आराम-इन सारी चीजों के बावजूद वे साल में एक बार भाषण करें और हम उनको इसलिये धन्यवाद दें कि साल में उन्होंने एक बार तकलीफ की। क्या इसके लिए धन्यवाद दिया जाये कि उन्होंने छपा हुआ भाषण पढ़ दिया? या इस बात के लिए धन्यवाद दें कि जो भाषण पढ़ा उसमें कुछ मेरिट्स हैं उसमें ऐसी बातें हैं...

एक माननीय सदस्य : पार्लियामेंट्री सिस्टम है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह पार्लिया-मेंट्री सिस्टम आप बता रहे हैं।

इस भाषण में और इससे पहले भी जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिये उनमें परिवर्तन की बात बहुत जबरदस्त तरीके से कही गयी थी। अगर वही नीति है, वही रीति है, वही मन्तव्य और वही गन्तव्य है तो फिर कहां से परिवर्तन होगा? कौन सा परिवर्तन? जिन बातों के साथ जनता सरकार के सिद्धान्तों का मेल नहीं अगर उन नीतियों का हम अभी तक पालन करते रहे तो समग्र क्रांति, जिसके लिए श्री माणक चन्द जी सुराणा जोर शोर से कह रहे थे, कैसे आयेगी? मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महो-दय, हिन्दुस्तान गांधी जी की रहनुमाई में आजाद हुआ तब कहा गया कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं आपको बताऊं कि श्री आर. के. नारायण ने अपने एक नावल में लिखा है कि जो विक्टोरिया रोड थी उसका नाम कस्तूरबा रोड कर दिया गया और जो नगर बसाये उनका जवाहर नगर और गांधीनगर नाम रख दिया गया–क्या इसी से परिवर्तन आ गया? इसका नतीजा यह हुआ कि डाकिया चिट्ठी सही

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
जगह नहीं दे सका और तांगे वाले अपनी सवारियों को सही जगह नहीं पहुंचा सके। आज यहां पर जोशी जी की जगह भैरोंसिंह जी बैठ गये तो क्या कार्यक्रम में कोई परिवर्तन आयेगा? नहीं। इसलिये आप मार्गदर्शन दें कि ऐसी स्थिति में क्या हमको धन्यवाद देना ही पड़ेगा? प्रश्न इस बात का है कि राज्यपाल महोदय यहां पधारे और छपे हुए भाषण को बड़ी चेष्टा करके ध्यान से उन्होंने पढ़ कर हमको सुना दिया। क्या उसके लिये मैं धन्यवाद दूं? इसलिए जहां तक धन्यवाद का प्रश्न है मैं चन्द बातों की ओर इस सदन का और हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तिका के 72 पैराग्राफ में बहुत सी बातें कही गयीं लेकिन एक बात साफ और स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि 8 महीने में जनता सरकार ने जो कुछ काम किये वह सब आपके सामने हैं। लेकिन किसी पैराग्राफ में कामों का कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल महोदय यह कहते हैं कि 8 महीने में जनता सरकार ने जो किया है वह आपके सामने है, लेकिन वे स्वयं नहीं देख पाये हैं कि क्या किया है। कोरे प्रोग्राम हैं, सरकार यह निर्णय लेने जा रही है, सरकार की नीति यह बनने जा रही है, सरकार इस संबंध में योजना बनाने जा रही है, सरकार इस संबंध में केन्द्र से अपेक्षा रखती है, सरकार इस संबंध में यह आशा रखती है। किन्तु इस सारे दस्तावेज में, 72 पैराग्राफ के दस्तावेज में यह बताने की चेष्टा नहीं की है कि 22 जून, 1977 के बाद से जिस दिन यह अभिभाषण पढ़ा गया उस दिन तक जनता सरकार ने क्या काम किया। कितने किलो मीटर नई सड़कें बनाई? कितनी नई बसेज सड़कों पर चलाई? कितनी नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई? कितना पानी मुहैया करवाया? कितनी एग्रीकल्चरल लैण्ड और बांटी गई? इन सब प्रश्नों के ऊपर यह मौन है। इसलिये यह ऐसा दस्तावेज है, जो वेग दस्तावेज है। इसमें सिर्फ आश्वासन दिये हैं। इस दस्तावेज में यह नहीं रखा गया कि 22 जून, 77 के बाद जनता सरकार ने, बदली हुई स्थिति में कौन से क्रांतिकारी कदम उठाये। उसका उल्लेख इस दस्तावेज में नहीं किया गया। क्या इस वेग डाकूमेंट के लिये, इस थोथे डाकूमेंट के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करें? कन्फ्यूजिंग डाकूमेंट·····

श्री प्रद्युम्नसिंह : पढ़वाया गया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जैसा कि प्रद्युम्नसिंह ने कहा है कि पढ़वाया गया, राज्यपाल महोदय ने सरकार के बारे में बार बार कहा है कि उसने यह किया, उसने वह किया। मैं ऐसा नहीं मानता कि हमारी सरकार ऐसे दस्तावेज तैयार करती है जिसके लिये वह अपने को धन्यवाद दे। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इतने अच्छे वकील हैं, हमको मालूम नहीं था। अभिभाषण सरकार पढ़वाती है उसमें सरकार की नीति का जिक्र होता है। मुख्य मंत्री जी के लिये आप कुछ भी कहें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रद्युम्नसिंहजी, आपने आज तक कोई मुकदमा नहीं दिया। एक मुकदमा देकर देखें, वकील कैसा हूं।

Page No 46

(46)

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

इस 72 पैराग्राफ के डाकूमेंट में हर विषय को उठाया गया है लेकिन कहीं भीतर जाकर बताने की कोशिश नहीं की गई कि हमने यह किया। सारे प्रश्नों पर बोलना संभव नहीं, समय कम है और अभी थोड़ी देर में आप घंटी बजा देंगे, इसलिये मैं कुछ विषयों पर आपकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा।

पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि पिछली बार जब विधान सभा विसर्जित हुई 30 सितम्बर को, उसके बाद काफी कुछ घटनायें हुईं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि हमारे मंत्रि-मण्डल का विस्तार किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि जो केन्द्र में परम्परा है, जब स्टेट मिनिस्टर्स का अपाइन्टमेंट किया गया तो यह फक्र हासिल हुआ राजस्थान के श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को कि उनको सबसे पहले इन्ट्रोड्यूस किया गया हाउस में। यहां माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नये मन्त्रियों का परिचय नहीं कराया। खैर, यह उनकी अपनी मर्जी है....

एक माननीय सदस्य : विधान सभा की परिपाटी नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कानून में लिखा है क्या ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : इन्ट्रप्ट न करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कई तरह की बातें कही हैं। एक बात बड़े जोर-शोर से कही गई, गृह मन्त्रालय हरिजन मंत्री को दिया गया है। यह न्याय नहीं है ? क्या जगजीवनराम जी के पास रक्षा मंत्रालय इसलिये है कि वे हरिजन हैं ? आपको मालूम है, बंगला देश में युद्ध हुआ उस वक्त रक्षा मंत्री जगजीवनरामजी थे। उस जीत का श्रेय है तो उनको है। योग्यता के आधार पर उनको मंत्रालय दिया गया है। सम्पतरामजी को गृह मंत्रालय इसलिये नहीं दिया गया कि वे हरिजन हैं, सम्पतरामजी योग्य व्यक्ति हैं, तजुर्बेकार हैं..

एक माननीय सदस्य : और पहले वाले ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं नहीं कह रहा हूं पहले वाले। आप थोड़ा धीरज रखकर सुनें।

जनता सरकार ने पिछले 8 महीनों में दो व्यक्तियों को गृह मंत्रालय दिया है लेकिन यह तथ्य है कि पिछले 8 महीनों में बावजूद हड़तालों के, प्रदर्शनों के चाहे कच्ची बस्तियों के लोगों का प्रदर्शन हो या श्रमिकों का, जनता सरकार ने फोर्स काम में नहीं लिया है। इतना बड़ा सर्टिफिकेट किसी गृह मंत्री को नहीं मिला होगा। जहां तक पहले गृह मंत्री का प्रश्न है, वे लाजवाब हैं। हां, यह कहने की ही बात है कि चोरियां बहुत हुईं और हो रही हैं। गिरधारीलालजी भार्गव जो कपड़े पहने हुए थे उनके अलावा सब चोरी हो गया। थानेदार की यूनिफार्म चोरी हो गई। चोर चोरियों का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कक्ष में चोरी करने की कोशिश की। कहने का मतलब यह कि यहां तक चोर पहुंच गये हैं। माननीय नये गृह मंत्री खूबसूरत हैं, कहीं चोर किडनेप न कर ले जायें। आपके गृहमंत्री मथुरादासजी ने बहुत काम किया, उनको पुरस्कार मिला जब आबू में रेस्ट कर रहे थे, रेडियो पर सुना, उनसे

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

गृह मंत्रालय ले लिया गया है। नये मंत्री को सजग रहना चाहिये। यह गृह मंत्रालय जो दिया गया, उसके साथ एक बात की गई कि ए. सी. डी. नहीं दिया। श्रीमती गांधी ने भी जब गृह मंत्रालय चोहान साहब को दिया था तो सी.बी.आई. अपने पास रखा था। बड़ी चर्चा है लोगों में कि ए. सी. डी. सम्पतराम जी को क्यों नहीं दिया। इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक पैराग्राम की तरफ जो इस ए. सी. डी. से ताल्लुक रखता है, यह पैराग्राफ है 65। "भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत विशेष जांच तथा विशेष गुप्तचर इकाइयों की स्थापना की गई है।" इसको शायद समझ पायेंगे या नहीं, माननीय सदस्य। जिस समय मिसेस गांधी ने सी. बी. आई. डिपार्टमेंट अपने पास रखा तो कुछ विशेष सेल कायम किये गये थे। उसके जरिये जो कुछ काम किये गये उनके बारे में सारा हिन्दुस्तान जानता है कि सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। हमारे मुख्य मंत्री ऐसी गलती करने वाले नहीं हैं। यह इसलिये किया गया था, जनता में विश्वास बना रहे और ऐसा प्रतीत न हो कि इन्दिरा इन्स्टीट्यूशन्स की राइवल हो रही है। यहां भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की विशेष गुप्तचर इकाइयां क्या करेंगी, हमको इसमें कोई डर नहीं है।

इसके साथ साथ आप एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे जो पैराग्राफ नं. 68 है तो उसमें कहा गया है कि "प्रशासन में सुधार लाने तथा उसको जनकल्याण की ओर प्रेरित करने के लिये राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राजस्व अभियान में प्रशासन द्वारा ग्रामीण जनता की समस्याओं को निपटाने की उपलब्धि का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। नीति निर्धारण एवं समन्वय हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विभागों के कार्यों की समीक्षा करने हेतु मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समन्वय बैठकों के आयोजन की नई व्यवस्था लागू की गई है। क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार ने मंत्रिमण्डल की बैठकें विभिन्न क्षेत्रों में करने का भी निर्णय लिया है।" तो आज स्थिति यह है कि सब काम का समन्वय हर नीति का निर्धारण मुख्य मंत्री कार्यालय में होता है। सारी नीति निर्धारण का मामला मुख्य मंत्री के कार्यालय में होता है।

जब आयोगों की कार्यवाही पढ़ते हैं तब शाह आयोग की कार्यवाही में धवन का विशेष उल्लेख आता है। उसी प्रकार मुख्य मंत्री कार्यालय में छोटा मुख्य मंत्री स्थापित है, उसकी ओर विशेष ध्यान जाता है। वह छोटा मुख्य मंत्री कौन है? शायद आप सब जानते होंगे....

एक माननीय सदस्य : हमें नहीं मालूम।

श्री बजरंग लाल शर्मा : इतना तो आप कम समझने वाले नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं मालूम।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वाकई? यह छोटा मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय का सचिव श्री मीठालाल है। आज हालत यह है कि चीफ सेक्रेटरी को भी उनके चैम्बर में जाकर बैठना पड़ता है, वे उनके चैम्बर में नहीं जाते है। इसलिये जो प्रशासनिक सुधार की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मेरा निवे-

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

दन है कि इस प्रकार से निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार नहीं हो सकता है। आज आप सेक्रेटेरियट में जाकर आई.ए.एस. से बात करेंगे तो आपको दो क्लास नजर आयेंगी जैसे चतुर्वेदी साहब मीठे हैं या खारे हैं और अगर मीठे हैं तो हर आदमी को जान पड़ता है कि ये मीठे आई.ए. एस. हैं और श्रीमान मीठालाल जी के कृपा पात्र हैं। तो ये छोटे मुख्य मंत्री जी जो चाहते हैं वह होता है, बाकी मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, वह नहीं होता है। यह स्थिति पदा हो गई है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्वस्थ स्थिति नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, वह नहीं होता, ऐसे एक-दो विवरण दे सकते हैं क्या ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय मुख्यमंत्री जी इजाजत दें तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : एक तरफ तो आपने पावरफुल बता दिया और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि यह चाहते हैं वह नहीं होता है, यह क्या है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह काम्प्लीकेटेड है। साधारण तरीके से समझ में आ जाय तब तो कुछ नहीं है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी, हमने पहले ही आप से हाथ जोड़े थे कि इनको मंत्री बना दो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये प्रद्युम्नसिंह जी किस बात से परेशान हैं। अगर गलत लग रहा हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुख्यमंत्री जी की चिलम भरी है।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : मुख्यमंत्री जी

(व्यवधान)

नहीं देते हैं। इसलिए ऐसा कहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हालत यहां तक पहुंच गई है कि राज्य सरकार का सेक्रेटेरियट, जिसका हैड चीफ सेक्रेटरी है, के आज सारे आफिसर्स और दूसरे सारे लोग श्री मीठा लाल जी के प्रशंसक बन चुके हैं। उनके कृपा पात्र रहें तब तो ठीक है, अन्यथा किसी की कोई चलती नहीं है। श्री अरुण कुमार को स्पेशल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट आफ पर्सनल में लगा रखा है जो उनके कृपापात्र हैं। इसी तरह श्री नरपत सिंह है जिनको डिप्टी सेक्रेटरी बनाया है जो उनके साथ चलते हैं। उनको ए.सी.डी. भी दे रखा है ताकि हर कर्मचारी की फाइल मंगवा सकें जिससे वह आतंकित रहें। इस तरह की स्थिति पैदा की जा सके कि कहीं कोई कर्मचारी या अधिकारी अपने विवेक से काम करना चाहे तो नहीं कर सके। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर अधिकारी या कर्मचारी अपने विवेक से नहीं चलेगा तो जयप्रकाश जी के बताये मार्ग पर नहीं चल सकेगा। वह उसी मार्ग पर चलेगा, जैसा छोटा मुख्य मंत्री उसको चलाता है वैसा ही उसको चलना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सारी व्यवस्था के बारे में सदन को बहुत गहराई से विचार करना चाहिये

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

सिर्फ यही नहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हालत इस तरह चल रही है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्रेटेरियट का निर्माण हो। कर विभाग, कार्माशयल टैक्सेशन विभाग का एडीशनल सेक्रेटरा बनाया है। उसमें इस तरह का अमेन्डमेंट हुआ है ताकि उसको अपने प्राइवेट सेक्रेटेरियट में लिया जा सके। जनता सरकार ने घोषणा की थी कि हम एक्सटेन्शन नहीं करेंगे और उसके बाद एक व्यक्ति को एक्सटेन्शन दे दिया। तो मेरा निवेदन यह है कि यह सारा सेक्रेटेरियट जो एक कम्प्लीट बाडी के रूप में है उस सेक्रेटेरियट का छोटे मुख्य मंत्री के माध्यम से ही सारा कन्ट्रोल होता है। जैसा छोटा मुख्य मंत्री चाहे, वैसा हो जाता है और दूसरे आफिसर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करके ही जिन्दा रह सकते हैं। मैं निवेदन करूं, हालत यहां तक पहुंच गई है और हमारे ध्योपत सिंह जी ने तो केवल एयर कन्डीशन को ही देखा है, उन जेल के सींखचों को नहीं देखा जो मुख्य मंत्री जी के कक्ष के बाहर लगे हुए हैं। पहले कांग्रेस सरकार ने जेल के सींखचों में रखा था लेकिन आज स्वयं ने रखा है। पहले जनता सरकार के मंत्रियों से खुले आम मिलते थे लेकिन आज मुख्य मंत्री जी के कक्ष के दोनों ओर सींखचे लगे हुये हैं। इस स्थिति को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए। आप विचार करिये। मैंने पहले सत्र में भी निवेदन किया था। दूसरा सत्र हुआ तब मैंने निवेदन किया था, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको आई. ए. एस. के प्रति मोह है। बातचीत से मालूम हुआ कि मोह नहीं है लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि आई.ए. एस. जो चाहे करता रहे। मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि वे प्रोटेक्टेट हैं। श्री राजेन्द्र जैन के केस को केन्द्र में भेजा और वहां से रिजेक्ट हो गया। आप आई. ए. एस. के प्रति कार्यवाही करना चाहें तो केन्द्र से मदद नहीं मिल रही है।

जगदीश प्रसाद माथुर के बयान में कहा गया है कि मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार संसद सदस्यों को कान्फीडेन्स में नहीं लेती है। उनसे जिन-जिन बातों के बारे में विचार करना चाहिए, उनके बारे में कान्फीडेन्स में नहीं लेती है। उनका सहयोग नहीं लेती है। वे केन्द्र सरकार के सामने बात कर सकें, इनसिस्ट कर सकें, कोई बात कह कर मनवा सकें, आज उस प्रकार की स्थिति नहीं है। विधान सभा के सदस्यों को कान्फीडेन्स में नहीं लिया जाता है। उनका राज्य सरकार में केवल यह पार्टीसिपेशन रह गया कि तबादलों की बात करते रहें। अकेले मुख्य मंत्री अपने छोटे मुख्य मंत्री के साथ मिलकर सरकार चलायेंगे तो यह जनता के लिए निराशा की ही स्थिति होगी। इसके बाद केन्द्र से अपेक्षा रखेंगे तो केन्द्र से कुछ नहीं मिलेगा, यह शोचनीय स्थिति है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो शुरुआत की है मैंने, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत बोलने वाले हैं। आप संक्षेप में ही अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : तो यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार प्रशासन चलाया जा रहा है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है भ्रष्टाचार। पहले सत्र में, मान-

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

नीय सदस्यों को ध्यान होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि 62 से लेकर 77 तक जितने आरोप इस सदन के प्रांगण में लगाये गये हैं, उनके बारे में एक जांच कमेटी कान्स्टीट्यूट की जायगी। जुलाई से मार्च आ गया, आज तक वह कमेटी कांस्टीट्यूट नहीं हुई। उसके बाद दूसरी घोषणा हुई कि जिन जिन ने खाया है उनकी नाक से निकलवाया जाएगा। एक दिन वह भी था जब मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यदि पोलिटिकली हाइएस्ट इन्वाल्वमेंट है तो वह भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। आज तक उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किसी पोलिटिकल इन्वाल्वमेंट को नहीं छुआ गया, किसी आई.ए.एस. आफिसर को नहीं छुआ गया लेकिन एक क्लर्क को सस्पेंड करेंगे, ए.ई. एन. और जे.ई. एन. को सस्पेंड करेंगे, पटवारी और तहसीलदार को करेंगे। आज नीचे तबके का कर्मचारी क्या महसूस करेगा अगर हम ऊपर वालों को नहीं टच करेंगे। ऊपर वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी, राजनीतिज्ञों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी, राज्य का बड़ा कर्मचारी है, वह सुरक्षित है, वह प्रोटेक्टेड है सब प्रकार के भ्रष्टाचारों में। मैं यह नहीं कहता कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जैसी अपेक्षाएं की गई थीं भ्रष्टाचार-उन्मूलन की वह पूरी नहीं हुई। जिस तरह की घोषणायें की गई थीं कि भ्रष्टाचार शाहजहांपुर की सीमा से बाहर चला गया, भ्रष्टाचार के स्तम्भ ढह गए, भ्रष्टाचार के अड्डे खतम हो गए, भ्रष्टाचार राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा, वह सब घोषणायें धरी रह गईं। जिस तरह भ्रष्टाचार को मिटाने की घोषणायें की गईं थीं उनके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई, काम नहीं हुआ। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। फ्लड रिलीफ और फैमिन रिलीफ वर्क, इन सब की काफी चर्चायें हो चुकी हैं। अभी मैं गलियाकोट की बात आपके सामने रखता हूं। वहां पर एक रिंगवाल बनाई गई पौने दो करोड़ रुपयों की लागत से। इसका जो ठेका दिया गया वह इंजीनियर साहब के साले को दिया गया और उस ठेके में, यह कहा जाता है, जिस प्रकार की स्पेसिफिक मिट्टी काम में ली जानी चाहिए थी, जिससे वह वाल टिकाऊ बनती, वह मिट्टी काम में नहीं लेकर साधारण मिट्टी काम में ली गई है और 75 लाख रुपया, पौन करोड़ रुपया उसमें खाया गया है। इसके बारे में विभिन्न रिप्रेजेण्टेशन्स हमारी सरकार के पास आए लेकिन कोई कार्यवाही उस रुपये को निकलवाने के लिए नहीं की गई। उस इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। आज हालत यह है कि जहां जहां भी आप जायेंगे और अगर पता करेंगे तो पायेंगे कि करप्शन किस तरह बढ़ता जा रहा है। एक जगह से काटो तो हजार जगह बढ़ता है। एक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं और हजार भ्रष्टाचार पैदा होंगे। यह स्थिति है। भ्रष्टाचार की जड़ है, जब तक इस भ्रष्टाचार की जड़ों को नहीं काटोगे, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। आज तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई काम हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा यह बयान काफी हद तक सही है।

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

जहां तक दूसरे मुद्दों का प्रश्न है, यद्यपि सही मुद्दों पर बोलने की मुझे इजाजत नहीं है लेकिन एक बहुत आवश्यक मुद्दा है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। वह महत्वपूर्ण मुद्दा अन्त्योदय का है जिसके बारे में बहुत सी बातें कही गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्त्योदय जितने खूबसूरत शब्द की सर्वप्रथम कल्पना इमर्सन ने की थी और उसके बाद में थोरो ने अन्त्योदय का सपना देखा था। थोरो से चलकर यह रस्किन और गांधी तक आया। उस सपने के लिए गांधी तो चले गए लेकिन वह सीधा हमारे मुख्य मन्त्रीजी के पास आया। मैंने उस समय यह समझा था कि यह इतना खूबसूरत शब्द है, इतना सुन्दर कार्यक्रम है कि शायद इससे अब गरीबों को कुछ निजात मिल जाय। लेकिन इस अन्त्योदय के बारे में यहां पर जितने भाषण हुए उससे लगा कि अन्त्योदय के लिए सरकार बैंकों को गारण्टी देने को तैयार नहीं है। यह अन्त्योदय सरकार का कुछ नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा। आपने गरीब आदमी को पांच सौ, सात सौ की भैंस के लिए, बैल के लिए, बछिया के लिए कर्जा देने की बात तो कह दी लेकिन इसके लिए यह अन्त्योदय सरकार गारण्टी नहीं दे रही है लेकिन उसके विपरीत सेठ गणेश नारायण पोद्दार, जिसकी स्पीनिंग मिल है, के पास करोड़ों रुपया पहले ही रुका हुआ है, जो पैसा वापस लौट कर नहीं आया है, फिर भी उसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये की नई गारण्टी राज्य सरकार ने दी है। अन्त्योदय के सारे क्षेत्र में 25 लाख की कुल गारण्टी चाहिए उसको यह अन्त्योदय सरकार नहीं दे सकती लेकिन एक सेठ को डेढ़ करोड़ की गारण्टी देगी। ऐसे एक सेठ नहीं, अनेकों सेठ हैं। तब आप यह कैसे मानेंगे कि यह अन्त्योदय सरकार है या यह सेठों की सरकार है।

मैं आपको निवेदन करूं कि एफिसियेंसी का यह हाल है कि एक छोटा पंच, सरपंच या कोई कोआपरेटिव का आफिस बियरर, म्युनिसिपैलिटी का आफिस बियरर जरा सी नेग्लीजेन्स कर दे तो उस पर डिग्री करा देंगे, उसको डिसक्वालीफाई कर देंगे लेकिन जितने प्राइवेट कन्सर्न हैं जिनमें आई.ए.एस. आफिसर्स डायरेक्टर नोमीनेटेड हैं उनमें घाटा लगता है, उनमें सरकार की पूंजी डूबी है, गारण्टी का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। उनकी उसी तरह से तरक्की होती है। उन आई. ए. एस. आफिसर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। हमारी सरकार को यह देखने की फुरसत नहीं है कि गवर्नमेंट के इन्ट्रेस्ट को इन आई.ए.एस. आफिसर्स ने कितना वाच किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह एक ऐसी स्थिति है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल : एक मिनिट और, अध्यक्ष महोदय।

मैं खुद लम्बी चौड़ी बात नहीं रखना चाहता। एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। मैंने गलियाकोट की बात कही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर ऐसी डिस्टिक्ट्स हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। ये जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार पुरानी कांग्रेस सरकार ने किया

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

वह आपके सामने है। कडाणा डैम के बारे में गुजरात गवर्नमेंट से समझौता किया और उस डैम में अब पानी के कनेक्शन का काम शुरू होने वाला है मई में। आदिवासी लोगों के साथ सिर्फ गलियाकोट में ही नहीं सारे डूंगरपुर-बांसवाड़ा के क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार हो रहा है : मई में उन लोगों को वहां से उठ जाना पड़ेगा लेकिन उनके लिए आल्टरनेटिव साइट की कोई व्यवस्था नहीं है।

पिछली सरकार ने उनके रिसैटलमेन्ट के लिए कालोनी बनाई। उस कालोनी की यह हालत हुई कि एक बरसात में ही, बरसात के मौसम की, अतिवृष्टि की बरसात नहीं, सर्दी की बरसात में ही वह मकान ढह गए। उन मकानों में आदिवासियों को जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सात-सात हजार रुपयों में वे मकान दिये जा रहे हैं और मकान भी क्या, दो छोटी-छोटी कोठरियां हैं। जिसमें न वे रह सकते हैं, न अपने पशु रख सकते हैं, न सामान रख सकते हैं, न खुद रह सकते हैं। यही आदिवासी कांग्रेस का इस बात के लिए विरोध करते रहे। इस जनता सरकार के जमाने में भी उनके साथ वही बर्ताव करके उनको वहां जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां से 20 किलो मीटर दूर उनकी जमीन है। वे वहां जाकर क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे ? वे भूखों मरेंगे। आप अन्दाज लगाइये, कांग्रेस सरकार के पूंजीपति को तो तीन किलोमीटर की दूरी पर जमीन दें और आदिवासियों को बीस किलोमीटर की दूरी पर जमीन दें। आदिवासी रहने का स्थान चाहता है, जगह चाहता है, उस पर झोंपड़ी वह खुद बना लेगा। अनेकों बार रिप्रेजेन्टेशन किया लेकिन मौजूदा सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस सरकार के जमाने में उस जमीन का कम्पन्सेशन असेस किया गया तो चहेतों का तीस हजार रुपये तक असेस किया और आदिवासी का एक पैसा नहीं। जो लोग विरोध में थे उनके आलीशान मकान थे तो उनके मकान का कम्पेन्सेशन साठ हजार और यदि कांग्रेस समर्थक का साधारण मकान है तो उसका तीस हजार रुपया। इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। यदि आप इस सारी हालत को सुधारना चाहें, इस हालत को देखना चाहें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाकर वहां भेजिए और वहां की सारी स्थिति को एग्जामिन करवाइये। यह वहां की भयानक दर्द भरी दास्तान है जब कि मई के महीने में पानी आएगा और उनको वहां से उठना पड़ेगा तो न तो उनके आवास की व्यवस्था है, न उनके पास धन्धा है, न कोई काम है। हिन्दुस्तान में जब पाकिस्तान बना तो लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े इतिहास के कारण लेकिन आज वे घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पानी आ रहा है। उनकी जमीनें डूबेंगी लेकिन कम्पेन्सेशन नहीं मिल रहा है। मैं आपको बहुत नम्रतापूर्वक उस इलाके के आदिवासियों के लिए निवेदन करना चाहता हूं, यदि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासी और हरिजनों की सरकार है तो निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस सदन के पांच सदस्यों की कमेटी भेज कर सारे मामले को एग्जामिन करवा कर देख लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार और कितना अत्याचार है। वहां पर कितना करप्शन है। वे आदिवासी पहाड़ों पर दूर दूर एक एक झोंपड़ी बना कर

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

रहते हैं, न उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था है न काम धन्धे की। वहां जो ठेकेदार है वह रात को महुवा पिलाता है और उनकी स्त्रियों को ले जाता है। यह सब आज भी हो रहा है। मैं कहता हूं कि आप स्वयं वहां जाकर देखिए। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां जायेंगे तो यह स्थिति पायेंगे कि आज दिन भी यह हालत हो रही है। निश्चित रूप से वे यह हालत पायेंगे, लोगों की मजबूरी को देखेंगे तो निश्चित रूप से मेरी बात कड़वी नहीं लगेगी बल्कि वे इस बात को मानेंगे कि किसी आदमी ने आखिर सही बात तो बताई।

मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि हम आत्म निरीक्षण नहीं करें। कांग्रेस ने आत्म निरीक्षण नहीं किया उसका फल वह आज भुगत रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तेरह साल से पंचायती राज के चुनाव पिछली सरकार ने नहीं कराए थे वे इस सरकार ने कराये हैं। इस सरकार ने राजस्व अभियान चलाया है, यह अच्छी बात है। श्रम नीति और शिक्षा नीति अच्छी बनाई है। मेरा कहना है कि जो कैंसर का रोगी था वह मर गया लेकिन कैंसर मिट गया और मलेरिया हो गया तो क्या आप इसको अच्छा समझते हैं? वह मलेरिया भी क्यों रहे? मेरा निवेदन है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका हम आत्म निरीक्षण करें। मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि जब कभी उनको ठीक सलाह दी जाती है तो वे बहुत देर तक बोलते नहीं हैं यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लम्बे समय तक बोलते नहीं हैं। जैसे उनको जर्दे का पान नहीं खाने की सलाह दी गई हो। लेकिन आज वे जर्दे का पान खा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सलाह चाहे डाक्टर दे, साथी दे या अनुयायी दे, यदि सलाह ठीक है तो निश्चित तौर पर मानना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि भले ही कुछ बातें जो मैंने कही हैं वे कड़वी लगें लेकिन उन्हें आलोचनात्मक नहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात मान कर इन बातों पर ध्यान दीजिए।

इस अवसर पर मैं निवेदन करता हूं कि हमारे प्रशासन में सुधार किया जावें, ब्यूरोक्रेसी पर कण्ट्रोल किया जावे और सरकारी अधिकारियों के तौर तरीकों में सुधार किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर एक आखिरी बात, यदि आपकी इजाजत हो।

यहां पर उद्योगों के बारे में बातें कही गईं। इस बारे में मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक गरीब आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी और क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक खुशहाली नहीं होगी। यहां पर अभी एक बात आई थी कि इस सरकार ने कितने नए उद्योग स्थापित किए? अभी जो प्रश्न पूछा गया, उसका मैं भी उत्तर चाहूंगा कि यहां पर कितने उद्योग लगे? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सब को रोजगार दे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हर गरीब आदमी को धन्धा देकर आगे बढ़ाये ताकि

Page No 54

(54)

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
वह अपना पेट पालन कर सके । मैं इस पाइन्ट पर ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

मैं निवेदन करूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा कौन सा पाइन्ट है जिसके जरिये से आप नया रोजगार दे सकेंगे ? प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे ? हालत यह है कि जो विश्वकर्मा एस्टेट है, वह पूरा प्रेरोगेटिव है । सब्ज बाग दिखाना अलग बात है । लेकिन कितना कर सकेंगे, कितना प्रॉडक्शन बढ़ायेंगे जिससे कि लोग जीवन यापन कर सकें ? यह बहुत जरूरी है । जहां तक पंचायत राज और श्रम नीति की बात है, यह अलग बात है । अन्त में मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और पुरजोर तरीके से निवेदन करता हूं कि ये जो बातें कही गई हैं···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर भी धन्यवाद दे रहे हैं ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में कह रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : यह आपकी मजबूरी है ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अन्त में मैं पुनः···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धन्यवाद करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका मिला है । आप भी, अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों से सम्बन्धित हैं । इसलिये मैंने जो बांसवाड़ा की बात कही है, आप उस पर कार्यवाही करायेंगे सिंचाई मन्त्री जी से बात करेंगे । वह मई में पानी में डूब जाने वाले हैं । फिर मौका नहीं मिलेगा । इसका आश्वासन आप अभी दें ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए हमारे कई साथियों ने नाम दिया । 28 तारीख को नाम दिये हैं । मैंने भी दिया है ।

एक माननीय सदस्य : कल भी आप का नाम आया था ।

श्री नाथूराम : लास्ट में नाम आया है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आदिवासियों के साथ में ऐसा क्यों किया जाता है ? यह हमारा अधिकार है ।

श्री शंकरलाल : बोलने में भी पक्षपात है ।

श्री अध्यक्ष : समय दिया जायेगा, माननीय सदस्य । अभी तो टाइम है । डेढ़ दिन है । आपको समय दिया जाएगा ।

आपको भी समय दिया जायेगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे दल के साथ न्याय करें ।

श्री अध्यक्ष : जरा शान्ति से, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा जब नाम आता है लास्ट में नाम आता है । मैं निवेदन करता हूं कि मैं गवर्नर के अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहता हूं । मुझे मेरे क्षेत्र

(श्री नाथूराम)
का अनुभव है लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मथुरादास जी माथुर बोल लें फिर आपको मौका देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता सरकार को बने आठ महीने हो गये हैं यह राज्यपाल महोदय की जुबानी सुना और इस सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी ने चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, विचार प्रकट किये हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी अभी तकरीर की, मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने मेरा काम हलका कर दिया है। यह मैं मानता हूँ कि मुख्य मन्त्री के जो कर्त्तव्य हैं, वह कुछ सदन के अन्दर हैं और कुछ सदन के बाहर हैं। वह ऐसे फैसले करें जो उनको करने हैं। जैसे केबिनेट में किसी को लेना है, मन्त्रि-मण्डल का विस्तार करना है यह उनका काम है। हम उसमें दखल नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसे मुद्दे चले आते हैं जिन पर हम को निर्णय लेना पड़ेगा। आप भले ही सम्पतराम जी को गृह मन्त्री बनायें या केदार जी से गृह विभाग ले लें वह मुख्य मन्त्री के सोचने का मैटर है। अगर कोई विभाग लिया जाता है और उसके बारे में आपस में मुख्य मन्त्री महोदय के नाम खतो किताबत होती है, अखबारों के अन्दर चर्चा होती है तो सदन को यह जानने का अधिकार है कि क्यों उनसे यह विभाग लिया गया? मुख्य मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि यह विभाग इसलिए लिया गया कि वह खुद ही ऐसा चाहते थे लेकिन दूसरे दिन ही गृह मन्त्री ने कहा कि वे ऐसा नहीं चाहते थे। हमने यह कभी नहीं कहा था। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि मुझ से यह विभाग इसलिए लिया गया, चूंकि मैं पूंजीपति और सामन्ती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध था। उनसे यह विभाग इसलिये ले लिया गया है। यह हम सब, चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, का विश्वास बन गया है, अगर कोई पूंजीपति और सामन्ती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करता है तो उससे विभाग ले लिया जाता है। इस विषय में चाहे वह मिनिस्टर और एम. एल. ए. हो, या मुख्य मन्त्री या गृह मन्त्री हो, उनकी आपस में खतोकिताबत हो, कोरसपोंडेंस हो तो सभी माननीय सदस्यों को यह मांग करने का अधिकार है कि उस कोरसपोन्डेंस को सदन की मेज पर रखा जाये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो खतो किताबत हुई है, वह सदन की मेज पर रखी जाये। अगर यह गलत है तो वह यह बताएं कि ऐसा नहीं हुआ है। जनता पार्टी के इलेक्शन मैनीफेस्टो में यह बातें कही गई हैं कि पूंजीवाद नहीं पनपेगा। अर्थ व्यवस्था का डिसेन्ट्रलाइजेशन किया जाएगा। ये सभी बातें आपके मैनीफेस्टो में लिखी गई हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा, लेबर और कैपिटल में से उन्होंने लेबर को प्रोटेक्शन दिया है या केपिटल को प्रोटेक्शन दिया है। पुलिस का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, इसकी अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तारीफ की है। तो मैं यह चाहूंगा कि वह कोरसपोंडेंस सदन की मेज पर रखी जाये और उस पर डिबेट आगे हो। श्रीमन् राज्यपाल

(श्री मथुरादास माथुर)

महोदय का अभिभाषण बड़ा काबिल भाषण था। बड़ी अच्छी पुस्तिका थी। राज्यपाल महोदय बड़े बुजुर्ग हैं। बेचारे खड़े खड़े थक गये थे और उनकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। इतना बड़ा, इतना लम्बा भाषण था। उन्होंने 72 पैरा का भाषण पढ़ा था। ऐसे बुजुर्ग आदमी के अभिभाषण में राज्य सरकार ने जो बातें लिखी हैं इससे तो अच्छा था पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के किसी आफिसर को कह कर एक पब्लिसिटी कम्युनिक निकलवा देते। अभिभाषण में जो बातें हैं वह भी सही नहीं हैं। कुछ बातें उसमें कही गई हैं और कुछ नहीं कही गई हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा··

श्री मदन सिंह दांता : जोगेन्द्रसिंहजी से भी बूढ़े हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले जो बातें उसमें नहीं कही गई हैं जिनके बारे में इस सदन के पिछले सत्र में चर्चा हो चुकी है और बड़ी गर्मागर्म बहस हुई है, मैं उन पर आता हूं। इस सत्र के अन्दर शिक्षा विभाग के अन्दर हजारों की तादाद में तबादले हुए हैं–कोई कहता है कि 10 हजार हुए हैं, कोई कहता है कि 15 हजार हुए हैं और कोई कहता है कि 18 हजार हुए हैं··

श्री प्रद्युम्न सिंह : 2 करोड़ रुपया भत्तों पर खर्च हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे कहने दें। आप सुनिये।

करोड़ों रुपये भत्ते पर खर्च हुए हैं यह तो इकानामी का प्रश्न है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। इतने तबादले हुए। आपके शिक्षा मंत्री को पूरा अधिकार है, आपकी सरकार को अधिकार है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने 7, 8 या 10 हजार या जितने भी हजार हों तबादले किये वह क्यों किये ? वह एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से अगर हुए हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी हमें सन्तोष दें। यह तबादले प्राइमरी स्कूल से लेकर गवर्नमेंट कालेजेज तक हुए हैं। अगर यह तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से हुए तो आप हमको सन्तुष्ट करें। यह तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से नहीं हुए हैं। वह इस कारण से हुए हैं कि हमारे देश का जो कम्पोजिट कल्चर है उसके बजाय एक डामिनेटिंग कल्चर की ट्रेनिंग और शिक्षा बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही दे दी जाय। आर. एस. एस. वाले आज यह कहते हैं कि जनता पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। जनता पार्टी में जनसंघ एक घटक है वह भी यह कहते हैं कि आर. एस. एस. पोलिटिक्स में नहीं है, हम उससे दूर हैं। आपके इस घटक में दूसरा घटक है आर. एस. एस. का। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से तबादले हुए हों, बल्कि तबादले इस कारण से हुए हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल से आर. एस. एस. की ट्रेनिंग दी जाय, उसकी जो फिलासफी है डामिनेटिंग कल्चर की उसकी उनको शिक्षा दी जाय ताकि वे बच्चे बड़े होकर कम्पोजिट कल्चर, जो हमारे देश का है, बजाय डामिनेटिंग कल्चर को अपनायें। इस कल्चर से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम इधर बैठने वाले माननीय सदस्य आपसे पूछना चाहेंगे कि यह तबादले क्यों हुए हैं ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की एक कमेटी बनाई जाय। उसमें इधर के और उधर के लोग बैठें और मंत्रिमंडल में

(श्री मथुरादास माथुर)

से आप जिसको ठीक समझें उसे उस समिति का चेयरमेन बना दें, चाहे केदारजी को बना दें या कोटा से आने वाले जो दूसरे माननीय मंत्री हैं उनको बना दें या लॉ मिनिस्टर को बना दें, या आप खुद बन जायं या मास्टर आदित्येन्द्रजी को बना दें, या सम्पतराम जी को बना दें। चेयरमेन आप इनमें से किसी को बना दें। वह कमेटी इस बात को देखे कि यह तबादले एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से हुए हैं या एक्सट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से हुए हैं ? इन तबादलों के कारण हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजकर ....

श्री प्रद्युम्नसिंह: माननीय मुख्य मंत्रीजी, सर्वनाश हो गया हमारी शिक्षा का और आप आंखें मीचें बैठे रहे। आप हेल्पलेस थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कल में सुना दूंगा कि मैं हेल्पलेस था या आप थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम हेल्पलेस क्यों थे ? हमारे हाथ में क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह कमेटी इस बात कि जांच कर ले कि यह तबादले क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से बहुत जरूरी थे या पोलिटिकल पार्टीज के कारण आर.एस.एस. की फिलासफी से बच्चों का दिमाग बदलने के लिए हुए थे ? आप मेहरबानी करके उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। हमारी मांग है कि एक कमेटी सदन की बनाई जाय।

श्रीमन्, दूसरी बात जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 3–4 पैराग्राफ में कही गई है वह अन्त्योदय योजना के बारे में है। अन्त्योदय योजना का इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी स्वागत किया था, मगर उस रोज ही मुझे खतरा था और मैने बजट स्पीच पर बोलते हुए मंत्रीजी से कहा था कि आप इस योजना को पूरा नहीं कर सकेंगे। आपने लोगों में प्रचार किया। आपने मोरारजी भाई से सर्टिफिकेट ले लिया। आपने राजनारायणजी से सर्टिफिकेट ले लिया और भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं इन्क्लूडिंग राष्ट्रपति उनसे सर्टिफिकेट ले लिया। यह सर्टिफिकेट कितने आपके काम आयेंगे यह तो वक्त ही बतायेगा, लेकिन जनता से आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया। अन्त्योदय योजना की इन्फेन्टाइल मोर्टेलिटी हो गई है, उसकी भ्रूण हत्या आपके द्वारा कर दी गई। वह एक अच्छी योजना थी, उसके पीछे अच्छी भावना थी, लेकिन वह भ्रूण अवस्था में ही मर गई। इस योजना के बारे में 2–3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं।

यह जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं वह बिल्कुल झूठे हैं। मैं इनको चेलेन्ज करता हूं। मैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी की एक मिसाल देता हूं। मैंने एस. डी. ओ. साहब से कहा इस योजना के लिए, फिर कलेक्टर साहब को कहा और फिर आपके जो उद्योग मंत्री थे पहले उनसे कहा, उनका अब तबादला हो गया, मेरे इलाके के अन्दर 150 गांव हैं उनके अन्दर 750 कुनबे ऐसे हैं जिनको इस योजना के अन्दर आप सहायता देना चाहते हैं। वह नाम सही भी लिखे गये थे या नहीं मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो उस इलाके में एक गड्डा है जिसमें खाली जमीन पड़ी हुई है। उस जमीन पर एक-एक उनको साल्ट का प्लाट बनाकर दे दें उसके ऊपर 750 रुपये का खर्चा होगा, वह रुपया बैंक से लोन के रूप में दिला दें। अगर बैंक

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं देगी तो मैं बैंक से दिलवा दूंगा। 750 रु. की लागत से हर प्लाट पर हर सदस्य को तीन–साढ़े तीन हजार की आमदनी हो जायगी। वह लोग भी तैयार थे। मैंने एस. डी. ओ. से इस बात को कहा, कलेक्टर को कहा, मिनिस्टर को कहा और साल्ट एन्टर-प्राइज के कमिश्नर थे जो कि नमक का कन्ट्रोल कर रहे थे, उनसे कहा, लेकिन माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जो 750 अन्त्योदय फेमिलीज छांटी थीं उनमें से एक को भी रोजगार नहीं दिया गया है। नागौर जिले में भी यही हाल है। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं वह जानते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में कहलाया गया है इस योजना के अन्दर किसी को गाय देंगे, किसी को भैंस देंगे, किसी को बकरी देंगे, किसी को भेड़ देंगे और किसी को जमीन दे देंगे। किसी गांव में डेयरी की स्कीम चालू की और आपने गाय दे दी। वह गाय दूध नहीं देती तो वह क्या करे? वह गाय मर जाएगी और उसका पाप आप को लगेगा। उसकी हैसियत नहीं है कि वह उस गाय को मेन्टेन कर सके इस महंगाई में। वह गाय भी जायगी और बैंक का रुपया भी डूबेगा। इसीलिए आप गारन्टी देने को तैयार नहीं हैं। जब तक आप गारन्टी देंगे नहीं तो कुछ नहीं होने का है। यह जनता सरकार नई आई 30 वर्ष के बाद और इसमें लोग नये हैं तो जोश से काम करेंगे, लेकिन इन्दताए इश्क में यह हालत कर दी आपने और लोगों को बदनाम करा दिया....

(2.09 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, ऐसी योजना किसी पोलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। हम सहयोग देने को तैयार थे। आपने सहयोग लिया नहीं। मैंने एस. डी. ओ. से एक चिट्ठी लिखवाई लेकिन एस. डी. ओ. की कोई हैसियत नहीं इसलिए यह योजना पूरी कोलेप्स हो गई। जैसे एक बिल्डिंग, एक इमारत कोलेप्स हो जाती है और बिल्डिंग के नीचे बच्चे मर जाते हैं, उसी तरह से यह योजना कोलेप्स हो गई और इसके नीचे गरीब लोग, जिनके नाम का आपने शोषण किया है, भी मर गये। आपने उन लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया और राज्यपाल महोदय जैसे बुजुर्ग के मुंह से झूठ कहलवाकर गलत काम किया है।

दूसरी बात मेरी आती है वह यह है कि हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा पंचायत का इलेक्शन हुआ। पंचायत का इलेक्शन आपने करवाया है उसके लिए तो मुबारकबाद, लेकिन फिर आप क्यों रुक गये? अशोक मेहता कमेटी का बहाना किया जा रहा है। वह क्या करेगी? आपके पास कई मेहता कमेटी हैं, बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है, व्यास कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है और सादिकअली, जो कि अब आपकी पार्टी के गवर्नर हैं, की रिपोर्ट आपके पास है। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने थी उसने थ्री टायर सिस्टम मन्जूर किया था। आप टू टायर सिस्टम चाहते थे तो आप चेन्ज कर देते। आप उसको चेन्ज कर दीजिये, थ्री टायर की जगह टू टायर कर दीजिये, एक टायर कर दीजिए। आपने पंचायत राज के लिए इलेक्टोरल कालेज कायम कर दिया एक बार,

(श्री मथुरादास माथुर)
यही अब प्रधान चुनेंगे और प्रमुख चुनेंगे और फिर पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनेंगी। यह आप मानते हैं कि सरपंचों के वोट से काम चलता है तो तवाडला कर लूं, अब यह नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो एक दफा आप चुनाव करायें, आप अब नहीं बदल सकते, आगे के लिए तो बदल सकते हैं। इसलिए आपको पंचों और सरपंचों को मिलाकर आगे चुनाव कराने चाहिए और जितना पैसा है वह आप दे दीजिये। यह सब कहने की बात है कि आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह घोषणा होनी चाहिए कि पंचायत समितियों के चुनाव आज के कानून के अन्दर जो प्रावधान हैं उसी के आधार पर कराये जायेंगे। इन्स्ट्रक्शन तो दे दीजिए।

श्री भैरों सिंह शेखावत : व्यास कमेटी ने जो सिफारिश की कि इलेक्टोरल कालेज में पंच शामिल नहीं किये जायं, उसके बारे में आपकी क्या ओपीनियन है ?

श्री परसराम मदेरणा : ओपीनियन का प्रश्न नहीं है, लीगल बात कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : व्यास कमेटी ने क्या कहा और सादिक कमेटी ने क्या कहा, लेकिन आज का कानून क्या कह रहा है। फेरे में बिठाकर चंवेरी में मर्जी आये उसको बिठा दो, यह नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके दर्द को मैं समझ रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी समझ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : दोनों बहुत पुराने हैं।

श्री मथुरादास माथुर : Electoral college once created cannot be dissolved इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के अन्दर घोषणा होनी चाहिए और पंचायत समितियों के चुनाव हो जाने चाहिए।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं खास तौर से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। करप्शन रोकने की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ज्युडिशियरी इन्डिपेन्डेन्ट रहे यह हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। हमारा संविधान बना हुआ है उसके अन्दर बेसिक फिलासफी यह है कि हाई कोर्ट के जजेज को अगर मालूम हो जाये कि नौकरी के बाद एग्जीक्यूटिव के पास नौकरी के लिये जाना पड़ेगा तो वे एग्जीक्यूटिव की तरफ देखेंगे जस्टिस की तरफ नहीं। आपने कितने ही जजों को रोजगार देना शुरू कर दिया, कानसिंह कमेटी बना दी, त्यागी जी को लगा दिया, सिंह साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे, उनको भी लगा दिया, जगतनारायण जी को लगा दिया, बैरी साहब को लगा दिया, जितने भी हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए उन सब को लगा दिया। यह माननीय सदस्यों के सोचने का विषय है कोई पार्टी इश्यू नहीं है। हाई कोर्ट के जजेज को रिटायरमेंट के बाद एम्प्लायमेंट देना शुरू करेंगे और कमेटी बनाते रहेंगे तो ज्युडिशियरी की इनडिपेण्डेंसी खतम हो जायेगी और वह...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शुरुआत आपने की। शुरुआत कहां से हुई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि आप इनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले यह स्वीकार कर लें कि गलती हुई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गलती नहीं करते तो आप यहां पर कैसे होते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही बोल लेंगे, काफी सक्षम हैं।

श्री मथुरादास माथुर : गलती होती नहीं तो जो आज हमारे साथ हुआ वह आपके साथ होता। कभी कोई बात ऐसी हो जाती थी तो कभी कभी एकाध जज को बुलाते थे, आपने तो सभी को लगाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस त्यागी जी को रिटायर होने से पहले ही वाइस चान्सलर बनाने का फैसला कर लिया और रिटायर होते ही आदेश दे दिया। ये लोग हिन्दुस्तान के कान्स्टीट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं। हर एक को लगाना शुरू कर दिया, सिंह साहब को बुला लिया। इन कमेटियों की रिपोर्ट को आप पढ़ भी नहीं पायेंगे, दूसरी सरकार ही पढ़ेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि आठ महीने में आपने बुराई को ही अपनाया, इसको आप रोकिये और काम कीजिये।

श्रीमान्, मैं एक बात और आप से निवेदन करना चाहता हूं जिसका जिक्र लाजिमी है, कल भी जिसका जिक्र हुआ था, वह है मरु प्रदेश की मांग। आपने पूछा था कि क्या राय है। हमें आप मजबूर मत करिये। मैं राजस्थान को, जहां तक हो सके, एक देखना चाहता हूं। मगर हालात ऐसे बन जाते हैं, सियासत में और समाज में कि चाहते हुए भी चीज हाथ से निकल जाती है। यह चीज कोई पार्टी का इश्यू नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट और लूंगा, आप इजाजत दे दीजिये।

जनता पार्टी के नेता भी, कांग्रेस के भी और इन्डिपेंडेन्ट सभी लोग कह रहे हैं, इसका कारण है हाई कोर्ट की बेंच। हाई कोर्ट की बेंच का एक इतिहास है। राव कमीशन और पटेल कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद भी यह किया गया। जोधपुर में सरकार का एक भी महकमा नहीं है, बेंच यहां है और मुकदमे वहां ज्यादा हैं। कभी आप बेंच यहां कर दोगे और हाई कोर्ट यहां ले आओगे। जोधपुर राजस्थान का दूसरे नम्बर का शहर होते हुए भी, आज लोगों की भावना है कि आपने उसको इग्नोर किया। सरकारें तो बदलती रहती हैं, कोई सरकार का सवाल नहीं है। आपने इसके बदले में कई वायदे किये, आपकी और कुर्सी पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि इण्डस्ट्री लगा देंगे। इसलिये आज हम मांग करते हैं। लोगों को सन्तोष नहीं है। आप उधर के नौजवानों को गुमराह न करें। इसलिये वहां पर आप औद्योगीकरण के लिए कदम उठावें और सरकार के दूसरे महकमे वहां पर लावें। यह नीति और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से जयपुर में लाये हैं यह तो हम समझ सकते हैं लेकिन जोधपुर में भी सरकार के विभागों को भेजना पड़ेगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

तीसरी बात जोधपुर एक ऐतिहासिक शहर है। जयपुर की 250 वीं वर्ष गांठ पर जयपुर में खुशियां मनाई गईं लेकिन जोधपुर को बसे 512 वर्ष हो गये उसके लिए कोई खुशी मनाने को तैयार नहीं है। एक दिन मैंने निवेदन किया तो आपने कहा कि प्रयत्न किये जायेंगे। यह तो सरकार ने किया···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह नहीं कहा था, जो कहा था वह कहिये।

श्री मथुरादास माथुर : आपने यह नहीं कहा था, मैंने कहा था कि यह चीज हो रही है। आपने कहा, आप मनाइये हम मदद दे देंगे। जो खर्चा ऊपर का होगा वह दे देंगे। दस लाख नहीं देंगे। यह छोटी मोटी बाते हैं, इमोशनल मैटर्स हैं। वेस्टर्न राजस्थान के लोग एक दफा किसी बात के पीछे पड़ गये तो फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लिफ्ट इरिगेशन की बात भी आती है। नागौर के अन्दर पानी आयेगा यह कंवरसेन कमीशन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर मैं निवेदन करता हूं। दूसरे नम्बर पर है कि कोलायत, फलौदी, नागौर और चूरू में पानी आयेगा। फिर राजस्थान सरकार ने कंवरसेन को बुलाया सबोस्टर को कान्स्टीट्यूट किया कि लिफ्ट कहां तक होनी चाहिये। तो यह फैसला किया कि लिफ्ट कम से कम 260 मीटर तक हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कंवर सेन की रिपोर्ट आई उसको आपकी सरकार ने रिजेक्ट किया ?

श्री मथुरा दास माथुर : नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उस समय वित्त मंत्री थे। मैं कल आपको बताऊंगा।

श्री मथुरादास माथुर : बाड़मेर को छोड़कर कोलायत, फलौदी, नागौर और चूरू, इन 4 की रिपोर्ट का मैंने भी अध्ययन किया है, आंकड़े साथ लेकर नहीं आया मगर इस बारे में भले आप फेस टू फेस डिस्कस कर लें। आज जितनी आपकी सिंचाई योजनायें हैं सभी पेइंग हैं। भाखरा मेन्टीनेन्स का खर्च नहीं दे रहा है, उसका खर्चा हम दे रहे हैं। गंग कैनाल के अलावा कौनसी स्कीम प्राडक्टिव है ? चंबल प्राडक्टिव है ? पैसा देकर सब्सि-डाइज्ड इरिगेशन करें मगर वहां पर पानी सिंचाई के लिये नहीं है, मवेशियों के लिए नहीं है, वहां जमीन पानी से वंचित है। वह पानी जायगा रामगढ़ तक, वह लेंगे नहीं लेकिन घोरे हैं ईस्ट टू वेस्ट, वहां आप नहर खोलेंगे। नतीजा यह होगा कि गली-गली में खेती हो जायगी, बाकी पड़ा रह जायगा और पानी पाकिस्तान चला जाएगा। इसे सरसरी तौर पर रिजेक्ट न करें। हम तैयार हैं आपको सहयोग देने के लिए। लोगों का यह इम्प्रेशन होता है कि हमारे क्षेत्र में उद्योग भी नहीं, कोई विभाग भी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। हम लोग चन्दा देते हैं, 50 लाख रुपये जोधपुर ने दिए और भी जरूरत होगी तो 1।। करोड़ 2 करोड़ की स्कीम हो जितना रुपया चाहिए हमसे लें लेकिन खुदा के वास्ते पश्चिमी राजस्थान को नेग्लेक्ट न करें।

मैं, मुख्य मंत्री जी, आपको जयपुर का भी नहीं मानता। आपने घोषणा भी की है कि मैं न किसी कौम का हूं, न किसी जगह का हूं, मैं पूरे राजस्थान का हूं तो आप राजस्थानी बनकर, ऊपर उठ कर पश्चिमी राजस्थान के लिए योजनायें बनायें।

(श्री मथुरादास माथुर)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आजकल हिन्दुस्तान के सियासी पर्दे पर चर्चा है, सैंटर-स्टेट रिलेशन्स की। हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, सैन्टर पावरफुल रहे कोई गिला नहीं, मैं यह पोलिटिकल तरीके से नहीं रख रहा हूं। आज के दिन सातवां फाइनेन्स कमीशन बैठा है। प्लानिंग कमीशन में मुख्य मंत्री को हर साल जाना पड़ता है। आखिर स्टेट मजबूत होगा तो सैन्टर भी मजबूत होगा। मैं नहीं कहता कि सैंटर को कमजोर किया जाए, मैं उस पोलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं। लेकिन फिस्कल अरेंजमेंट बिटवीन दी सैन्टर एण्ड स्टेट्स, वित्तीय बातों में कुछ चेन्ज आनी चाहिये चाहे संविधान में सशोधन करें चाहे कन्वेशन में। चाहे रोलिंग प्लान हो, चाहे स्टेबल प्लान, बात तो वह की वह है। हर साल आपको वहां जाना पड़ता है, एक कालेज खोलने की सैंक्शन के लिए आपको वहां जाना पड़ता है स्कीम तो वहीं पास करानी पड़ेगी। इस सैन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण वहां की पोलिटिकल पार्टी ऐसी फिजा पैदा करती है जिसके कारण हम स्टेट्स वाले फिस्कल के मामले में क्लास फोर बन गए हैं, आॅर्डरली बन गए हैं। हम चाहते थे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से आप अपने और सरकार के विचार रखेंगे ताकि हम टिप्पणी कर सकें। तो इस बारे में आप विचार करें कि सरकार के हाथ मजबूत बनें, राज्यों के हाथ मजबूत बनें। वहां आज आपकी सरकार है कल दूसरी बन सकती है और वह जल्दी बनने वाली है तो आप रहते-रहते कर जाइए।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज कल चारों तरफ जहां भी जाते हैं चाहे जोधपुर हो चाहे जयपुर, चाहे गांवों में जायं तो इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा फ्लक्चुएशन है। लोगों ने पूछा यह इलेक्ट्रिक पावर में फ्लक्चुएशन क्यों है? मैंने कहा, पोलिटिकल पावर में भी फ्लक्चुएशन है। मैं तो खेतसिंह जी के शब्द कहता हूं कि ठाकुर भैरोंसिंह के साथ मेरी हमदर्दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी भी आपके साथ हमदर्दी है।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे थे। मैंने सोचा क्यों बोलें आपस में निपटने दो, वाकई बहादुर लोग हैं आपकी पार्टी में। इस पोलिटिकल फ्लक्चुएशन को तो आप देखें, मगर इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन जो हो रहा है गांवों में उससे मोटर जल जाती हैं इससे प्रोडक्शन गिरता है। कभी राणा प्रताप सागर बंद हो जाता है। आपको कन्टीनुअस पावर देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पावर की भूख जो हम लोगों के अन्दर पैदा की उससे लोगों ने जगह-जगह पम्प लगा रखे हैं। इस बारे में राज्यपाल महोदय ने सरसरी तौर पर कह दिया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विद्युत् मंडल के बजट पर चर्चा होनी चाहिए। जब उसका बजट सदन में आएगा तब विचार करेंगे। सोवियत यूनियन में लेनिन ने कहा था। Political power and electric power is supreme. आपकी इलेक्ट्रिक पावर फ्लक्चुएट कर रही है। भगवान भला करे, कुछ दिन और चले।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कुछ था वह एक पाबूजी की फड़ थी। जैसे गांवों में सुनते हैं, भैरोंसिंहजी, वह फड़ थी।

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्यपाल महोदय की इज्जत के लिए सुन ली वरना इसमें क्या रखा है ? सब्जी चने के बाकले की, हाथ तो बहुत डाला लेकिन बाकला हाथ आया । इसलिए हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद नहीं दे सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथू राम ।

श्री शंकर लाल : आप व्यवस्था देने की बात कर रहे थे । मुझे आश्चर्य है, जिन्होंने प्रस्ताव में संशोधन रखा है उनको बोलने नहीं दिया जाता । आप व्यवस्था क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष : कल मैंने सदन में कहा था कि कुछ समय बाद व्यवस्था दूंगा, लेकिन जब व्यवस्था दे रहा था उस समय आप अनुपस्थित थे । मैं जरूर व्यवस्था दूंगा, पहले श्री नाथूराम को बोलने दिया जाय ।

श्री शंकर लाल : तो यह व्यवस्था कब होगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप उधर से दो-दो सदस्यों को बोलने दे रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि माननीय मथुरादास माथुर बोलें उसके बाद ही नाथूराम जी बोलेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके बाद समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : वायदा नहीं करता, सहानुभूतिपूर्वक सोचेंगे ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सुराणा साहब ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । आजादी के बाद पंचायतों के चुनाव हुए और पिछली सरकार के जमाने में 13 साल तक पंचायतों के चुनाव तक टालते रहे । जनता सरकार ने आते ही जो वायदा किया था वह पूरा किया । पिछले समय में 1957 से हमेशा मेरी मांग थी कि यदि पंचायतों द्वारा सही विकास करना है तो दलीय प्रणाली को हटा देना चाहिए लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । जनता सरकार ने इस पर ध्यान दिया और दलीय प्रणाली हटाकर जनता पर छोड़ा । जनता ने अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि चुने और शांतिपूर्वक चुनाव हुए । मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इन पंचायतों के चुनावों में जनता ने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अधिकतर पंचायतों के चुनावों में सरपंचों और पंचों का चुनाव निर्विरोध भी कराया । इसके लिये मैं जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देता हूं । इसके साथ-साथ जनता पार्टी की सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को पंचायती चुनावों में बिना दलीय आधार पर लड़ने का अधिकार दिया और उसका जनता ने सही उपयोग किया । जो चुनाव हुए वह बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से हुए । उपाध्यक्ष महोदय; मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराकर पंच व सरपंच के चुनाव का जो काम किया है वह तो उत्तम है ही पर जो राज्य सरकार को इन पंचायतों को अधिकार देने चाहिये वह पूरे नहीं दिये हैं । इस कारण पंचायतों की जो आर्थिक स्थिति

(श्री नाथूराम)

है वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करके सुझाव देना चाहूंगा कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे कि इन पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वह अपने अपने इलाके में अच्छी तरह से विकास के कार्य कर सकें। अगर आपने उनको अधिक अधिकार नहीं दिये और पंचायतों ने सही ढंग से काम नहीं किया तो हमारे यहां के गांवों का विकास नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। अगर हम चाहते हैं कि गांवों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता का विकास हो तो आपको इन पंचायतों को अधिक अधिकार देने होंगे। इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायतों के चुनाव तो हो गये हैं पर उन पंचायतों के पास अभी तक कोई काम नहीं है। आप यहां पर थ्री टायर सिस्टम या टू टायर सिस्टम जो भी लागू करना चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी शुरू करके पंचायत राज कार्यक्रम को शुरू करावें ताकि यह जो लोग चुने हुए हैं इन पंचों और सरपंचों को काम करने का मौका मिले। नहीं तो आज इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिये राज्य सरकार को इस ओर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात के लिये मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पहले राजस्थान सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति गांवों में चार आना दिया जाता है वह अब ढाई रुपया प्रति व्यक्ति पंचायतों को अनुदान देना शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह भी निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार को चाहिये कि वह पंचायतों को अपनी रेवेन्यू इनकम में से भी दे। अगर रेवेन्यू की इनकम कुछ अंश तक इन पंचायतों को मिल जाती है तो इनकी हालत काफी सुधर सकती है। इससे पंचायतों को गांवों का विकास करने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा रेवेन्यू का अंश भी पंचायतों को दे देंगे तो आपके रेवेन्यू में तो कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, सरकार के बजट में भी कोई कमी नहीं आयेगी।

इस पंचायती राज की राजस्थान में सन् 1959 में हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। उस समय पंचायतों को ज्युडिशियल पावर्स भी दी थी। पंचायतें अपने पंचायती क्षेत्र में छोटे मोटे फैसले भी कर लिया करती थीं। इससे पंचायतों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती थी। इसके साथ-साथ लोगों को काफी सुविधा भी मिल जाती थी। पर धीरे-धीरे हमारे प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन अधिकारों को पंचायतों से वापस ले लिया इससे पंचायतों के कामों में कमी आयी और पंचायतें निष्क्रिय हो गयीं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंचायतों को वह ज्युडिशियल अधिकार वापस दिलाने की व्यवस्था करें। आप पंचायतों को ज्यादा सशक्त बनावें ताकि पंचायतें अपने यहां अच्छे विकास के काम कर सकें।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं यह भी यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराये हैं उसी तरह राज्य सरकार को चाहिये कि जो सहकारी संस्थायें हैं उनके भी चुनाव कराये। नहीं तो आज स्थिति यह है कि इन सहकारी संस्थाओं में चुनाव नहीं होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं जो किसानों का कुछ भी भला नहीं सोचते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान की जनता पार्टी सरकार ने अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान शुरू किये थे। इन अभियानों के अन्तर्गत गरीबों को छांटा गया और उन्हें, जो कि आज हजारों की तादाद में हैं, भूमि व ऋण देने की बात कही थी। आज इन सहकारी संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स होने की वजह से उन लोगों को ऋण नहीं मिल रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि यह जो भूमि विकास बैंक हैं, सी. सी. बैंक्स वगैरह हैं, जिनके बहुत पहले ही चुनाव होने चाहिये थे, चुनाव ओवर ड्यू हो गये हैं, उनके तुरन्त चुनाव कराये जायें। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सैशन में यह घोषणा करें कि राज्य सरकार इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव इस साल करायेगी ताकि इन सहकारी संस्थाओं में जन प्रतिनिधि आ सकें। नहीं तो आज स्थिति यह है कि छोटे और बड़े कृषकों को इन सहकारी संस्थाओं से कोई ऋण मिलने की सम्भावना नहीं रहती है और अभी आपने अन्त्योदय योजना के तहत या राजस्व अभियान के तहत लोगों का भला करने का सोचा है वह नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह सुझाव है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव तुरन्त करायें और जो आज लाल-फीताशाही छायी हुई है उसे समाप्त किया जावे।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान के अन्तर्गत कुछ घोषणाएं मुख्य मन्त्रीजी ने की थीं। पिछली सरकार के वक्त कई जगह पर राजस्व कानूनों में कमी रहने की वजह से बेचारे गरीब आदिवासी, हरिजनों तथा गरीब काश्तकारों को जो मदद मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकी। इसलिये मेरा निवेदन है अगर राज्य सरकार इन लोगों का भला करना चाहती है तो फिर राजस्व कानूनों में जो खामियां हैं उन्हें दूर करे ताकि आज जो राजस्व के हजारों मामले पैन्डिंग हैं उनका निपटारा किया जाकर गरीबों का भला किया जा सके। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्व अभियान के तहत गरीब काश्तकारों को फायदा मिलना चाहिये वह फायदा सिर्फ 25 प्रतिशत काश्तकारों को ही हुआ है बाकी आज भी गांवों में गरीब आदिवासी लोगों को, गरीब काश्तकारों को फायदा नहीं मिल सका है। वह भी, उपाध्यक्ष महोदय, करीब 75 प्रतिशत होंगे। आपने अन्त्योदय योजना के तहत जिन गरीब लोगों को छांटा था उनके लिये आपने निर्णय लिया था कि हम इन लोगों को ऋण देंगे और भूमिहीनों को जमीनें देंगे। लेकिन वह नहीं मिल सकी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, कि राज्य सरकार को चाहिये कि गरीब लोगों को इसका पूरा लाभ मिले। नहीं तो आपकी यह योजना सिर्फ कागजों में ही रह जायेगी।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर गरीब आदिवासी लोगों के हाथ कुछ नहीं पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि भारत सरकार ने ट्राइबल बोर्ड भी बना दिया और ट्राइबस के लोगों के विकास के लिये एक ट्राइबल सब प्लान भी बनाया है, करोड़ों रुपया भारत सरकार से मिला है पर इन ट्राइब्स के गरीब लोगों के हाथ कुछ नहीं पड़ा है। इसलिये मुख्य मन्त्रीजी से मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्राइबल सब प्लान को वापस रिवाइज करके ऐसा किया जावे जिससे कि आदिवासी लोगों को इसका पूरा लाभ मिले। पिछले साल 25 लाख रुपया इस ट्राइबल सब प्लान के तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्र के लिये रखा पर हमारे इन गरीब आदिवासी लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत कम समय मिला है। कई माननीय सदस्यों को आपने आधा आधा घण्टा और पौन घन्टा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूची मिली है उसमें बोलने वाले लोगों के नाम अधिक हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आपके भाषण को जल्दी समाप्त करें।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो बजट के समय में रात रात भर बैठे रहते हैं और बजट पास करते हैं। हमें भी दो शब्द कहने का तो पूरा मौका मिलना चाहिये।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ट्राइबल सब प्लान को मुख्य मन्त्रीजी जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने की कृपा करें जिससे आदिवासी लोगों को पूर्ण लाभ मिले।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ट्राइबल सब प्लान के अन्दर कुछ लिफ्ट योजनायें डूंगरपुर, बांसवाड़ा एरिया में चालू की गयी हैं जहां एक बार पानी देने की रेट 30 रुपया पर बीघा है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार की पानी की जो रेट राजस्थान कैनाल में है वह नहीं रहनी चाहिये। दोनों की पानी की रेट में असमानता होनी चाहिये। यहां कम रेट लगनी चाहिये। हमारे यहां पर आदिवासी एरिया में एक बार पानी देने पर 30 रुपया लेते हैं तो एक व्यक्ति अगर एक बीघा गेहूं की खेती करेगा तो प्रति एकड़ 700-800 रुपये खर्च आ जायेगा और पैदा होगा सिर्फ 500 रुपये का गेहूँ ही। इसलिये मेरा निवेदन है कि लिफ्ट सिंचाई की रेट में कमी की जाय।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां ट्राइबल सब प्लान में शिक्षा के लिये 25 लाख रुपये का प्रावधान था उसमें भी हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने बहुत ही अनियमिततायें कीं। जहां दस किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल पांच हजार की पापूलेशन पर प्रमोट करना था वहां पर उन्होंने नहीं किया। शिक्षा मन्त्री जी ने अपनी मनमानी से दूसरी जगह कर दिये।

(श्री नाथूराम)

जहां पर 25 हजार पोपूलेशन थी, 25 किलो मीटर की दूरी थी और 99 प्रतिशत आदिवासी थे वहां पर हमने सुझाव दिया था हाई स्कूल खोलने का लेकिन आपने नहीं खोला। कमेटी ने भी निर्णय लिया था लेकिन आपने वह नहीं माना। शिक्षा मन्त्री जी ने मनमानी की। आज जहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात की जा रही है वहां सत्ता का केन्द्रीकरण करके शिक्षा मंत्रीजी ने अपनी मनमानी करके स्कूल खोल दिये। जहां हाई स्कूल, प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने चाहिये थे वहां कमेटी की रिकमंडेशन के अनुसार नहीं खोले और अपनी मनमानी की। मेरी समझ में नहीं आता ऐसे निर्णय यहां बैठे बैठे शिक्षा मन्त्री जी ने कैसे ले लिये? यह सरासर ट्राइबल एरिया के लोगों के साथ अन्याय है। इसलिये मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जो ट्राइबल सब प्लान के अन्दर फण्ड है डिस्ट्रिक्ट कमेटी को अधिकार होना चाहिए और वहां के जन प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, यह शिक्षा मन्त्री जी से मैं निवेदन करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जबरदस्त अकाल है और हजारों आदिवासी भूखों मर रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। बांसवाड़ा जिले में पांच स्थानों पर कहीं 60 इंच और कहीं 62 इंच बारिश हुई लेकिन गढ़ी तहसील में रैवेन्यू कर्मचारियों ने इतना अत्याचार किया कि गांवों की गश्त गिरदावरी की तो 168 गांवों में से कोई भी गांव अकालग्रस्त और अभावग्रस्त घोषित नहीं किया। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। अन्त्योदय योजना में कई गरीब लोग आते हैं। हजारों भूमिहीन हैं और हमारे मुख्य मन्त्री जी के भाषण में है कि 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गरीब हैं। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि 159 गांवों में एक भी गांव अभावग्रस्त नहीं है और वहां पर लोग मजदूरी के बिना मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए इसकी पुनः जांच होनी चाहिए और जिन रेवेन्यू कर्मचारियों ने गलती की है उनको सजा दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदिवासी जो कि भुखमरी से पीड़ित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से वन सम्पदा के बारे में मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीजन में पहाड़ियां बिलकुल नंगी पड़ी हैं। सरकार ने ही उन जंगलों का खात्मा करवाया। वहां पर बरसात का औसत भी गिरता जा रहा है। इसलिए मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि वनों की सुरक्षा होनी चाहिए। ट्राइबल सब-प्लान के फण्ड से आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा काम देना चाहिए और जंगलों को वापस आबाद करना चाहिए। यदि वन सम्पदा होगी तो छोटे-छोटे उद्योग चलेंगे और गरीबी मिटेगी।

कडाणा के पुनर्वास का मामला पिछले दस वर्षों से चला आ रहा है। हमेशा मेरी मांग

(श्री नाथूराम)

रही। पिछली सरकार कमजोर साबित हुई। कडाणा का पुनर्वास कमांड एरिया में होना चाहिए था लेकिन राजस्थान सरकार इतनी कमजोर साबित हुई कि एक इंच भी जमीन नहीं ले सकी। जिस तरह से पोंग डैम में कमाण्ड एरिया में पुनर्वास हुआ उसी तरह से कडाणा में भी कमाण्ड एरिया में लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का बिलकुल सत्यानाश हो गया है। मैं आपके द्वारा जनता सरकार से निवेदन करता हूं कि कडाणा में पुनर्वास कमाण्ड एरिया में ही होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री नाथूराम : एक मिनट। लोग पट्टे लेकर फिर रहे हैं और उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। मैं जनता सरकार से निवेदन करता हूं कि हाउस के पांच सदस्यों की कमेटी बैठाकर जांच होनी चाहिए और जिन व्यक्तियों ने करप्शन बढ़ाया है उनको सजा देनी चाहिए। पुनर्वास के लिए मांग करता हूं कि 419 के अवार्ड तो लोगों को मिल गए लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। वह 300 फीट पानी रोक देते हैं और जुलाई महीने में 419 का पानी गुजरात सरकार रोकेगी। इसलिए इस सरकार से निवेदन है कि जब तक पूरा पुनर्वास नहीं हो जाये, पूरी रकम नहीं मिल जाये और पुनर्वास नहीं हो जाये तब तक स्टे हो जाना चाहिए। यही मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल। मैं ऐसा समझता हूं कि क्योंकि आपने इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है इसलिए आपको बोलने में प्राथमिकता दी है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपके दल ने काफी समय ले लिया है इसलिए संक्षेप में ही कहें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : हमने भी बोलने के लिए.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह भी कहा था कि शंकरलाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं अपने विचार जाहिर करूंगा। मैं उचित समझता हूं कि शंकर लाल जी बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी निवेदन करना है, कृपा करके यह कह दें कि कितने लोग किस क्रम में बोलने वाले हैं, जैसा कि आपने कल बता दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आज जो सूची आई है उसमें दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। उनके अतिरिक्त जनता पार्टी के सदस्यों के नाम इस प्रकार है : सर्वश्री बंशीलाल सारस्वत, वृद्धिचन्द्र जैन, करतार सिंह, श्रीमती श्यामाकुमारी, श्री रघुनन्दन व्यास, रतनलाल बर्मा, श्रीमती नारंगी देवी, सर्वश्री कमलेन्द्र सिंह, जीविग भाई, हरीश शर्मा, नाथूराम, हजारी लाल सारण, नत्थीसिंह, कौशलकिशोर जैन, मनोहरसिंह मेहता, गोपालसिंह खण्डेला, भैरवलाल कालाबादल, हरीसिंह, चिरंजीलाल, आलम अली, रामप्रसाद लड्ढा, गोविन्द सिंह शक्तावत, मोहनलाल, शिवनारायण,

(श्री उपाध्यक्ष)
बत्तीलाल, बहादुर सिंह और हीरालाल आर्य।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह आज के हैं क्या सारे ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री माधोसिंह : कांग्रेस की ओर से कितनों की सूची आई है यह भी कृपया बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी की जो सूची आई है आज के लिए उसमें हैं श्रीमती सुमित्रा सिंह, रामरघुनाथ और रणजीतसिंह।

श्री माधोसिंह : यह तो कल वालों में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक और सूची है जिसमें श्री अब्दुल अजीज, श्री सूरजपाल सिंह और रतनाराम है।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया है कि राजस्थान में मौजूदा सरकार आने के बाद जो इनकी नीतियां और घोषणायें थीं और जो इनके कार्यक्रम थे वह उनको क्रियान्वित करने के अन्दर असफल रही है और उनका इस अभिभाषण में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। पूरे अभिभाषण के अन्दर क्या किया गया, क्या करने जा रहे हैं वह भी वास्तविकता से परे है। सरकार की असफलताओं के बारे में और कमियों के बारे में इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार आने के बाद में ही यह उम्मीद थी और जिस प्रकार कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना इस देश के अन्दर और राज्य में हुई। मैं सर्व प्रथम इस बात की ओर आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक डेमोक्रेटिक वेल्यूज और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रश्न है इस सरकार ने कहां तक उनको निभाया है। मैं इसको साबित करूंगा कि वह बिलकुल ही उससे परे जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि जून के अन्दर यह सरकार बनी लेकिन आज दिन तक उसके मंत्रिमण्डल का भी पूर्णतया गठन नहीं हो सका। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 20 तारीख तक और मंत्री लूंगा। उसके अन्दर भी पश्चिमी राजस्थान की घोर उपेक्षा की और मंत्रिमण्डल में वहां का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस प्रकार मंत्रिमण्डल का भी गठन आठ महीनों के अन्दर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो सरकार हमारे प्रशासन को चलाने के लिए है उसका पूर्ण गठन भी मौजूदा सरकार नहीं कर पाई है, यह कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है। यह डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के खिलाफ है।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मंत्री बने हैं उन्होंने कहां तक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और उस पर कहां तक चल रहे हैं, वह मैं आपके सामने रखूंगा। इससे मालूम होगा कि लोकतांत्रिक घोषणा के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं।

(श्री शंकर लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे इलाके के अन्दर सबसे बड़ी बात सुनी कि गत 20 सालों में, जब तक मैं इस सदन का सदस्य रहा, चाहे किसी पार्टी का राज्य हो, कोई भी मंत्री हो जब उस इलाके में जाता था तो किसी पार्टी का सदस्य हो वहां के विधायक को सूचना दी जाती थी लेकिन हमने सबसे पहले यह देखा कि न जाने किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था राजस्थान सरकार और भैरोंसिंह के मंत्रिमण्डल ने अपनाई है कि मंत्री उस क्षेत्र का दौरा करें और विधायक को सूचना तक नहीं। विधायक जनता का का प्रतिनिधित्व करता है और वहां की समस्याओं को सरकार के सामने रखता है और उसको सूचना तक नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, हमारे पाली जिले में और मेरे क्षेत्र के अन्दर विज्ञान मोदी जी का दौरा हुआ। एक दफा प्रोफेसर केदार जी का दौरा हुआ और उसके बाद मास्टर आदित्येन्द्र का दौरा हुआ लेकिन किसी की भी इत्तिला हमको नहीं मिली। अभी का ताजा उदाहरण है. दिग्विजयसिंह जी आये लेकिन हमको कोई इत्तिला नहीं। चारों मंत्री हमारे जिले के अन्दर आये और चारों में से किसी के आने की इत्तिला हमको नहीं मिली। शायद जनता पार्टी के विधायकों को इत्तिला भेजी हो। क्या जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है ? मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली की, उसके सिद्धांतों की बड़ी दुहाई देती है उसके मंत्री अपने दौरे की विधायकों को सूचना तक नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं ठीक नहीं समझता कि जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते, जो चुने हुए आदमी नहीं हैं उन राज्य कर्मचारियों से केवल दल बन्दी के आधार पर जब मंत्री वहां जायें तो वाहवाही करवायें। एक दूसरा उदाहरण देखें। कल्याण सिंह कालवी से मुझे किसी प्रकार की व्यक्तिगत रंजिस नहीं लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि विज्ञान मोदी आते हैं और कल्याण सिंह कालवी अध्यक्ष बनते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जहां नगरपालिका का प्रशासक, आपका तहसीलदार, आपका एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपका गवर्नमेंट सर्वेन्ट आयोजन करे एक मेले का और उसके अन्दर दिग्विजय सिंह जी पधारे। जो निमन्त्रण निकाला उसमें सभापतित्व करने के लिए नाम था श्री कल्याण सिंह कालवी, महा मंत्री जनता पार्टी का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सरकारी कर्मचारी, दूसरे अधिशासी अधिकारी दोनों ने किस हिसाब से, किस प्रकार से जनता पार्टी के महा मंत्री को समारोह की अध्यक्षता के लिये इनवाइट कर लिया ? हमारे विधायकों को इत्तिला नहीं दें, यह उनके लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल्यांकन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सरकार के ऊपर यह आरोप लगाये जाते हैं कि संजय गांधी आये थे, वह कौन थे तो इस बात की आप इन्क्वायरी करायें, किस प्रकार से आपके तहसीलदार ने उनको बुलाया ? स्वायत्त शासन मंत्री, आप सुन करके जा रहे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं इस बात की इन्क्वायरी चाहता हूं। यह बात क्या उचित है कि सरकारी कर्मचारी ने जो आयोजन किया, उसमें जनता पार्टी के महा मंत्री को बुलाया ? यह आपका नमूना है। आप तो डेमोक्रेटिक लाइन्स पर चलने वाले हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रपति जी आये। उनके यहां आने की सूचना

(श्री शंकर लाल)

हमारे पतों पर भेजी गई जब कि हम यहां थे। पी. ए. सी. की मीटिंग्स हो रही थीं। उनके आने की इत्तिला हमको वहां मिलनी चाहिये लेकिन हमारे पतों पर भेजी गई और वह भी एक दिन पहले कि राष्ट्रपति जी हवाई जहाज से आ रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक वेल्यूज से आप हट रहे हैं। राजनैतिक दल-बन्दी में फंस रहे हैं। नगरपालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं तो जनता पार्टी का यह गलत जजमेंट है कि जनता पार्टी के महा मंत्री को बुला लिया जाये, तो वोट मिल जायेंगे। यह आपका भ्रम है। वहां की जनता भुलावे में आने वाली नहीं है। कल जब मुख्य मंत्री जी बोलें तो इस बात का जवाब दें।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आपने पंचायतों के इलेक्शन कराये, डेमोक्रेटिक वेल्यूज आपने स्थापित की लेकिन प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव क्यों नहीं कराये ? एक बात कह कर रह गये कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट आयेगी। वह कौन कौन से अधिकारों के बारे में आयेगी और उसमें से कौन से रखना चाहते हैं हम यह अलग प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आप पंचायती राज का नक्शा अधूरा रख रहे हैं। लोग पूछते हैं कि पंचायतों के चुनाव हो गये, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कब होंगे। आपने एक तस्वीर बना दी, उसका मुंह और सर कब बनाया जायेगा ? यह क्या तस्वीर है। मैं पंचायत मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा, इस तस्वीर को अधूरा न छोड़े आप पंचायत समितियों के चुनाव करा दीजिये। अनुदान के बारे में आपने कहा कि 25 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से दिया जाता था जो अब अढ़ाई रुपये कर दिया है। चन्दन मल जी कहते हैं कि यह हमारी सरकार का निर्णय था। पंचायत मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 2।। रुपये का निर्णय कांग्रेस सरकार ने कर लिया था तो इसका भी स्पष्टीकरण करें कि क्या यह आपका निर्णय था या आपने क्रियान्वित किया ?

गवर्नर महोदय के बारे में कुछ नहीं कहता, बजट में खर्चे के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जब राष्ट्रपति जी आये थे तो उनके लिये गलीचे बिछाये गये थे। वे जब पालियामेंट गये, तो उन्होंने बग्घी को पसन्द नहीं किया। आज डेमोक्रेटिक वेल्यूज के अन्दर गलीचे बिछाये जा रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नर चल रहे हैं। इसमें चैन्जेज लाइये। कौन सी डेमोक्रेटिक वेल्यूज आप कायम कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक समय आयेगा जब गवर्नर का चुनाव होगा। अभी तो गवर्नर अपांइटेड होता है जब चुनाव होंगे तो जनता का प्रतिनिधि होगा। जैसा अभी सदस्यों ने कहा कि उनके मुंह से कहलवाया, वास्तव में उनसे कहलवाया गया है।

एक दूसरे पाईंट पर आता हूं। आपके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर अनुसूचित जाति और जन जाति के हितों के बारे में कहा गया है। क्या किया है केवल छात्रावासों में वृद्धि की है। लेकिन जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है जो मुद्दे की बात है, मैं कहना चाहता हूं। अनुसूचित जाति, जन जाति और अन्य पिछड़ी हुई जातियों की आपके समाज कल्याण विभाग ने सूची प्रकाशित की है उसके अन्दर 57 ऐसी जातियां

(श्री शंकर लाल)

हैं जो पिछड़ी हुई हैं। अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये आपने इस अभिभाषण के अन्दर और आपके कार्यक्रम में, जो समाज कल्याण विभाग से प्रकाशित हुआ है, एक शब्द भी नही है। कुछ रिलीफ उनको नही दिया गया है। फिर पिछड़ी हुई जाति ही क्यों घोषित करते है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार दूसरे राज्यों ने अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये आयोग बनाये हैं। आयोग के द्वारा जांच की गई, कौन कौन सी रियायतें दीं गई? पिछड़ी हुई जातियों की सूची आपने प्रकाशित की है क्या आप बतायेंगे कि उनको एक भी रियायत दी है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपने लगभग 12 मिनट ले लिये हैं।

श्री शंकरलाल: मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर बहुत जरूरी है कि राजस्थान जातिवाद से ऊपर उठकर रहे। हमारे राजस्थान के अन्दर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जाट और राजपूत की जातिवाद की भावनाओं ने हमारी राजनीति को बड़ा दूषित किया है। हमें अगर राजस्थान के अन्दर····

श्री मदनसिंह दांता: I object to it अगर यह करवाया है तो आपने करवाया है। जाट-राजपूत वर्षों तक एक रहे हैं।

श्री शंकरलाल: मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहता लेकिन जो वास्तविकता है, उससे हमें दूर नहीं हटना चाहिए। भैरोंसिह जी के आने के बाद में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले भैरोंसिह जी से कोई अपना रिश्ता नहीं बताते थे लेकिन आज वे भी अपना भैरोंसिह जी से दूर का रिश्ता बताने लगे हैं।

श्री मदनसिंह दांता: मैं शायद भैरोंसिंह जी के बहुत नजदीक का हूं लेकिन मैं उनसे इस मामले में काफी दूर हूं।

श्री शंकरलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री भैरोंसिह जी जातिवाद से ऊपर होकर रहें। मैं उनकी भलाई के लिए ही कहना चाहता हूं। उनके ऊपर मैं खुद कोई चार्ज नहीं लगाता हूं लेकिन जो वातावरण फैल रहा है राजस्थान में उससे मुझे चिन्ता है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में ट्रान्सफर्स की बात में विधायक कुछ कहें, हांलाकि मुझे कुछ मतलब नहीं है कि को कोई एस. पी. आये या कोई एस.पी. जाये, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है लेकिन जब जनता पार्टी के विधायकों में कशमकश चलती है इस बात की ओर यह बात सुनने को मिलती है, आज यह हर आदमी की जबान पर है कि फलां आदमी इस जाति का है इसलिए यह काम करा लाया। वहां एक एस. पी. का ट्रान्सफर हुआ, उसमें विज्ञान मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि ट्रान्सफर होना चाहिए, अमृत नाहटा जी कहते हैं ट्रान्सफर होना चाहिए

(श्री शंकर लाल)

लेकिन हनवन्तसिंह जी कहते हैं कि ट्रान्सफर नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में ट्रान्सफर हुआ और बाद में उन लोगों ने कैन्सिल करवाया और कहा कि हनवन्त सिंह जी ने कहा है। मैं मानता हूं और ठीक है वे भी एम.एल.ए. हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह प्रत्येक आदमी की भावना है कि जातिवाद फैल रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज स्थिति यह है कि तहसीलदार है तो गणपत सिंह, थानेदार हैं तो नरपतसिंह, कोई एस.पी. हैं तो डूंगरसिंह। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं पूरे राजस्थान में क्या स्थिति है लेकिन जहां तक पश्चिमी जिले की बात हैं, मैं पाली जिले की बात कहता हूं जो बिल्कुल सही है कि वहां लोगों में जातिवाद की भावना इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी की जबान पर यह बात पाई जा रही है। आज जनता पार्टी के नाम पर पीटते हैं, वे कहते हैं हम तो फलां आदमी के रिश्तेदार हैं। लोगों ने यहां तक कहा है कि यदि सेक्रेटेरियट में जाना है तो जातिवाद के नाम पर जल्दी जा सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने नाम लिख कर भेज दिया डूंगाराम तो मुझे बहुत देर हो गई, बुलाया ही नहीं गया लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने नाम लिखकर भेजा डूंगरसिंह तो फौरन बुला लिया गया। तो जो इस प्रकार की भावना आज फैल रही है इस जातिवाद की भावना से यह सरकार ऊपर उठे। जिस प्रकार भैरोंसिंह जी ने कहा था कि मैं भी एक किसान हूं तो मैं कोई आइरोनिकल नहीं कहता कि वे किसान होने का साबित करें....

(व्यवधान)

सुनिये, मेरी बात सुन लीजिये। छबड़ा में चुनाव होने के बाद जब भैरोंसिंह जी जयपुर आये तो जयपुर में राजपूत छात्रावास में उन्होंने भाषण दिया, राजपूत छात्रावास में मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था लेकिन कल्याण सिंह जी ने मुझे प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से मैंने चुनाव लड़ा। अगर भैरोंसिंह जी यह अपने मुंह से पब्लिक मीटिंग में कहें तो कितनी एक हास्यास्पद बात है। उनको प्रेरणा कल्याण सिंह जी कालवी से मिली तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो एम.एल. मेहता को श्री बजरंगलाल जी कहते हैं छोटा मुख्य मंत्री लेकिन मैं इनको भैरोंसिंह जी से बड़ा मुख्य मंत्री कहता हूं। भैरोंसिंह जी छोटे मुख्य मंत्री हैं और ये बड़े मुख्य मंत्री हैं। आपने खुद ने कहा है राजपूत छात्रावास में तो फिर आप कौन सी स्वस्थ परम्परा स्थापित करने जा रहे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत बातें कहनी हैं। अब केवल 1-2 बात ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, समाजवाद लाने की बात जनता पार्टी ने कही लेकिन अभी तक जनता पार्टी के लोगों में अलग-अलग घटकवाद है। यह प्रोग्राम महात्मा गांधी का है। अन्त्योदय की जो योजना बनी है यह कहना चाहूंगा कि काफी अच्छी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह भी बताया गया कि 1 लाख

(श्री शंकर लाल)

65 हजार लोगों का चयन कर लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, चयन करने से कुछ नहीं हुआ है। चयन कैसे हुआ हमने पढ़ा है, अजमेर की पीसांगन पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत नांगलियावास में जिन गरीबों का चयन किया गया था, उन लोगों ने स्वयं ने कहा कि हम गरीब नहीं हैं। हम से ज्यादा गरीब दूसरे लोग हैं उनको ही ऋण दिलवाया जाय। इसका मतलब यह है कि उनका चयन ठीक नहीं हुआ है। जो आपकी अन्त्योदय योजना है, वह योजना तो ठीक है लेकिन....

एक माननीय सदस्य : गांव वालों ने ही सहमति प्रकट की थी। गांव वालों ने ही धोखा दिया है.....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : इसका मतलब तो यह हुआ है कि आपका चयन गलत हुआ है जो पहले चयन हुआ था, वह गलत था। मैं यह कहता हूं चयन ठीक नहीं हुआ और यह दूसरे सदस्य भी कहते हैं।

अन्त्योदय योजना केवल एक बैंक से ऋण दिलाने की योजना है। वह तो पहले भी देते थे, आज भी देते हैं। जिस समय बैंकों का भूतपूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया और भूतपूर्व सरकार ने बैंकों को नेशनलाइज किया उसके बाद छोटे-छोटे उद्योग करने वालों को, सबको ऋण दिया गया। हम यह कहते हैं पांच को ही क्यों 50 को दो लेकिन उनके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, गारन्टी देने वाले नहीं हैं....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीच बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप मौजूद थे ?

श्री शंकरलाल : आपको पता नहीं है, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो अलाटमेंट की जमीन थी...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना के अन्दर भूमि देने में प्राथमिकता की बात कही गई और सब जगह अलाटमेंट हुये। उपाध्यक्ष महोदय, जो सीलिंग से जमीन प्राप्त हुई है, उसको अलाट करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, उनसे मुआवजा लेते हैं। आप अन्त्योदय वालों से पैसा लेकर जमीन दो तो जो अन्त्योदय वाले आदमी हैं उनके पास पैसा कहां है, वे तो गरीब हैं। मेरा निवेदन है उसका पैसा सरकार दे उसका मुआवजा सरकार दे। गरीब आदमियों के पास तो पैसे का वैसे ही अभाव है। इसका नतीजा यह निकला कि आप उन लोगों को जमीन अलाट नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास जमीन के लिये पैसे नहीं है.....

श्री ईश्वरचन्द्र : श्रीमान, आपको पता नहीं है, उनको 700–700 रुपये दिये जा रहे हैं।

श्री शंकरलाल : मैं कहता हूं आपको पता नहीं है। अलाटमेंट के अन्दर, राजस्व अभियान के अन्दर एक बात मैं जानना चाहूंगा जो डी. पी. ए. पी. के जिले हैं उनमें तार देकर अलाटमेंट क्यों बन्द कर दिया ?

(श्री शंकर लाल)

आपने राजस्व अभियान एक तरफ चलाया और दूसरी तरफ टेलीग्राम पहुंचता है। डी. पी. ए. पी. में जो जिले आते हैं उनमें पाली जिला भी आता है, मेरा जिला भी आता है। हम मीटिंग में गए और तार आ गया कि अलाटमेंट बन्द है। सरकार इस बात को बताये अलाटमेण्ट बन्द क्यों किया गया? आप कहते हैं कि राजस्व अभियान के अन्दर न्याय देने की बात है। एक तरफ

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप न्याय दिलाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आपके जोधपुर में रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी की दो महीने से जगह खाली पड़ी है। म्यूटेशन में, अलाटमेंट में जो झगड़े होते हैं उनके केसेज रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी में जाते हैं। दो महीने से जोधपुर में रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी की जगह खाली पड़ी है। यही आपका राजस्व अभियान है। राजस्व अभियान के अन्दर केसेज के फैसले की बात आप करते हैं लेकिन धारा 91 के अन्दर केवल उन्हीं मुकदमों में कमेटी फैसला कर सकती है जो तहसीलदार उनके पास भेजे। तहसीलदार ही हुकम कर सकता है लेकिन धारा 91 के अन्दर आपका एम. एल. ए. शामिल नहीं रह सकता। इसकी पावर रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी को रहती है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बिल्कुल गलत है। 91 के केसेज में भी एम. एल. ए. शामिल रहता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, आपको जो सुझाव देने हों वे आप लोबी में उनको दे दें। वहां पर बहुत जगह खाली पड़ी हुई है।

श्री सुखलाल सेणचा : हर एक बात के बीच में ये बोलें यह क्या जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिए।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य कैसे कह रहे हैं कि 91 के केसेज में अलाटमेंट कमेटी को अधिकार प्राप्त हैं। किस कानून के तहत यह अधिकार है हमें तो मालूम नहीं है, आपको विशेष अधिकार दे दिया गया होगा जनता पार्टी की सरकार ने। कानून के अन्दर तो अधिकार नहीं है। अधिकार आपको देना है तो कानून में चैंज करना पड़ेगा। तभी 91 के फैसले अलाटमेंट कमेटी कर सकेगी। जब तक कानून में चैंज नहीं किया जाता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि आप जल्दी समाप्त करिये। आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री शंकरलाल : बैरी कमीशन के अन्दर जो जांच हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री शंकरलाल : केवल दो मिनट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

प्रारम्भ से, जब से सदन में आया हूं, मैंने सीलिंग कानून की क्रियान्विति के लिए

(श्री शंकर लाल)

बराबर आवाज उठाई है और मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि आप गांवों के अन्दर और गरीबों का, भूमिहीनों का, आदिवासी और हरिजनों का तब तक भला नहीं कर सकते जब तक सीलिंग कानून की क्रियान्विति पूरी तरह से नहीं हो। मैं पिछली सरकार से भी बराबर लड़ता रहा और आज भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस बैरी आयोग से इस बात की भी जांच करवाई जाय कि जिन चन्द बड़े-बड़े सामन्तों ने, भूतपूर्व राजाओं और जागीरदारों ने, जमींदारों ने बड़ी तादाद में जमीनें हड़पी हैं उन सब की भी जांच करवाई जाकर उनसे जमीनें वापस ली जायें और उनको गरीबों को दिलाया जावे। यदि आपको वास्तव में इन सामन्तों से प्रेम नहीं है, यदि वास्तव में आपको भूतपूर्व राजाओं से प्रेम नहीं है और आप चाहते हैं कि आप गरीबों की भलाई के लिए काम करें तो जहां दूसरी बातों की जांच कराते हैं वहां इस बात की जांच करायें कि कितनी जमीन इन लोगों ने दबाई है, उसकी आप जांच कराकर वह भूमि गरीबों को अलाट करें। इनके खिलाफ कार्यवाही करें तो मैं समझ सकता हूं कि वास्तव में आप भूमि सुधार की तरफ कुछ काम करना चाहते हैं, अन्यथा आपका केवल यह अभियान ही रहेगा।

चूंकि, उपाध्यक्ष महोदय काफी विचलित हो चुके हैं, मैं विशेष नहीं कह कर अन्य अवसर पर और बातें कहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश सिंह।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और साथ साथ में समर्थन भी करना चाहता हूं।

यह बात नहीं है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनायें सामने रखी हैं वह सारी की सारी निराधार हैं। यह कहना अपने आप में गलत है। केवल आलोचना के लिए आलोचना करनी हो तो यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि जो अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान चलाया गया वह बिल्कुल सारा का सारा विफल रहा। यह सारा तीस साल का ढांचा एडमिनिस्ट्रेशन का बिगड़ा हुआ था। इस ढांचे में जो अच्छे अफसर थे उन्होंने अच्छा काम किया, जहां पर अफसर गलत थे उन्होंने वहां पर गलत काम किया है। यह नहीं कि सारी जगह एक सा काम हुआ। लेकिन साथ-साथ यह बात है कि इस अभिभाषण में एक चीज का उल्लेख कहीं नजर नहीं आया जिसका कि संकेत पिछली दफा दिया गया था। राजस्थान के अन्दर उर्दू जबान और पंजाबी के लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है और क्या व्यवस्था की है। जब पिछले सत्र में भी यह बात उठाई गई थी तो इसके बारे में इस भाषण में कोई जिक्र क्यों नहीं आया? मैं आशा करता हूँ कि जो उपेक्षा पिछले तीस वर्षों से की जा रही है, आज की स्थिति के अन्दर इस बात को रोका जाएगा। शिक्षा मंत्री महोदय खास तौर पर इस बात का ध्यान रखेंगे और राजस्थान के अन्दर पंजाबी और साथ साथ उर्दू को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ अल्प संख्यकों का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उर्दू जुबान को बहुत से लोग सीखते हैं, मुसलमान आदमी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और आज भी पढ़ रहे

(श्री जगदीश सिंह)

हूं। जिसके लिए व्यवस्था हमको अपनी तरफ से करनी पड़ती है लेकिन सरकार की तरफ से इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

दूसरा जहां तक शिक्षा के विस्तार का प्रश्न है, मैं इस बात से इन्कार तो नहीं करता कि जिस वक्त से यह जनता पार्टी की सरकार आई है उधर ध्यान नहीं दिया गया या शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है लेकिन जो सैंकड़ों कालेजेज और प्राइमरी स्कूल खोले गए उसके अन्दर किस हद तक उपेक्षा की गई धौलपुर की, यह रिकार्ड राजस्थान सरकार के सामने है। इसके लिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बल्कि लिखित रूप में भी यह रिकार्ड में मौजूद है कि 70 मील का एरिया, चालीस मील का एरिया, जिसमें चार चार विधान सभा क्षेत्र हैं, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का एक तिहाई हिस्सा है, इस भरतपुर जिले के एक तिहाई हिस्से के अन्दर आज की तारीख में एक भी कालेज नहीं है। जो एक छोटा सा कालेज है उसके अन्दर भी बी. एस सी. (एग्रीकल्चर) की व्यवस्था नहीं है। पिछली दफा धौलपुर के छात्रों ने भूख हड़ताल की थी, स्ट्राइक की थी और शिक्षा मन्त्री महोदय ने लिखित रूप में आश्वासन दिया था। मैं आशा करता हूं कि बजट के अन्दर आयन्दा जिस वक्त व्यवस्था करें, धौलपुर का खास तौर पर ध्यान रखा जायगा। मैं धौलपुर केवल बी. एस सी. (एग्रीकल्चर) की बात ही नहीं कहता, कालेज की बात ही नहीं कहता, बल्कि मैं अर्ज करूंगा कि धौलपुर इतना बड़ा क्षेत्र है कि जो एक तरफ यू. पी. से जुड़ता है, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ है, इतने बड़े क्षेत्र में बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं है। धौलपुर में एग्रीकल्चर की क्लास खोली जाय तो इससे वहां की कुछ समस्या हल हो सकती है। एग्रीकल्चर की क्लास खोलने के लिए कोई जमीन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, इसलिए अगर एग्रीकल्चर की क्लास खोली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हाई स्कूल के अन्दर एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं और कालेज में व्यवस्था नहीं होगी तो लड़के आगे पढ़ने के लिए कहां जायेंगे? इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आयन्दा इस बात का ध्यान रखा जाय।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि एक चीज ऐसी है कि शायद राजस्थान के किसी भी कोने में आज की तारीख में नहीं मिलेगी। धौलपुर क्षेत्र के अन्दर ही नहीं बल्कि धौलपुर सब-डिवीजन के अन्दर भी दस हजार लोग ऐसे हैं जिनको 36 घण्टों में एक मर्तबा भोजन मिलता है। इसके लिए इस सरकार ने थोड़ी बहुत मदद जरूर की है लेकिन जितनी अपेक्षा की जाती थी उस हद तक नहीं की। यहां पर मंत्री महोदय यह भाषण करते हैं कि राजस्थान के अन्दर भुखमरी नहीं है। मैं इस बात पर चैलेंज करता हूं और एलान करता हूं कि अगर राजस्थान की यह सरकार इस बात के लिए कमीशन बिठाने को तैयार हो तो मैं साबित कर सकता हूं कि धौलपुर क्षेत्र में आज भी दस हजार से ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, जिनको 36 घण्टे में एक बार भोजन मिलता है। यही हालत आज की तारीख में भी मौजूद है। इस बीच में फ्लड आया था, उस फ्लड से उस क्षेत्र में काफी बरबादी हुई। हमारे माननीय मंत्री महोदय,

(श्री जगदीश सिंह)

हमारे राज्य मंत्री महोदय भी वहां पर गए थे। उन्होंने उस क्षेत्र को देखा, मैंने भी गांव गांव जाकर देखा। उस क्षेत्र में यह हालत रही कि चार चार दिनों तक खाने को नहीं मिला। उनको रहने को जगह नहीं। उनके मकान में दस-दस फीट पानी भर गया। ऐसे गांव थे, ठहरी, राजपुर, औरंगाबाद, बोलारी वगैरह, जिनमें किश्तियों में जाकर भी सही जगह पर जाने से वंचित रहे। पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक वहां नहीं पहुंच सके। थोड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ब्यूरोक्रेसी ने आज तक इस समस्या के बाबत में अपनी राज्य सरकार को अवगत ही नहीं कराया बल्कि आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की ताकि किसी तरह से बात बनी रहे कि हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। यह राज्य सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वह इस तरह से असलियत बताने के बजाय उस पर पर्दा डालती है। असलियत पर पर्दा डालने के लिए यह हो रहा है।

साथ ही साथ उस क्षेत्र के नाम से जो पैसा दिया गया, उसके बारे में मैंने निवेदन किया, वह खाने पीने में बंटा है। अब फिर वही नौबत आ जाएगी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये संकेत मिल रहे हैं। धौलपुर क्षेत्र में जो स्थिति है, उसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? मुझे अलग से यह जानकारी मिली है कि राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

धौलपुर क्षेत्र में एक इंण्डस्ट्री चल रही है। उसके एक तरफ यू.पी. है और एक तरफ मध्य प्रदेश है। वह एरिया खराब है। वहां कुछ ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो कि माल इधर-उधर कर देते हैं। हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वहां पर जो फैक्ट्री चल रही है उसका माल इधर-उधर कर दिया जाता है। आज तक जिनको जमीन दी गई है उनको पट्टे नहीं दिये गये हैं। उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए राज्य सरकार से और खास तौर से इण्डस्ट्री मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वह जांच कराये। जो लाइसेंस दिये गये हैं वह रद्द किये जायं और दूसरे लोगों को दिये जायं।

धौलपुर में हाईटेक प्रेसीजन ग्लास फैक्ट्री है, पिछली कांग्रेस सरकार ने उसकी बहुत उपेक्षा की है। यह कहा जाता था कि सरकार धन देगी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। दो हजार मजदूर उस में काम करते थे। हाईटेक प्रेसीजन ग्लास फैक्ट्री की कीमत 70 लाख रुपये थी, अब वह 12 लाख की रह गई है। वह लिक्वीडेशन में है। अगर यही स्थिति रही तो वह समाप्त हो जायगी। अगर सरकार अपने माध्यम से चला सकती है तो दो हजार मजदूरों को लाभ मिलेगा। यह सरकार की योजना भी है, इसलिए इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिए·····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्‌जी, चार सिक्खों में मैं एक ही हूं। इसलिए समय दिया जाये। मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लिफ्ट इरिगेशन का सवाल है, धौलपुर में चम्बल के पानी की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। वहां की रेवाइन्स में डकैत डकैतियां डाल कर रहते हैं। अगर उन रेवाइन्स

(श्री जगदीश सिंह)

को ठीक किया जाये तो हजारों आदमियों को जमीन मिल सकती है। लिफ्ट इरिगेशन की योजना वहां के लिए बनाई जाय तो उस जमीन की सिंचाई हो सकती है।

जयपुर में हाई कोर्ट बेंच आने से जोधपुर वाले नाराज होते हैं। जयपुर सैन्टर में पड़ता है। जोधपुर 500 किलोमीटर दूर है। जोधपुर में हाई कोर्ट रखने से चन्द आदमियों को लाभ हो सकता है। वहां हाई कोर्ट रखने का मतलब है कि गरीबों को बरबाद किया जाये। अगर जोधपुर वाले धमकियां देते हैं तो मैं भी यह कहता हूं, अगर आप मरुप्रदेश की मांग करते हैं तो मैं भी अपने भाग को अलग कराऊंगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों पर शर्म आनी चाहिए। अखबारों में पढ़ा है, जुलूस निकाला गया। हड़ताल की गई। मैं भी यह चैलेंज करता हूं कि हम भी हड़ताल करा सकते हैं। एक घण्टे जोधपुर बन्द कर दिया तो उसके लिये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं। जिस समय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय धौलपुर हफ्तों बन्द रहा है। धौलपुर की जो समस्यायें हैं, उन समस्याओं का समाधान कीजिए। मैं गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, धौलपुर से 500 किलोमीटर दूर 500 कंजर बसे हुये हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है। कोई कारोबार नहीं। जीवन यापन के उनके पास क्या साधन हैं? उनका काम है, डकैतियां डालना और छुटपुट घटनायें करना और शाम को जाकर किसी रेस्टोरेन्ट पर बैठ जाना। यह अराजकता का कारण है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में खतम कर रहा हूं, श्रीमान् जी।

पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उन कंजरों के पास जाये। जब तक कम से कम 2000 आदमी नहीं भेजे जायें तब तक कोई आदमी वहां जाकर तलाशी नहीं ले सकता है। कुछ लोग अवैध शराब पकड़ने के लिये गये थे तो उनकी जूतों से पिटाई की गई थी। किसी की हिम्मत नहीं है कि गांव में घुस कर कोई बात कर ले या डकैतियों का माल बरामद कर ले...

श्री उपाध्यक्ष : एक दफा पहले भी आप यही बोले थे। आज फिर वही बोल रहे हैं।

श्री जगदीश सिंह : धौलपुर में बन्दूकों के लाइसेंस पर 2 हजार रुपया, एक हजार रुपया लिया जाता है। मैंने सरकार से मांग की थी कि इसकी जांच कराई जाये। बन्दूकों के लाइसेंस पर हजारों रुपये लिये गये हैं। रिन्यूअल के लिए भी रुपया लिया जाता था। जब कलेक्टर से शिकायत की गई तो गुस्सा क्लर्क पर उतारा गया। कलेक्टर की यह हिम्मत नहीं हुई कि जिस ऑफिसर ने यह किया है, उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करे। कोर्ट में केसेज पचासों बनाये गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे जो रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट है, उसमें पहले से भ्रष्टाचार कम हुआ है। यह मैं मानता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार सारा समाप्त हो गया है। अगर इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो रोड्स के बारे में मैं और कहूंगा।

(श्री जगदीश सिंह)

इसके साथ-साथ ओल्ड एज पेन्शन के केसेज आज की तारीख में करीब 1500 पैंडिंग हैं और केवल 50 केसेज का निर्णय किया गया है । . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं आशा करूंगा अपनी सरकार से कि वह जल्दी ही इनको निपटाये ।

रिश्वत खोरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ कम जरूर हुई है, यह मैं मानता हूँ । इसका मतलब यह नहीं है कि सारी समस्या का समाधान हो गया है । सैंकड़ों अधिकारियों में से कुछ बदमाश हैं, कुछ शरीफ भी हैं । जो बदमाश और बुरे हैं, उनकी जांच की जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके साथ-साथ आखिर में मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पानी की समस्या है इसलिये हमारे यहां नहरें बना दी जायं । नहरों के साथ पार्वती नदी का पानी आयेगा तो उस इलाके की इरिगेशन की समस्या का समाधान होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना कहकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे कल भी कहा गया था आज बोलने के लिए ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकारी पार्टी के कुछ लोग बोल चुके हैं लेकिन हमारे दल से एक आदमी बोला है और कोई बोलने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि बोलने का अवसर समय की अवधि को देखते हुए मैं दूंगा अवश्य लेकिन किस क्रम से बोला जाय वह मैं अपने विवेक से दूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पार्टी से बोलने का सवाल नहीं है ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, समय का विभाजन जिस तरह से किया गया है उसके अनुसार जनता पार्टी के कुछ ही सदस्य बोले हैं . . .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सदन की जो परम्परा है उसके अनुसार चला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी परेशानी तो देखें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी परेशानी भी तो देखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपकी परेशानी का खयाल है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमें 30 मिनट का समय दिया गया था लेकिन हमारा एक भी साथी नहीं बोला ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे समय नहीं दिया जा रहा है । आपकी कृपा हम पर कुछ कम ही है, ऐसा लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया विराजिये । समय का जो निर्धारण हुआ है वह सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए है और निर्दलीय सदस्यों के लिए है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निर्दलीय नहीं हूं। मेरा प्रगतिशील दल है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा है कि मान्यता प्राप्त दल। आप प्रगतिशील दल के हैं तो आपके लिए समय निर्धारित किया गया है। प्रगतिशील दल के लिए केवल 11 मिनट हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 11 मिनट की जगह 20 मिनट दे दूंगा। इसलिए, श्रीमान, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं। मुझे घर जाना है। गाडी पकड़नी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपको रेल पकड़नी है तो आपका जो समय निर्धारित किया गया है उसमें बोल लें।

श्री नवनीत पालीवाल : आज जाना है तो कल बोल लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय हम भी बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जो समय बचा हुआ है उसका उपयोग करना चाहें तो कर लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जरूर कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये। मैं अवसर दूंगा। जो समय निर्धारित किया गया है उससे अधिक न लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शिकायत नहीं करेंगे अब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बिल्कुल नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बोलिये।

(व्यवधान)

आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुझे भी थोड़ा काम था। अगर आपकी आज्ञा हो तो बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी अवसर मिलेगा और आज ही मिलेगा।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं कि हमारे पक्ष के भी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। कल भी उनको समय नहीं मिल पाया है। समय प्रतिपक्ष को भी मिलना चाहिए लेकिन हमारे समय और सदस्यों के अनुपात को देखते हुए कुछ इधर के सदस्य बोल जायं फिर वह बोल लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम भीख नहीं मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके दल को जो समय मिला है उसके अनुपात से समय दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता पार्टी के मेम्बर ही इस प्रकार से कर रहे हैं तो हम अपोजीशन वाले क्या करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो राज्यपाल महोदय ने यहां पर अभिभाषण दिया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है और जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूँ, श्रीमन् ।

श्री नवनीत पालीवाल : कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : विरोध करने के, श्रीमन्, 4–5 कारण हैं। ऐसा लगता है कि अभिभाषण किसी क्लर्क से लिखवा कर, किसी आफिसर से लिखवा कर राज्यपाल महोदय के हाथ में पकड़ा दिया गया है। किसी वरिष्ठ मंत्री ने इस अभिभाषण को देखने का कष्ट नहीं किया है। मुझे पूरे 10 साल का इस सदन का अनुभव है···

एक माननीय सदस्य : लिखवाने का।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन दस सालों के अन्दर।····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बनवाने का।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसमें कोई विषय नहीं है। उसके अन्दर कोई जिज्ञासा नहीं है। अभिभाषण सुनने पर हमको कोई चीज नहीं मिली। सबसे पहला कारण विरोध करने का यही है।

मैं ज्यादा समय भूमिका के अन्दर नहीं लूंगा और अपने पाइन्ट पर आऊंगा। सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि बताई गई है इसके अन्दर और जिसके बारे में इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर बड़ा ढिंढोरा पीटा गया वह है अन्त्योदय योजना। मैं दो शब्दों में ही इसके बारे में अपनी बात कहूंगा कि यह एक ढकोसला मात्र ही है। आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप केन्द्र से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वह आपकी पार्टी के नेता हैं इसलिए आपकी सराहना कर सकते हैं। लेकिन आम जनता के अन्दर इसका कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। आपने कहा कि इतने सारे मामले निपटा दिये। श्रीमन् पहले भी कई दफा म्यूटेशन के अभियान चलाये गये हैं। म्यूटेशन के मामले तो हर साल पैदा होंगे। आप वकील हैं आप खुद जानते हैं कि जमीनों के ट्रान्सफर होते रहते हैं। किसी पिता की मौत होती है, उसके चार लड़के हैं तो चार-चार लड़कों के म्यूटेशन खाने खुलते हैं। म्यूटेशन के आधार पर यह कहना गलत है कि इतनी जमीन का अलाटमेंट दिया। जमीन कहां थी आपके पास में जो जमीन का अलाटमेंट की बात करते हैं। जो बेकार जमीन थी उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है उस जमीन को आपने ढिंढोरा पीटने के लिए बांटा है। उससे भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा।

फिर आपने गरीब परिवारों का चयन किया। बड़े जोर शोर से कहा गया था कि इसमें जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायगा, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, श्रीमन, बड़ी-बड़ी दूसरी जगहों का तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे अपने जिले का अन्दाजा है। हमारे जिले के अन्दर जिस वक्त गरीब परिवारों का चयन किया गया तो किसी भी जन-प्रतिनिधि को शरीक नहीं किया गया। ढाक के वही तीन पात। आज दिन तक कोई राहत नहीं दी, कोई कर्जा नहीं मिला। मेरा तो यही मानना है कि आपकी इस अन्त्योदय योजना का उदय होते ही अन्त हो गया। श्रीमन्, इसको समाप्त समझिये। आप पांच साल का प्रोग्राम बनाकर चल रहे हैं तो यह चलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, एक और बात है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया, यह एक

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान के अन्दर इस वर्ष शान्ति रही। आम जनता से पूछिये कि किस प्रकार की शान्ति है राजस्थान के अन्दर। राजस्थान के अन्दर जो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है वह किसी से छिपी हुई नहीं है, खास तौर से आई. जी. पी. साहब ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस के अन्दर जो आंकड़े दिये हैं उसके अन्दर उन्होंने स्वीकार किया है कि राजस्थान के अन्दर 8 महीनों में, साल पूरा नहीं हुआ, राजस्थान के अन्दर करीब 10 हजार या 12 हजार क्राइम्स की बढ़ोतरी हुई है। श्रीमन् क्या कारण है, कभी सरकार ने यह जानने की कोशिश की है? इसका एक मात्र कारण यही है कि हर मामले के अन्दर दखलन्दाजी होती है। न आई. जी. पी. अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और न डी. आई. जी. पी. अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, न आज एस. पी. अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। जब तक आप आफिसर्स पर रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक क्राइम्स रुकने वाले नहीं हैं। यह क्राइम्स बढ़ेंगे, मैं यह कह सकता हूं।

कोई एस. पी. किसी थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। गृह मन्त्रीजी को पता ही नहीं है, एक एक थाने में चार-चार थानेदारों को भेज दिया जाता है, ट्रान्सफर कर दिया जाता है। उनके खुद के जिले का एस. पी., गंगानगर का एस. पी. छुट्टी लेकर बैठ गया। उसने सरकार को लिख दिया कि वह किसी भी कीमत पर जोइन करने को तैयार नहीं है, और वह काम नहीं कर सकता क्योंकि गृह मन्त्री रोजाना के काम में हस्तक्षेप करते हैं। जो अनडिजायरेबल एलीमेन्ट्स हैं, जो बैड करेक्टर के लोग हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। दो महीने तक वह छुट्टी पर रहा लेकिन आखिर नौकरी पेट के लिये करते हैं, उसको मजबूर होकर वहां पर ड्यूटी जोइन करनी पड़ी। श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक 80 हजार की चोरी हुई, इस बात को एस. पी., डी. एस. पी. और आई. जी. सभी जानते हैं और जनता पार्टी के विधायक भी जानते हैं आप उनसे पूछ लीजिये। मुझे मालूम नहीं उस मामले में क्या हुआ। वायरलैस के आधार पर वहां के थानेदार का तबादला कर दिया गया। यह सरकार जल्दी ही डूबेगी, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद इस जहाज में भी छेद हो गया है।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं बताया गया है कि इस प्रान्त की बेरोजगारी को आप किस प्रकार से दूर करेंगे। मैं, श्रीमन् इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोक सभा चुनावों के अन्दर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं देश के अन्दर, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायगा। लेकिन ये बातें केवल चुनावी वायदे ही होकर रह गईं। बंगाल में सी. पी. एम. की सरकार है, उसने अपने सीमित साधनों के होते हुए भी इस कदम को उठाया। आप भी राजस्थान में इसको कर लेंगे तो यह आपकी एक बड़ी उपलब्धि होगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप सी. पी. एम. में चले जाइये।

Page No 84

(84)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक और निवेदन, श्रीमन्, मैं करना चाहता हूं। इस अर्से में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई है वह है सारे देश के अन्दर कमीशनों की भरमार। यह केवल कमीशनों की सरकार होकर रह गई। लेकिन जनता ने इसको नहीं माना। चुनाव के मौके पर ग्रोवर कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन जनता ने समझ लिया कि यह राजनीतिक कृत्य है और उसने उसका करारा जवाब दिया। यही नहीं जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किये थे। लोगों को बुली करने की कोशिश की है, उनको धमकाया लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि कर्नाटक में हमारी जीत निश्चित है, महाराष्ट्र में हमको पूर्ण बहुमत मिलेगा लेकिन वहां जो आया वह आपके सामने है। मैं यह कहना चाहता हूं ग्रोवर कमीशन की रिपोर्ट आपने प्रकाशित की उसको आप देख लीजिये। मद्रास में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को भी आपने देख लिया। जस्टिस छागला ने क्या कहा, बीजू पटनायक ने क्या कहा, प्रतापसिंह बादल ने क्या कहा, इन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता। इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। हर बात को राजनैतिक तरीके से सैटल करती है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां नहीं हैं, उस चीज को बार-बार दोहराते हैं। श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम, आठ-नौ महीने हो गये हैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात को कहना तो बन्द कर दें कि आपके समय में ऐसा हुआ था। आपको आठ नौ महीने का मौका मिला, मगर आज भी जनता में असन्तोष है। कई जनता पार्टी के माननीय सदस्य भी असन्तुष्ट हैं। अगर समय रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो फिर इस सरकार का भगवान ही मालिक है।

श्रीमन्, एक बात और मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक आपके कार्यकलापों का सवाल है, माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा पिछले 9-10 महीने के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहते हैं, श्री राजनारायण श्री चन्द्रशेखर भी क्या कहते हैं आपके कार्यकलापों के बारे में। आपके दोनों वरिष्ठ नेता सन्तुष्ट नहीं है आपके कार्यकलापों से, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। श्रीमन्, इनके यहां पार्टी के अन्दर ही वफादारी नहीं है।

श्रीमन्, मैं दूसरी बात की ओर आपके मार्फत सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले सुयोग्य महामना और काबिल स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजनारायणजी ने कहा कि उनको मालूम हो जाता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन, श्रीमन् कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ उसका सपना उनको एक महीने पहिले नहीं आया। मैं निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जानी चाहिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, मुझे दो बातें और कहनी हैं। एक बात यह कही गई कि बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो राजस्थान के अन्दर हैं उनको राजस्थान सरकार सब्सिडी देगी जो इण्डस्ट्री लगायेंगे। जहां तक मेरा ध्यान है पिछले बजट भाषण के अन्दर 25-30 लाख का प्रावधान भी इस बात के लिए किया गया था कि जो पिछड़े जिलों में इण्डस्ट्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लगायेंगे उनको अनुदान दिया जायगा। लेकिन, श्रीमन्, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक पैसे का भी उपयोग सब्सिडी देने के अन्दर नहीं हुआ।

इसी तरह से बिजली के बारे में तत्कालीन बिजली मन्त्री जो, जो आज कल गृह मन्त्रीजी हैं, ने इस बात को कहा था सदन के अन्दर कि काश्तकार के ऊपर जो मिनिमम चार्ज है उसको समाप्त करेंगे। इसकी घोषणा की थी लेकिन आज दिन तक वह नहीं किया गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो बिजली की हालत है, आज जो फलक्चुएशन हैं, जो मोटर चला रहे हैं, आज जो मोटर रीडिंग है, वह सभी जानते हैं। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं रोका गया तो इसका उत्पादन पर भी विपरीत ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

असर पड़ेगा और उत्पादन गिरेगा।

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने 20 मिनट के लिये आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मुझे आश्वासन दिया था कि समय के अन्दर ही समाप्त कर देंगे। मैं उस आश्वासन की याद दिला रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे बड़ा ध्यान है, श्रीमन्। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने मुझे बीस मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो रिकार्ड पर नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आज्ञा हो, श्रीमन्, तो सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। वह है भ्रष्टाचार के बारे में।

चौपड़ के ऊपर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, पूरा का पूरा भाषण इस पर है दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जायगा, भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटा दिया जायगा। लेकिन, श्रीमन्, हुआ क्या? चौपड़ से भ्रष्टाचार चला और राजस्थान के गांव-गांव के अन्दर पहुंच गया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है राजस्थान के अन्दर। राजस्थान में भ्रष्टाचार आगे बढ़ा है। यह राज्य सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम नहीं है, इसको रोकने के लिये कठोर कदम उठाने में सक्षम नहीं है। बिना सख्त कदम उठाये राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी ऐसे कुछ सख्त कदम उठायें। भ्रष्टाचार प्रशासन में बढ़ने का कारण क्या है? राजनेताओं द्वारा भ्रष्ट आदमियों को संरक्षण मिलना है। इसलिए जब तक प्रशासन में हस्तक्षेप को नहीं रोकेंगे तब तक भ्रष्टाचार को राजस्थान के अन्दर नहीं रोक पायेंगे।

शिक्षा के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस शिक्षा का सर्वनाश सत्यानाश कर दिया है और भट्टा बिठा दिया है, श्रीमन्, इसलिए उस बारे में चर्चा करना ठीक नहीं। सभी सदस्य जानते हैं। कल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बन्सीलाल सारस्वत।

श्री बन्सीलाल सारस्वत (नागौर) : उपाध्यक्षजी, लूणकरणसर से आने वाले

(श्री बन्सी लाल सारस्वत)

माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिनको देखना है और जिनको यह स्वर्ण स्वप्न सता रहा है वे कह रहे हैं कि यह केवल मात्र कल्पना मात्र है, केवल मात्र धोखा है, केवल मात्र दिखावा है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। मैं प्रारम्भ में ही निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र शराब और केवल मात्र जुए के आधार पर लिछवी जैसे गणराज्य समाप्त हो गये और स्वयं कांग्रेस का शासन राजस्थान में लगा। इस 8 महीने की अवधि में लाटरी को पूरा कर दिया, समाप्त कर दिया। इस वर्ष जो शराबबन्दी के लिये कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे राजस्थान के आधे क्षेत्र में शराबबन्दी हो जाएगी तो क्या ये दो नीतियां, क्या ये दो कदम जो उठाये गए हैं वे काबिले तारीफ नहीं हैं? यदि केवल इस कारण से इसका विरोध करते हैं कि जो राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण पेश किया है वह उन द्वारा लिखित नहीं था तो क्या सम्पूर्णानन्द या और किसी राज्यपाल के समय में होता तो वे भूरि-भूरि प्रशंसा करते। जनता शासन में यह भाषण आया है केवल इस नाते उनके यह विचार हैं कि उन्हें इसका विरोध करना है। इस कारण विरोध करना सर्वथा अनुचित है।

अभी एक लेख कल के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है। इस लेख के लेखक ने यह बताया है कि राजस्थान सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या उसने काम किया है, इसका दो पंक्तियों में उल्लेख किया है। इन दो लाइन्स को देखने से जाहिर होगा कि सरकार की उपलब्धियां व कार्य कलाप क्या हैं:

"The situation in the H di-speaking States is ofcourse by no means static. the Hatijans and the landless. who had go e over to the Janta last M rch because of Mr. Sanjay Gandhi's forcible sterlisation drive. are back into Mrs. Gandhi s fold as a result of the feeling of insecurity that appears to have spread in the countryside under the Janta dispensation The performance of the new ministries, with the exception of Rajasthan, cannot impress anyone."

उत्तर भारत में राजस्थान में जनता पार्टी के क्या कार्य कलाप हैं, क्या उपलब्धियां हैं वह अपने आप में एक अपवाद है, उसने बहुत कुछ किया है। राजस्थान में अन्त्योदय योजना प्रारम्भ की विद्युतीकरण और ग्रामों के औद्योगीकरण की नीति निर्धारित की राजस्थान में जो असंतुलन व डिस्पेरेटीज पैदा हो गई थीं उनके ऊपर जो कुठाराघात मौजूदा स्थिति में हुआ है और जो नए हालात पैदा हुए हैं उनके लिये जनता पार्टी की सरकार कम से कम प्रशंसा की पात्र है। उपलब्धियों का वर्णन अभिभाषण में किया गया है। साथ साथ में यदि सुधार के रूप में चाहे विरोधी पक्ष से कोई विचार आते हैं, चाहे सत्ता पक्ष से विचार आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिये। इस संबंध में मेरी खुद की मान्यता है और मैं समझता हूं इस सदन के बहुत से सदस्यों के भी ये विचार हैं कि लोग उम्मीद करते थे कि ऐसा लगा आमूलचूल परिवर्तन आएगा जिसके बलबूते पर नया मोड़ दिया जा

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)

सकेगा। ऐसा साहसिक कदम नहीं उठाया गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। राजस्थानी में कहावत है 'रावला घोड़ा, बावला सवार' वर्षों से कांग्रेस शासन ने देश को खोखला किया। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बहुत बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये सफेद हाथी, लाल फीताशाही बहुत हद तक प्रशासन को पकड़े हुए है। उनमें ईमानदार अधिकारी भी हैं मगर जहां तक मितव्ययता का प्रश्न है, जहां तक अपव्यय कम करने का प्रश्न है, इस जमात को कम करने का सवाल है, चाहे निम्न श्रेणी का अधिकारी हो चाहे उच्च श्रेणी का अधिकारी हो, राजस्थान के इतिहास में ऐसा कोई साहसी अधिकारी नहीं आया जिसने कहा हो कि वर्तमान संख्या की आधी में मैं अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में काम करने को तैयार हूं। कांग्रेस शासन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 1500 पटवारी, 100 तहसीलदार और 200 लैंड रेवेन्यू इन्सपेक्टर बढ़ाने के लिए प्रावधान रखा गया, और भर्ती की गई। उस समय भी मैंने मुख्य मंत्री को पत्र भेजा था और उनसे निवेदन किया था कि आज भी पटवारी सर्किल की कई इकाइयां हैं जहां भू-राजस्व की आमदनी कम है और खर्चा अधिक है तो 1500 पटवारियों की बहुत बड़ी जमात, साथ साथ 100 तहसीलदारों की जमात, 200 इन्सपेक्टर्स की जमात, जिनका कम से कम खर्चा 2 लाख से ज्यादा आता है, बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? यदि पूर्व में ऐसा प्रावधान किया गया था तो भी बाकायदा कर्टेल किया जा सकता था।

तो एक तो मितव्ययता के पहलू का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है दूसरे अपव्यय को कम करने का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

सामान्य देश के दुखी, दीन और दरिद्र, जिस राज्य में 56 प्रतिशत मार्जिन के बिलो हैं उनके शासनकर्ता के रूप में अधिकारियों से और मंत्रियों से प्रतिनिधि होने के नाते कम से कम अपेक्षा की जाती है कि आलीशान मकान में बैठने वाले न हों। ऐसा प्रतिनिधि किसी भी समय, किसी भी स्थिति में देश और राज्य के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। परन्तु आज भी 20–20, 15–15 कमरे वाले मकान अधिकारियों के पास हैं और जो दफ्तर हैं वह बड़ी बड़ी राशि के किराए वाले भवनों में चल रहे हैं। ऐसे मकान चाहे मंत्रियों के पास हों या अधिकारियों के पास हों, उनके द्वारा ऐसा उदाहरण पेश किया जा सकता है कि छोटे भवन में रह सकते है। एक तरफ आलीशान वाणिज्य कर भवन, उद्योग भवन बनाए जा रहे हैं दूसरी तरफ उनमें एयर कन्डीशन की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन सुविधाओं में कमी करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त करता हूं। थोड़ा सा दो मिनट और निवेदन करना है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन हालात में हमारे बजट में अधिकारियों के भवनों के अन्दर मितव्ययता की जानी चाहिये। इसमें कटौती करने की आवश्यकता है। हमें मितव्ययी रास्ते अपनाने की जरूरत है। एक मोड़ देने की आवश्यकता है। यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कुछ कामों में

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)
जब तक हम मितव्ययता नहीं बरतेंगे तब तक चाहे आप कितना ही टैक्स भार लाद दें, चाहे आप कितना कुछ क्यों नहीं कर लें, चाहे जितनी बातें हम कर लें उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके लिये जरूरी है कि जो लोग एट दी हेल्म आफ अफेयर्स बैठे हैं वह लोग मैं नहीं कहता कि कोई कुटिया में जाकर या झोंपड़ी में जाकर रहें पर जब तक यह लोग कोई आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकेगी। हमें अपने राज्य के बजट को संतुलित करना होगा।

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि राजस्थान नहर की जो लिफ्ट सिंचाई योजना का भाग है, उपाध्यक्ष महोदय, वह वास्तव में हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग है। यह वह भाग है जहां पर हर साल अकाल पड़ता रहता है। वहां के लोग हर साल अकाल की चपेट में आते रहे हैं। वहां के लोग अकाल के कारण बहुत ही दुखी हैं और वहां के बच्चे भूख से तड़फते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी भाग विशेष तौर से नागौर, जोधपुर, और बीकानेर का दक्षिणी भाग तथा नोखा की तहसील का एरिया ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां के लोग हर दूसरे-तीसरे साल अकाल के कारण मालवा जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बरबादी है। इस एरिया में क्या उपाय किये जा सकते हैं जिससे कि अकाल समाप्त हो सके, इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बैठायी जानी चाहिये या हाई पावर कमेटी बैठायी जानी चाहिये और इसके लिये कदम उठाये जाने चाहिये ताकि अकाल की समस्या का हमेशा के लिये निवारण हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य अभी बोल। बाकी हैं और वह बोलना चाहेंगे। इनमें कई दल के व्यक्ति हैं। बोलने की सीमा भी वैसे नहीं है चाहे जितना बोल लें।

श्री बंसीलाल सारस्वत : दो मिनट के लिये याचना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री बंसीलाल सारस्वत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका नागौर, फलोदी, नोखा, बीकानेर का इलाका है जिसका न तो गंगा और यमुना की नहरों से सम्बन्ध हो सकता है और न यहां पर नर्मदा और चम्बल का पानी ही आ सकता है। ऐसे हालात में अगर वहां पर लिफ्ट योजना, जो कि राजस्थान नहर का है, को पूरा नहीं किया गया तो यह इलाका उपेक्षित का उपेक्षित ही रह जायेगा। यह वह इलाका है जिसकी मदद की जानी चाहिए। यह इलाका हमेशा से ही अकाल से पीड़ित रहा है। इसके लिए यदि यह कहें कि खर्चा अधिक इस लिफ्ट योजना पर आयेगा तो यह उचित नहीं होगा। हमारा एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में कामर्शियल माइन्डेड होकर योजना बनाना उचित नहीं है। आप किसी योजना को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वह इकानामिक नहीं रहेगी, यह वाणिज्यिक

(श्री बन्सीलाल सारस्वत)

आधार रखना उचित नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस क्षेत्र के अन्दर ऐसी योजनायें बनाने की जरूरत है ताकि वहां के लोग समृद्ध हो सकें। जब तक आपका कार्माशियल आधार रहेगा तब तक यह भाग पीड़ित रहेगा। आज यह स्थिति पश्चिमी राजस्थान की जो है उसका कारण है वहां की ज्योग्राफीकल पोजीशन। ज्योग्राफीकल पोजीशन के कारण चम्बल के आसपास के इलाके वॅटर प्लेस्ड हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि राजस्थान के उन पश्चिमी इलाकों के लिए कारगर कदम उठाये।

बस अन्त में मैं इन हालात में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल के कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और दूसरे दलों के लोग भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस दल के लिए 20 मिनट रखे हैं। मैं उसमें कोई प्रकार फेरबदल नहीं करना चाहूंगा। जो भी अध्यक्ष महोदय ने समय जिन-जिन पार्टी के लिए निर्धारित किया है उसी अनुसार मैं कार्यवाही करूंगा। मेरे पास सूची है उसी के अनुसार बोलने वाला को प्राथमिकता दूंगा। माननीय सदस्य धैर्य रखें। सभी को बोलने का मौका मिलेगा। अभी तो बजट के ऊपर जब वाद-विवाद होगा तब भी माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश यह है कि आपको विपक्ष में बैठने वालों को ज्यादा समय देना चाहिये। जनता पार्टी वाले लोग तो जाकर मन्त्रियों से डाइरेक्ट मिल सकते हैं, तथ्य उन्हें बता सकते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को रख सकते हैं पर कांग्रेस वाले लोग ऐसे हैं जो कि तथ्य सिर्फ हाउस में ही रख सकते हैं। इसलिये हम लोगों को बोलने का ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि जो समय निर्धारित किया गया है वह माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्धारित किया है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने में मैं असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज तैयारी करके आई हूं अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन को बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम निर्दलीय लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? कल भी हमें बोलने का मौका नहीं मिला। आपने आश्वासन दिया था समय देने का।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको बोलने के लिए समय देने के लिए आश्वासन दिया था। मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, 11 से लेकर 6 बजे के बीच में कब समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

सर्व प्रथम हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि हम लोगों को सदन में किस प्रकार की भूमिका निभानी है। हमारे कर्त्तव्य क्या हैं ? किस प्रकार से हमें अपने कर्त्तव्य निभाने चाहिये। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तीन प्रमुख कर्त्तव्य हैं, सर्व प्रथम तो यह कि हम जन समस्याओं को किस प्रकार सदन में रखें, किस प्रकार उन समस्याओं के तथ्यों को रखें, तथा उनका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो कर्त्तव्य है वह यह है कि प्रशासनिक दृष्टि से जो भी विसंगतियां आज हमारे यहां चालू हैं उन विसंगतियों को किस प्रकार से दूर किया जाये, उनका निवारण किस प्रकार हो सकता है। तीसरा हमारा कर्त्तव्य जो है वह मुझे यह लगता है कि आज हमारे यहां जो प्रचलित कानून है, जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों से क्या समस्यायें पैदा हमारे यहां हो जाती हैं और उन को किस प्रकार दूर किया जाये। इन सभी बातों पर सोचना अपेक्षित है। मुझे यह कहने में संकोच अनुभव होता है कि जो लोग कई सालों तक सत्ता पक्ष में रह चुके हैं उन्होंने विपक्ष में आने के बाद किस प्रकार की भूमिका निभायी। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों के इधर या उधर बैठ जाने से; सत्ता पक्ष में रहने से या सत्ता पक्ष के विरोध में बैठने से क्या जन समस्याओं में परिवर्तन आ जाता है ? मेरी यह मान्यता है और, यह दृढ़ विश्वास है और माननीय सदस्यों को भी यह मानना होगा कि जन समस्यायें इधर या उधर बैठने से परिवर्तित नहीं होती हैं। उनके मन में, संकल्प में परिवर्तन आ सकता है पर जन समस्यायें तो वही की वही हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष में बैठकर कोई माननीय सदस्य जन समस्याओं को उजागर नहीं कर सकता है और विपक्ष में बैठकर माननीय सदस्य जन समस्याओं को ज्यादा उजागर कर सकते हैं या कोई नई समस्यायें पैदा हो जाती हैं। समस्यायें तो वही की वही हैं। सत्ता परिवर्तन होने से कोई जन-समस्यायें बदल जायें या उनमें परिवर्तन आ जायें यह बात सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कल का एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य कोलायत से आते हैं वह भावावेश में आ गये, उन्होंने जो सदन में बयान दिया वह कल रिकार्ड भी हुआ था। उन्होंने यह कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाय और अगर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया तो मैं अकेला ही सदन की कार्यवाही को ठप्प कर सकता हूं और सदन की कार्यवाही को आगे नहीं चलने दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आॅर्डर रेज करना चाहता हूं...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी कोई भावना नहीं है उनके लिये कुछ कहने की...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का पाइन्ट आफ आॅर्डर है। उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : . . . . अगर मेरे कल के कथन में कोई बात अनपार्लियामेन्ट्री होती तो उस समय स्पीकर महोदय चेयर पर थे उसको वह एक्सपन्ज कर सकते थे। अगर किसी कथन को एक्सपन्ज नहीं किया गया तो आज इस ढंग से इनडाइरेक्टली इम्पलाइडली और उसको एसोसियेट करके पेश नहीं किया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि पाइन्ट आफ आॅर्डर क्या होता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप से सीख लेंगे। यह चमचागिरी हमें नहीं आती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं माननीय सदस्य की भावना के ऊपर चोट नहीं करना चाहता हूं। जैसा मैंने कल उनकी भावना को समझा था मुझे लगा था कि वह भावावेश में कह गये कि आप नहीं बोलने देंगे तो मैं अकेला व्यक्ति सारे सदन को नहीं चलने दूंगा। तो इस प्रकार की बातें करके हम शायद जनता का विश्वास ही खोयेंगे और इससे हमारे प्रति जनता का विश्वास उठेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन प्रकार के कार्य मेरी समझ में आये उनको मैंने प्रकट करने का अवसर समझा है। जन समस्या का समाधान करने में इस अभिभाषण में पर्याप्त सामग्री है। उनकी धन्यवाद प्रस्ताव में जितनी स्तुति की जाये और जितना उसके लिये कहा जाये उतना ही कम होगा समस्या का समाधान करने के लिए। आज कितनी ही समस्यायें हो सकती हैं। बिजली की समस्या हो सकती है, सड़कों की समस्या हो सकती है, आयुर्वेद की और हास्पिटल की समस्या हो सकती है लेकिन सबसे पहली समस्या जो इस देश की, हमारे इस प्रान्त की है वह यह है कि गरीबों को किस प्रकार से भोजन मिले। हम इस बात को मानेंगे कि सबसे प्रमुख समस्या है गरीबों की समस्या को कैसे सुलझाया जाये। जिस प्रकार से अन्त्योदय योजना का जिक्र किया गया है और जो क्रियान्वयन इस सरकार ने किया है उसकी जितनी भी स्तुति की जाये उतनी कम होगी। लेकिन यह कह कर मैं इस प्रकार की बात नहीं कहना चाहता कि उसमें किसी प्रकार की कमियां नहीं हैं। मैं जहां तक जानता हूं किसी भी व्यक्ति ने इस अन्त्योदय योजना को सैद्धान्तिक रूप से बुरा नहीं माना है लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सुझाया कि इसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है। उनकी कठिनाइयों की तरफ अवश्य इंगित किया है। मुझे भी अपने क्षेत्र में घूमते हुए और जन समस्याओं का अध्ययन करते हुए ऐसा लगा कि अन्त्योदय योजना के लिए बैंकों के सामने बहुत कठिनाइयां हैं। अन्तिम स्तर पर खड़े हुए व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और लोन देना चाहते हैं तो जमानत की बहुत बड़ी कठिनाई है और बैंकों के लिए यह व्यवहारिक कठिनाई है। बैंक भी इस विषय पर चिन्तित हैं और जन प्रतिनिधि भी चिन्तित हैं। लेकिन इसका उपाय किसी ने नहीं सुझाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में ऐसा लगता है कि इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो अन्त्योदय योजना का बहुत कुछ महत्व कम हो जायेगा। इस समस्या के निराकरण के लिए मैं चाहता हूं कि पंचायत स्तर पर पंचायतें और नगरपालिका क्षेत्र में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नगरपालिकायें हैं, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो लोग आते हैं उनकी गारन्टी इन दोनों संस्थाओं की ओर से दी जानी चाहिये। यह दोनों संस्थायें ही इस प्रकार की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकती हैं। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। गारन्टी देने के लिए कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके लिए राज्य सरकार विचार कर सकती है। मेरा यह सुझाव है और मुख्य मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह जवाब दें तो इस समस्या के समाधान के लिए भी मंत्रिमण्डल की राय हो तो वह जरूर सदन के समक्ष प्रकट करें। पंचायतों को पंचायत क्षेत्र में और नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिकाओं को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की गारन्टी देने में किस प्रकार की कठिनाई हो सकती है, यह मुख्य मन्त्री जी जरूर बतायें। मैं समझता हूं कि यदि यह सुझाव मान लिया जाये और इस प्रकार के अधिकार उनको दे दिये जायें और गारन्टी उनसे ले ली जाये तो मेरे ख्याल से अन्त्योदय की योजना पूरी हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वास्तव में कम समय होने के कारण मैं अपने विचार पूरे नहीं रख पाऊंगा। लेकिन एक विचार जरूर और रख देना चाहता हूं प्रशासनिक विषमताओं के बारे में। कभी-कभी यह इतनी भयंकर हो जाती हैं कि साधारण व्यक्ति को आज की प्रशासनिक सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा कि मेरे बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में एक भी एस. डी. ओ. कोर्ट नहीं है, एक भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है, सैशन्स कोर्ट नहीं है, कालेज नहीं है। एक साधारण सी जमानत की दरख्वास्त के लिए दूसरे विधान सभाई क्षेत्र में जाना पड़ता है। कृषि उपज मण्डी की बात हुई। इस प्रकार की यदि विषमताएं रहती हैं जिसमें एक तहसील के व्यक्ति को दूसरी जगह जाना पड़े और पचास-पचास और सौ-सौ किलोमीटर जाने की नौबत आती है तो यह सोचनीय विषय है। एक जिले की संरचना के संबंध में यद्यपि आज प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न आया था, मैं सोचता हूं कि एक जगह की दरख्वास्त के लिए दूसरी जगह जाना पड़े तो इससे जन समस्या का निराकरण नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस संबंध में अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि मूल्यों और समय परिवर्तन करने की बात है। मूल्यों का परिवर्तन करने की बात आती है तो इस तरह की छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यही बात कहकर मै समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करतार सिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां विधान सभा में दिनांक 28-2-78 को अभिभाषण दिया उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं और उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक प्रकार से राज्य सरकार की नीतियों की ओर इंगित करता है। इस अभिभाषण से राज्य सरकार की नीति साफ जाहिर होती है और मैं यह कहूं कि राज्य सरकार ने अपने अल्प काल में राज्य में राजस्व अभि-

(श्री करतार सिंह)

यान चलाया और शांति-व्यवस्था बनाये रखी, इसके लिए मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि आपने चुनावों के समय चुनाव घोषणा-पत्र में जो वायदे किये थे कि गांवों और शहरों के बीच की जो खाई है उसको दूर करेंगे, गांवों का विकास करेंगे तो इस अभिभाषण में मुझे ऐसी नीति कहीं नजर नहीं आई। निश्चित रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सरकारी पक्ष में बैठे हैं यह सब गांवों के रहने वालों की महरबानी से बैठे हैं। आपको उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि आज गांव के किसान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। विद्युत् विभाग आज किसानों के लिए सबसे बड़ी आफत बना हुआ है। किसानों को रात-रात में बिजली दी जाती है। सर्दी का मौसम है और रात में उनको अपनी फसलों को पानी देने के लिए बिजली मिलती है। क्या वह रात रात भर बैठकर तपस्या करता रहे? उद्योगों को आप दिन में बिजली देते हैं, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से यह किसान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि सरकार का यही रुख रहा तो इस राजस्थान का किसान संघर्ष करेगा। इसका नतीजा क्या होगा इसको भूतपूर्व सरकार समझ चुकी है। मैं कह रहा था, माननीय उपाध्यक्षजी, किसान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उद्योगपतियों को 5 पैसे यूनिट में बिजली दी जाये और किसान को 25 पैसे में दी जाये, ऐसा क्यों? क्या किसान सरकार का भागीदार नहीं है? मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार, जनता सरकार निश्चित रूप से किसानों की समस्या की तरफ ध्यान देगी।

इसके साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं गांवों में रहता हूं और मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में लगभग हर गांव में बिजली पहुंच गई है लेकिन लोगों को समय पर बिजली नहीं मिलती है। जब भी मैं विद्युत् विभाग के अधिकारियों से मिलता हूं तो उनका यही जवाब मिलता है कि बिजली में कटौती आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध करायें। यदि बिजली उपलब्ध नहीं करायेंगे और उनकी फसल जल जायगी तो निश्चित रूप से किसान को होने वाली हानि के लिये सरकार जिम्मेदार है। किसान की इसमें क्या गलती है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दे।

राज्य में अभी कराये गये पंचायतों के चुनावों के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं पंचायत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी भ्रष्ट कांग्रेसी सरपंच गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की शीघ्र जांच कर उन्हें शीघ्र अपदस्थ किया जाये।

दूसरी बात, इस अभिभाषण में बताया गया कि राज्य के 12,200 गांवों को अभाव-

(श्री करतार सिंह)

ग्रस्त घोषित किया है। 49. 50 लाख रुपया राज्य सरकार ने प्रभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य चालू करने के लिये स्वीकृत किया है और लगभग 16 हजार मजदूर कार्यरत हैं। यह फिगर देखा जाय और इन प्रभावग्रस्त गांवों की जनसंख्या को देखा जाय, तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राहत कार्यों के लिये स्वीकृत यह धन राशि ऊंट के मुंह में जीरा है। हम एक तरफ जनता से कह रहे हैं कि आपके गांव में अकाल राहत कार्य खोले जायेंगे परन्तु अभी तक कोई राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। जिन गांवों को प्रभावग्रस्त घोषित किया है वहां अकाल राहत कार्य शीघ्र खोले जायें। आज राहत कार्यों में मजदूर को 3 और अढ़ाई रुपया मजदूरी दी जाती है और एक निर्धारित मात्रा में काम पूरा न करने पर, उसमें से भी वेतन काट लेते हैं। यह उनके साथ अन्याय है। मजदूर को मजदूरी पूरी दी जानी चाहिये। मेरे क्षेत्र के मजदूर कार्य करने हेतु दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जाते हैं। मेरे क्षेत्र के 161 गांव प्रभावग्रस्त होने से मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका तथा राज्य सरकार के आश्वासन के अनुकूल ही कहा कि यहां तुरन्त राहत कार्य खोल दिये जायेंगे। परन्तु आज तक कोई राहत कार्य नहीं खुले हैं तथा परीक्षण कार्यों में उन्हें मजदूरी भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भी कम दी जाती है। अत: मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें और उनकी मजदूरी बढ़ायें और राहत कार्य चालू करायें।

हमारे अजमेर जिले में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुख्य समस्या सिंचाई की है। आज भी कई गांवों में सिंचाई के साधन नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, लघु सिंचाई के तहत छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण करें ताकि भूमि में सिंचाई सम्भव हो सके। राजस्थान नहर में, माही, बजाजसागर आदि योजनाओं में करोड़ों रुपये लगा रहे हैं लेकिन लघु सिंचाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह निश्चित रूप से अजमेर जिले के किसानों के साथ अन्याय है।

इसके साथ ही मैं आपको यह बता देना चाहता हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट लूंगा।

गांवों के साथ पिछले तीस वर्षों से लगातार भेदभाव होता रहा है, उस को दूर किया जाना चाहिये।

इस अभिभाषण में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए कहा गया कि एक तीन करोड़ रुपये के मुख्य मंत्री सहायता कोष की स्थापना की जायेगी जिसमें 30 लाख प्रति वर्ष आमद होगी। यह पैसा भी वहीं खर्च होगा जहां कि उसके बराबर अनुदान जन सहयोग से मिलेगा। आज तक बड़े बड़े शहरों में अस्पताल बनाये गये हैं, स्कूल कालेज बनाये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वहां इन शहरों में कितना जन सहयोग मिला? जब कि गांव में कोई भी सुविधा उपलब्ध करवाने की बात आती है तो यह शर्त लगा दी जाती है कि उतनी ही धनराशि

(श्री करतार सिंह)

जन सहयोग से मिले। यह गांवों के साथ सरासर भेदभाव एवं अन्याय है। सामाजिक एवं कल्याणकारी. सेवाएं हर नागरिक को उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का नैतिक कर्त्तव्य है। अतः मेरा निवेदन है कि आप गांवों में चिकित्सालय खोलिये। आज गांव वालों के पास खाने को नहीं, भूखों मर रहे हैं। वे बराबर का योगदान कहां से देंगे ? यह राज्य सरकार का दायित्व है, इस ओर अवश्य ध्यान दें।

अब मैं भ्रष्टाचार के ऊपर दो शब्द कहना चाहता हूं। राज्य में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा हुआ है। सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है उस पर सरकार निगाह रखे। इसका उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम तिलोनिया में राज्य सरकार के विकास विभाग की एक बहुत बड़ी बिल्डिग है जिसमें लगभग 100-150 मकानात व कृषि योग्य साढ़े सैंतीस एकड़ जमीन तथा तीन कुए हैं। इस बिल्डिग में लगभग 12 वर्षों पूर्व ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र चलता था। उसे बन्द कर दिया गया। यह बिल्डिग प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर एक स्वयं सेवी संस्था को, 1 रुपया प्रति माह किराये पर दे दी। उस संस्था का नाम समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया है। यह स्वयं सेवी संस्था है। चूंकि उस संस्था के संचालक की धर्मपत्नी पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रह चुकी हैं अतः प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको फायदा पहुंचाने के लिये यह बिल्डिग नामीनल रेंट पर उस संस्था को दे दी जिससे राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ रही है। यही नहीं, यह संस्था अपना कार्यालय वहां स्थापित कर समाज सेवा के नाम पर लाखों रुपये विदेशी संस्थाओं, राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रही है तथा कोई रचनात्मक कार्य न कर समाज सेवा के नाम पर लाखों रुपयों का दुरुपयोग कर रही है। क्षेत्रीय जनता में इस भ्रष्टाचार के प्रति रोष है। इस संस्था की कई शिकायतें की गई, परन्तु ये प्रशासनिक अधिकारी उन्हें बचा लेते हैं तथा शिकायत पत्रों को दबा देते हैं। अतः, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि उस संस्था से यह बिल्डिग पुनः ली जाये। उस संस्था को वहां से हटाया जावे व अन्य कोई राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र पुनः इस बिल्डिग में खोला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण केवल सरकार की झूंठी आत्म प्रशंसा का ब्यौरा एवं केवल अनौपचारिकता निभाने का थोथा दस्तावेज है क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले 8 महीनों की ठोस उपलब्धियों और भावी नीतियों का दर्पण नहीं होकर मुख्य मन्त्रीजी द्वारा दिये गये भाषणों एवं प्रचार और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रसारित प्रेस विज्ञप्तियों का अस्त-व्यस्त संकलन है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, केवल एक बात के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अवश्य धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन किया जा सकता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्त में जो शब्द कहे हैं मैं सदन में उन्हें दोहराना चाहती हूं, वह एक तरह से राज्य सरकार को आगाह करते हैं और हमें एक विश्वास दिलाते हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं आपकी मार्फत सदन को यह बताना चाहूंगी कि वे इस बात को ध्यान में लें। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि "मुझे विश्वास है कि बजट पर विचार विमर्श करते समय आप राज्य के चहुँमुखी विकास की ओर ध्यान रखेंगे जिसके लिये हम सभी कटिबद्ध हैं।" इस बात के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की दुहाई देने वाली सरकार ने अभी पिछले दिनों पंचायतों के चुनाव कराये। चुनाव हुए लेकिन उससे पहले पंचायतों को भंग कर दिया गया। चुनी हुई नगरपालिकाओं को, जिला परिषदों को भंग कर दिया गया था। दिलेरी थी तो उन पंचायतों के रहते हुए चुनाव कराने थे। भंग क्यों कर दी? इस सरकार की नीति करने में कुछ और कहने में कुछ है। लेकिन कुछ भी हो, 13 साल के बाद चुनाव तो हुए। यह सरकार धन्यवाद की पात्र अवश्य है लेकिन चुनाव कराने की मन्शा क्या थी? जर्जर सामन्तवाद को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए पूंजीवाद का सहारा लेकर चुनाव कराये लेकिन यह प्रयत्न सफल नहीं हो पाया। लोगों ने सामंतवादी ताकतों को बुरी तरह पछाड़ा। जो कुछ दरअसल हुआ है वह आप भी जानते हैं। अगर इतना उत्साह है तो क्यों नहीं पंचायत समितियों के चुनाव कराये? आज तक क्यों नहीं जिला परिषदों के चुनाव कराये? माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज राजस्थान में जिस प्रकार का व्यवहार हरिजनों के साथ, गिरिजनों के साथ, गरीब किसानों के साथ, अल्प संख्यकों के साथ हो रहा है वह दूसरे दर्जे के नागरिक के तरह ही नहीं बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। आये दिन अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि हरिजनों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार है, उनकी जानमाल सुरक्षित नहीं, उनकी बहु-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। पिछले 8 महीने में....

(व्यवधान)

मैं समय ज्यादा लूंगी अगर इन्टरप्ट करेंगे तो।

वर्तमान गृह मंत्री महोदय ने अपना कार्य भार सम्भाला है तब से लेकर अब तक की बात करूंगी। अखबारों की कतरनें मेरे पास हैं। मैं मोटे तौर से उनको बताना चाहती हूं। 4-2-78 के बाद की कतरनें हैं जिनमें रोजाना बलात्कारों की घटनायें हैं। 11 तारीख के अखबार में बलात्कार, गुदा में डण्डा दिया गया, हरिजनों की हत्या यह 4-2-78 के नवज्योति अंक में है। उसके बाद हरिजनों की युवतियों से बलात्कार। 15 वर्ष की एक हरिजन लड़की से बलात्कार, फिर जाटों द्वारा हरिजनों पर हमला। यह दैनिक नवज्योति में है। यह एक और है हरिजन युवती के साथ बलात्कार···

(व्यवधान)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
उसके बाद जमीन के झगड़ों में हरिजनों की हत्यायें, जमीन वापस दिलाने के बारे में हरिजन युवती के साथ बलात्कार और हरिजनों को मारा गया-यह नवज्योति का है···

श्री मूल चन्द डागा: गर्दन नीची करो, शर्म खाओ।

(व्यवधान)

आपके चेहरों पर हंसी आ रही है···

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सभा में इस बात की चिन्ता प्रकट की गई है और कहा गया कि हरिजनों और पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिये आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया जाय। वाराणसी में हुई घटना तो किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खेत से घर आ रही युवती के साथ दिन दहाड़े बलात्कार, शराब के ठेकेदारों द्वारा बलात्कार हरिजन युवती के साथ बलात्कार। यह सब, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक महीने का ब्योरा है। यह केवल एक महीने की ही कटिंग हैं। यह आपकी सरकार के लिये क्या आंख खोल देने वाली बात नहीं है? उन पर कोई कार्यवाही न होना, यह किस बात का द्योतक है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही थी चुनावों की जो बात कही है, पंचायतों के चुनाव हुये हैं, विधान सभा के हुए हैं। यह बात सही है कि अन्त्योदय योजना के नाम पर सरकार ने प्रशंसा ली है। पहले भी कई सरकारों के मुख्य मंत्रियों को प्रशंसा मिली है लेकिन मुख्य मंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि की है इस अन्त्योदय योजना के नाम पर वे छबड़ा से चुनाव जीतकर आ गये। छबड़ा में सत्ता का, पैसे का और प्रशासन तन्त्र का जिस प्रकार तबीयत से खुलकर दुरुपयोग किया गया है···

श्री दाऊदयाल जोशी: आप भी गई थीं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह: जी हां, गई थी?

श्री मूलचन्द डागा: आप भी गये थे।

श्री टीकम चन्द कान्त: ये तो पोकरण जैसा कोई वहां विस्फोट करना चाहती थी···

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह: अफीम के पट्टे बांटकर, अन्त्योदय योजना के नाम पर पम्पिंग सैट देकर एवं कई प्रकार की सुविधायें देकर वहां के मतदाता को लोभ दिया गया। सरकारी आफिसरों ने और सरकारी कर्मचारियों ने न केवल मतदाताओं को डराया-धमकाया बल्कि किस प्रकार मतों को बटोरा, यह खुला जनतन्त्र का मखौल था। मैं कहना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी पांच चुनाव लड़े हैं-60 प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं पड़ते हैं लेकिन 73 प्रतिशत वोट पड़ना इस बात का स्वयं सिद्ध प्रमाण है कि न केवल सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया गया, अपितु भारी संख्या में वोट फर्जी डलवाकर चुनाव जीता गया।

श्री टीकम चन्द कान्त: पंचायतों में तो 90 प्रतिशत वोट पड़े हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: आज जनता पार्टी की इस सरकार के ऊपर ब्यूरोक्रेसी

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

हावी है। अफसरशाही के लिये जो बात कही गई है, उसके लिये मैं कहना चाहती हूं स्वयं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान दो बार ब्यूरोक्रेसी की प्रशंसा की है। 30 साल तक मैंने भी अभिभाषण सुना है और पढ़ा है लेकिन कभी भी मैंने अफसरशाही की इस प्रकार की कोई प्रशंसा राज्यपाल महोदय के किसी भी भाषण में न पढ़ी और न सुनी। मैं बताती हूं राज्यपाल महोदय ने तीन बार इस बात का जिक्र किया है–'शान्तिपूर्वक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया तथा शान्तिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन हम सबकी बधाई का पात्र है'। हांलाकि इसमें जनता भी आती है लेकिन जनता की प्रशंसा नहीं की गई है। दूसरे 'जनता, जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन की इस मिली-जुली त्रिवेणी ने इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है'। खैर, यह भी ठीक है। आगे है पेज 4 पर 'इस अभियान की सफलता में राजस्व कर्मचारियों तथा जन-प्रतिनिधियों ने जिस निष्ठा एवं श्रम से कार्य किया वह अनुकरणीय है जिसके लिये वे बधाई के पात्र है'। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उनकी अपने अभिभाषण के दौरान ब्यूरोक्रेसी की इस हद तक प्रशंसा करना उचित नहीं है। सरकार की जो नीतियां हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम सरकारी अफसरों व सरकारी मुलाजिमों का है। मैं निवेदन कर रही थी कि अन्त्योदय योजना एक मौलिक चिन्तन था गान्धीवादी विचारधारा का। इसकी घोषणा की तो मुझे भी लगा कि वित्त मंत्री ने एक, मौलिक चिन्तन के फलस्वरूप इस योजना को प्रारम्भ किया है और इसको अमली जामा पहनाया जायगा लेकिन इस अन्त्योदय योजना को जिस प्रकार क्रियान्विति की जा रही है, जिस प्रकार का इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है वह केवल एक स्टन्ट मात्र है। यह मैं इसलिये कह सकती हूं क्योंकि राज्यपाल महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। आपने क्या तो उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था की है? इस योजना के सुपरविजन की क्या व्यवस्था होगी? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त्योदय योजना राजस्थान के एक गांव के पीछे, जो कि 32 हजार के करीब गांव है, पांच-पांच परिवारों को आर्थिक तौर से खड़े करने की योजना है वह उनके उदय के बजाय जनता पार्टी के अन्त का उदय है...

श्री कैलाश मेघवाल (पंचायत मंत्री) : अन्त का उदय थोड़े ही होता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वृद्धावस्था पेन्शन की बात कही गई। वृद्धावस्था पेन्शन आप किसे दे रहे हैं, यह अन्त का उदय होना है। ओल्ड एज पेन्शन के नियम हैं एक क्राइटेरिया है मतलब है जिस आदमी के वारिस है, जिस आदमी के जायदाद है, जिसके नाम जमीन है उसको आप ओल्ड ऐज पेन्शन नहीं दे सकते हैं। एक तरफ अन्त्योदय योजना में इन फेमीलीज को आर्थिक रूप से सक्षम करते हैं, और दूसरी तरफ ओल्ड एज पेन्शन देते हैं–तो इन दोनों में विरोधाभास है। जब मैं अपने इलाके मे गई तो मुझे बताया गया, गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पालिसी है कि जो अन्त्योदय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
योजना में परिवार छांटे गये हैं, उनको ओल्ड ऐज पेन्शन तो मिलेगी ही।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह भी नहीं पाई कि आपने घंटी भी बजा दी।

तो मैं कह रही थी कि आपने अन्त्योदय योजना में 1 लाख 54 हजार परिवारों का चयन किया। केवल पांच हजार लोगों को ऋण की सहायता दी, 20 हजार लोगों को भूमि का आवंटन किया और 19 हजार को ओल्ड ऐज पेन्शन दे दी। तो ओल्ड ऐज पेंशन के साथ कैसे जोड़ेंगे ? यह मेरी समझ में नहीं आया। कैसे यह सब होगा ? आप स्वयं इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं। ओल्ड ऐज पेंशन कैसे उनको मिलेगी, कैसे उनका उदय होगा ? जिनका अन्त होने वाला है उनका उदय कैसे होगा ? दूसरा मान लीजिए कि आपकी योजना अच्छी है लेकिन मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी ? जिनको आप गाय दे रहे हैं, भैंस दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं उनको आप किस तरह से प्रस्थापित करना चाहते हैं ? इनके मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी ? वह ऋण वापस समय पर चुका सकें इसके लिए सुपरविजन कौन करेगा ? कौन इनको सुपरवाइज करेगा, इस मामले में आप स्वयं स्पष्ट नहीं हैं। कौन मार्केटिंग की व्यवस्था करेगा, कौन इन परिवारों को देखेगा, भालेगा ? सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान तक नहीं गया है। मैं यह जानती हूं कि इस प्रकार से जिन परिवारों को आपने चुना है उनमें नाइन्टी नाईन परसेंट ऐसे हैं जिनकी शराब की आदत है। आपने जो कुछ सहायता दी है वह आज उनकी शराब खोरी में जा रही है। आपने उनको छांटते समय क्या क्राइटेरिया रखा है ? आपने इस बात की व्यवस्था की कि जो आदमी शराब का प्रयोग करता है उसको इस योजना में नहीं लेंगे ? अन्त्योदय का समर्थन तो करते हैं लेकिन अगर यह ध्यान नहीं रखेंगे तो आप उनका उदय नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उनकी पांच-पांच पीढ़ियों तक का अन्त कर रहे हैं। जिनका आप उदय करना चाहते हैं उनको शराबखोरी से बचाने के लिए क्या उपाय किया है ? क्या आप शराब खोरी करने के लिए उसे सहायता देकर उसकी भावी पीढ़ियों के साथ न्याय कर सकेंगे ?

श्री नवरंगसिंह : इसके लिए कमेटी बनाई हुई है और उसको सहायता कोष में से नहीं दी गई है, यह शायद आपको मालूम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे सब मालूम है, आप शान्त रहिये।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो सहायता देंगे उसको वह शराब में खर्च कर देगा, वह अपने पशु भी बेच खायेगा, वह सब कुछ खा जायेगा। केवल शराब पीने के लिए आप उसको सहायता देते हैं तो आप उसका उदय नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका अन्त कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर अतिवृष्टि का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जिक्र किया है, अकाल का जिक्र किया है, बाढ़ का जिक्र किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बाढ़ के बारे में, अकाल के बारे में भी नहीं कहने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समय की परिधि का भी हमें ध्यान रखना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी पार्टी का समय बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी के व्यक्ति भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि आप ही उन सब का समय ले लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अकाल के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आंकड़े दिए गए हैं वे बड़े हास्यास्पद हैं, नाकाफी हैं। सदन के माननीय सदस्यों के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर वे इस बात पर बोलना चाहें तो उनको बोलने नहीं दिया जावे। यह और भी बड़े शर्म की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ बत्तीस हजार गांवों में से 12,200 गांवों में अभाव की स्थिति है जहां पर 16 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं और राज्य सरकार ने केवल 49.50 लाख का प्रावधान किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां बारह हजार दो सौ गांवों में सोलह हजार श्रमिक काम कर रहे हों और उनके लिए मात्र 49 लाख रुपयों का प्रावधान हो तो मैं समझती हूं कि आपने इस अकाल की गंभीरता को समझा नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है कि आज आजादी के तीस साल के बाद, तीस साल के अन्दर यह पहली बार है जब कि राजस्थान में इतना व्यापक रूप से अकाल पड़ा है और जिसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं है। फरवरी का महीना गया, मार्च शुरू हो गया है। सोलह हजार श्रमिक काम कर रहे हैं, बारह हजार दो सौ गांवों के लिए मात्र उन्चास लाख रुपया। क्या आप समझते हैं कि इससे आप लोगों को जिन्दा रख सकेंगे ? आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कांग्रेस सरकार का कि वह आपके पास अनाज के गोदाम भर गई वरना आपके भरोसे तो लोग भूखों मर जाते।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में जनता सरकार के प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने जब कार्य भार सम्भाला था तो यह आश्वासन दिया था कि दस साल के अर्से के अन्दर हम देश से बेरोजगारी मिटा देंगे। आठ महीने का समय बीत गया। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कैसे बेरोजगारी मिटेगी ? कैसे लोगों को रोजगार दिलाया जायगा ? इसका कोई संकेत नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पहले सदस्य कह चुके हैं कि कैसी खराब हालत है। स्वयं आई.जी. ने अभी पन्द्रह बीस दिन पहले कहा है, अखबारों में सारे आंकड़े छपे हैं कि कानून और व्यवस्था की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनता सरकार अपनी घोषित नीतियों से, अपने दिए हुए वायदों से मुकर रही है। चाहे सेवा-वृद्धि के मामले हों, चाहे यातायात के राष्ट्रीयकरण की बात हो।

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

परिवहन निगम द्वारा मार्गों के राष्ट्रीयकरण के मामले हों, सारी बातों को ले लीजिए, राजस्थान की जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे जनता से, वह उनसे मुकर रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, विद्युतीकरण के बारे में मुझे केवल एक बात निवेदन करनी है और वह बात यह है कि पिछली बार बजट में जो आंकड़े दिए गए थे, बीस हजार कुओं का विद्युतीकरण होगा और पन्द्रह सौ बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायगा। जिसमें से केवल 745 बस्तियों में बिजली पहुंची है और बीस हजार कुओं में से केवल 14350 कुओं को बिजली दी गई है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बिजली विभाग की वजह से किसानों में प्रशासन के प्रति जो असंतोष है, जो व्यग्रता है, जो परेशानी है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चूंकि पंचायत चुनावों के दौरान मुझे मेरे इलाके में रहने का मौका मिला तो मैंने देखा कि सुबह आठ बजे बिजली बन्द हो जाती। माननीय गृह मंत्रीजी, जब आप तत्कालीन विद्युत् मंत्री थे तब की बात मैं कह रही हूं, आठ बजे सुबह बिजली जाती थी वह दो बजे दोपहर में आती थी। आठ बजे से लेकर दो बजे तक बिजली बन्द। रात में जब पाला जमता था उस वक्त काश्तकार को पानी देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इस राजस्थान के अन्दर, इस पाले के दौरान पानी पिलाना पड़ता। बिजली नहीं मिलने के कारण, रात में सिंचाई करने के कारण कितने लोग मौत के शिकार हो गए आपको इसकी कुछ जानकारी है अथवा नहीं? कितने लोग मर गए, कितने निमोनिया से आक्रांत रहे हैं? मैं निवेदन करती हूं कि अगर बिजली नहीं हो तो आदमी घर में तो बैठा रहे, कोई दूसरा छोटा मोटा काम करके अपना किसी तरह से गुजारा कर ले। लेकिन बिजली का नाम लेकर, कुओं पर बिजली लगाने की बात कह कर आठ बजे से लेकर दो बजे तक बिजली दें नहीं, रात में बिजली आए और उस भयंकर सर्दी के अन्दर पानी पिलाना पड़े, इससे बढ़ कर भयंकर अन्याय काश्तकार के साथ आप कर नहीं सकते। और कितने दिन चाहिएं सोचने के लिए। आप तो सोचते सोचते ही रह जायेंगे, कब इस स्थिति...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

का सुधार करेंगे यह तो भगवान ही जाने।

अब मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और वह है पेय जल के बारे में। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेयजल के बारे में, जब वे मुख्य मंत्री बने, बड़े जोश खरोश के साथ यह घोषणा की। हमको भी बड़ा अच्छा लगा था, एक विश्वास जमा था कि शायद मुख्य मंत्रीजी ऐसे इलाके से आते हैं जो पानी की कठिनाई को समझते हैं और शायद कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन इन आठ महीने के दौरान इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। मैं यह कहूं कि अभी तक विश्व बैंक के साथ बातचीत की जा रही है। आप गांवों की बात करते हैं अब तक केवल सात हजार गांवों में पानी पहुंचा सके हैं लेकिन जो ये बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ नहीं उससे पहले ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है तो गर्मी के मौसम में आप कैसे क्या व्यवस्था कर सकेंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समस्या बढ़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है पेयजल की व्यवस्था के बारे में कि

(श्रीमती सुमित्रासिंह)
जैसे-जैसे आप इलाज करते हैं समस्या बढ़ती आ रही है। जैसे जैसे इलाज···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किया नए नए मर्ज बढ़ते जा रहे हैं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं यही निवेदन करती हूं, हालांकि कहना तो बहुत था, किन्तु समय इतना कम है कि बहुत सारी बातें रह गईं। फिर अन्त में मैं यही कहते हुए कि राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में न किसी आर्थिक नीति के दर्शन हैं, न कोई सामाजिक क्रांति का संकेत है, न कोई गांधी जी की नीतियों के क्रियान्वयन की बात है, न कोई बेरोजगारी को मिटाने का प्रयत्न नजर आता है, महंगाई के बारे में चिंता नहीं है, चीजों के दाम कम करने के बारे में सरकार वायदा नहीं करना चाहती तो मैं कैसे धन्यवाद दूं? मैं मजबूर हूं, मैं विवश हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं मजबूर हूं उसका समर्थन करने में।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम पुकारा गया था। कोई माननीय सदस्य यह कहें कि मैं श्रोता नहीं बनूं, वक्ता ही बनूं, तो यह कठिन है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह तो आपकी कृपा है।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहती हूं। श्रीमान् जी, अभिभाषण पर वाद-विवाद का आज दूसरा दिन है। पक्ष में और विपक्ष में जनता के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे हैं। खास तौर से जनता पार्टी के लिए यह नया कार्यक्रम था। अभिभाषण के बारे में हमें दोनों प्रकार के विचार सुनने को मिले हैं। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, श्री परसराम मदेरणा और श्री मथुरा दास जी माथुर, उन्होंने तथा श्री प्रद्युम्नसिंह जी ने भी कहा है कि यह योजना केवल ढकोसला मात्र है। जहां तक मैं समझती हूं, हां पक्ष में बैठने वाले हां करेंगे और ना पक्ष में बैठने वाले ना करेंगे। राज्यपाल महोदय ने सिंचाई योजनाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया है। जो हमारा देश है वह कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए पहली समस्या जल की होती है। अपनी ओर से मैं सरकार तक यह बात पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी कि मेरे क्षेत्र में एक नहर बनाने की योजना थी। एक तालाब है भोपाल सागर। माननीय सुखाड़िया जी के समय में उसको भरने के लिए एक फीडर की शुरूआत की गई थी। उससे पूरी पंचायत समिति क्षेत्र का भला होने वाला था। उस पर '10 लाख रुपयों का व्यय होने वाला था। 35 लाख लगने पर भी वह पूरी न हो सकी। उसका कारण यह था कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय के लाडले सरपंच एक थे, उनकी जमीन उस फीडर में आती थी इसलिए उसको मोड़ दिया गया। जहां पर उसको मोड़ा गया, वहां पर एक पहाड़ी आई। उसके मोड़ देने के कारण लागत ज्यादा आई। इसके कारण वह आज तक पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में पानी की कमी की वजह से बहुत परेशानी है। मैं चाहती हूं कि सरकार उसको पूरा करने की कार्यवाही कराये ताकि पूरा भोपालसागर

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

पंचायत क्षेत्र लाभान्वित हो सके।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत किसान भाईयों को जो ऋण दिया जाता है वह केवल तीन चौथाई दिया जाता है। एक चौथाई रकम ऋण खाते में जमा करली जाती है। किसानों के सामने परेशानी है। काम अधूरा रह जाता है। किस प्रकार से वह ऋण अदा करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करना चाहूंगी कि यह समस्या हमारे बहुत से किसानों की है। कृपया किसान को पूरा ऋण नगद मिले इसकी व्यवस्था करें

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उदयपुर जिले में झामरकोटड़ा और जावर माइन्स हैं। और भी पत्थर की खानें हैं। उन खानों के पत्थरों की कटाई तथा पालिश के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माइन्स के लिए न तो बड़ी रेलवे लाइन है न कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कि लोग खानों तक पहुंच सकें। आमेट के क्षेत्र में सफेद पत्थर की कटाई छंटाई के लिए मशीनों की व्यवस्था नहीं है। मकराने के लोग वहीं जाकर कम दामों में पत्थर खरीद लेते हैं। फिर उसी को साफ करके मकराने के नाम से ऊंचे दामों में बेच देते है। यदि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाये तो एक अच्छा उद्योग कायम हो सकता है। मैं इन खानों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पर रेलवे की बड़ी लाइन की व्यवस्था करने की कृपा करें।

अब मैं आपके सामने मद्य निषेध पर बोलना चाहूंगी। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि 10 जिलों और 13 तहसीलों में पूर्ण मद्य निषेध कर दिया है। श्रीमान्, मैं इस बारे में निवेदन करूंगी कि आप ऐसा कानून बना दें तो कोई उपयुक्त काम नहीं होगा। कानून बनाने से अपराध कम होंगे, यह नहीं कहा जा सकता है। आपको इसके व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जनता पार्टी के राज्य में जो हुआ है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। सरकार ने इस वर्ष 11 नये महाविद्यालय खोले हैं। 15 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। अधिक संख्या के कारण विभिन्न महाविद्यालयों में 100 सैक्शन विभिन्न विषयों के खोले गये हैं। 586 प्राथमिक विद्यालय, 410 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 350 माध्यमिक विद्यालय नये खोले गये हैं। शिक्षा के बारे में जो दृष्टिकोण रखना चाहिये उसके बारे में मैं निवेदन करूंगी। मैं यह चाहती हूं कि प्रत्येक बालक को कृषि की शिक्षा मिलनी चाहिये। भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां पर सभी प्रकार की कृषि सम्बन्धी जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिये ताकि समय पर वह अपनी फसल को बीमारी व कीड़ों से बचा सकें और पर्याप्त अनाज पैदा कर सकें। हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि करने वाले हैं। पिछले दिनों में हम यह सुनते आये हैं कि हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती और हम विदेशों से अनाज आयात करते हैं।

साथ ही मैं कन्याओं की शिक्षा के विषय में अपने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हमारी बच्चियों को जो शिक्षा दी जाय उसमें गृह विज्ञान, शिशु पालन, स्वास्थ्य रक्षा, पाक विज्ञान इन सभी का समावेश हो। इसका मतलब यह नहीं समझा जाय कि मैं यह मानती हूं कि लड़के और लड़कियों की लाइन अलग है।

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

लड़के भी अगर चाहें तो होम साइन्स पढ़ सकते हैं लेकिन लड़कियों के लिये इनकी शिक्षा दिया जाना कम्पलसरी होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं केवल दो मिनट और लूंगी।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बहिनें समानता का दावा करती हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं यह याद दिलाना चाहती हूं कि हमारे देश में प्राचीन काल से सीताराम, राधेश्याम, गौरीशंकर आदि कहते हैं और महिलाओं को आगे रखकर हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। यह हो सकता है कि बीच में कुछ समय ऐसा आ गया कि हमारे देश में महिलाओं की दुर्दशा हुई। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। महिलाएं समानता का दावा करती हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि अधिकार मिलते नहीं प्राप्त किये जाते हैं। अगर नारी में अपने गुणों के साथ पुरुष के गुण भी आ जाते है तो वह नेता या शासक बनाती हैं। लेकिन जब वह अपने गुणों को छोड़ देती है और पुरुष के गुणों को अपना लेती है तो उस समय हम उसें दूसरी संज्ञा देना चाहते हैं...

एक माननीय सदस्य : शूर्पणखा बन जाती है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6.00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मान है कि सदन का समय 6.00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : और पुरुष में अपने गुण के साथ यदि स्त्री के गुण आ जाते हैं तो उसमें देवत्व आ जाता है। इसी प्रकार पुरुष में पुरुष के गुणों का अभाव होता है और स्त्री के गुण आ जाते हैं तो उसमें नपुंसकता की भावना आ जाती है।

तो, श्रीमान, यह कुछ सुझाव देते हुए यह उम्मीद करती हूं कि जो विनम्र सुझाव मैंने सदन के सामने रखे हैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुचेंगे और उन पर विचार किया जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अभिभाषण दिया है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हुई धन्यवाद प्रस्तुत करती हूं।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इधर से और एक उधर से लेंगे तो आपको भी इन्ट्रेस्ट आयेगा।

श्री सभापति : इतनी संख्या आप लोगों की नहीं है। श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामना राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और जिस पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके सम्बन्ध में कुछ बातें इन दो तीन दिनों में विभिन्न

(श्री रघुनन्दन व्यास)
पक्षों की ओर से कही गई। वैसे साल भर में जो सरकार के द्वारा किया गया उसका वर्णन इस अभिभाषण में किया गया है।

मैं सरकार के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं सिरोही जिले से आया हूं। सिरोही में एक गांव है रहुआ। तीन वर्ष पहले वहां बाढ़ आई थी। आज भी वहां पर बीस फीट पानी भरा हुआ है। गांव के किसान गांव के खातेदार दूसरे के खेतों में बैठे हुए हैं। तीन वर्ष से रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, काम करने के लिए खेत नहीं है, बैठने के लिए स्थान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और यह दुर्भाग्य है कि उस गांव में सड़क से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे सहायता विभाग ने

(5.06 सायं)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

पिछले साल राज्य सरकार तक जो संदेशा पहुँचाया, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार तक वह सन्देशा पहुंचा नहीं अन्यथा व्यवस्था होती। इसलिए मैं सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग और सहायता विभाग को निवेदन करूंगा कि अगली वर्षा आने से पूर्व उस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में जाकर बैठ जायं, इस प्रकार की व्यवस्था हम करें वरना जो लोग अनुशासन की बात करते हैं उनमें अनुशासन-हीनता आ सकती है और लोगों को भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरी बात पंचायतों के चुनाव हो गये, उसमें हम हारे नहीं। जालौर और सिरोही जिलों में 360 पंचायतें हैं, कम से कम आज मैं यह मानता हूँ और मेरे विचार से मेरी पार्टी के लोग आये हैं उनके अन्दर 112 में से 11 प्रधान मेरी पार्टी के होंगे। मैं हारने की बात नहीं मानता पंचायत चुनावों में। आपके रेवदर में भी जीतकर आयेंगे, आप नोट कर लें।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आप भी नोट कर लें। आपने एक ही गांव में 14 वोट प्राप्त कर लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : धन्यवाद आपको। बिल्कुल सच्ची बात है लेकिन जालौर जिले में प्राप्त कर सकते हैं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आपके एम. एल. ए. साहब खड़े हुए थे और 18 वोटों से हार गये।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सभापतिजी, व्यवधान हो रहा है, आप मुझे बोलने का मौका दें और व्यवधान को रोका जाय।

पंचायत समितियों और जिला परिषदों को शिक्षा का विषय दिया गया है। आज दो दिन से यहां शिक्षा के बारे में चर्चा चल रही है कि गांवों के अन्दर अध्यापक नहीं हैं। मैं इस बात को मानता हूँ लेकिन इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके पास पैसे का अभाव है। एक तरफ तो आपने उनको शिक्षा का विषय दे दिया और दूसरी तरफ अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं रखा गया। छात्र और छात्राओं की संख्या के आधार पर प्रावधान किया जाना चाहिए। पिछली सरकार ने गलती की। मैं राजस्थान सरकार से, माननीय पंचायत मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपको अगर सचमुच में शिक्षा का प्रसार करना है

(श्री रघुनन्दन व्यास)
गांवों में शिक्षा लानी है तो हर गांव में हर कक्षा में एक अध्यापक हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर एक अध्यापक तो अवश्य ही होना चाहिए। सौ लड़के हों, डेढ़ सौ लड़के हों तो पांच अध्यापक भी होने चाहिए। आडिट वाले आडिट आब्जेक्शन करते हैं कि पंचायत समितियों में या पंचायतों में ज्यादा अध्यापक क्यों रख दिये। तो यह नियम भी गलत बन गये। इन नियमों में संशोधन हुए बिना गांवों में जो अध्यापकों की संख्या है वह बढ़ेगी नहीं, यही बनी रहेगी। इसलिए मैं पंचायत मन्त्रीजी से भी इस मामले में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, अगर हम गांवों में शिक्षा चाहते हैं तो पहले जो विधेयक शिक्षा के बारे में बना हुआ है उसको लागू करने के बारे में सोचें और फिर पंचायत समितियों में स्कूलों में कक्षाओं के अनुसार अध्यापक लिये जायं, पांच कक्षा हो तो पांच मास्टर और चार कक्षा हों तो चार मास्टर। पंचायत समितियों में 100 में से 5 अध्यापक ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। मेरा दो जिलों का ज्ञान है, बाकी का नहीं। उनमें कई लोग महीनों स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी उनको वेतन मिलता है। हमारे विकास अधिकारियों का प्रधानों का उन पर संरक्षण है। ऐसे अध्यापकों के खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते तो मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों व जिला परिषदों से शिक्षा लिए बिना यह जो मुफ्त की तनख्वाह खाने वाले हैं उन पर अंकुश नहीं लग सकेगा।

तीसरा सहकारिता के बारे में मेरा निवेदन है। कोआपरेटिव के चुनावों की घोषणा राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में की··

श्री दाऊदयाल जोशी : व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में एक माननीय सदस्य सो रहे हैं। कृपया उनको जगाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं सही सलामत जाग रहा हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा निवेदन है कि पंचायतों के चुनाव हो गए, सहकारी संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में घोषणा की, उसका मैं स्वागत करता हूं। यदि इनके चुनाव सहायक रजिस्ट्रार्स के जरिए कराए गए तो वे चुनाव कभी भी अच्छे नहीं होंगे, भ्रष्ट लोग उसमें हावी होंगे। इसलिए ये चुनाव निर्वाचन विभाग के द्वारा कराये जायं। उससे पहले उनकी वसूलियां करवाई जायं। उससे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन के नियम हैं उनके अनुसार ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए, वोटर्स लिस्ट प्रकाशित हो। यदि यह सारा काम नहीं हुआ तो जिस सहकारिता के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम अन्त्योदय याने गरीबों का उदय सहकारिता के माध्यम से देखना चाहते हैं वह नहीं हो पाएगा। जब सहकारिता भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंस गई है तो हम उससे निकाल नहीं सकेंगे। उसको बचाने का एक मात्र उपाय है ग्राम समितियों के चुनाव, मार्केटिंग सोसाइटीज के चुनाव, बैंकों के चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा करवाये जायं तभी सहकारिता में सुधार होगा और गरीब

(श्री रघुनन्दन व्यास)
किसान को लाभ मिल सकेगा। नहीं तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। हम भाषणों में कह देंगे लेकिन उसका सही उपयोग बिल्कुल नहीं होगा।

हमने यहां उद्योग की बात कही, पिछड़े जिलों की बात कही लेकिन उसमें तीन बातें भी आ गई। कुछ ऐसे व्यवधान पैदा हो गए। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रश्न उठा तो कहा रेलवे हमको सहयोग नहीं दे रही है। रेलवे की भारी भरकम योजना है 400 करोड़ रुपए की लेकिन कब ब्राड गेज बनेगा कब सीमेंट उद्योग पनपेगा? यह असंभव है। करोड़पतियों ने फार्म भर कर दिए किन्तु जो लाइसेंस लेने वाले लोग हैं वे लाइसेन्स लेने को तैयार नहीं हैं। हम अपने दो जिलों में सोसाइटी बनाकर ये दोनों उद्योग, जिनमें 50 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी मुख्य मंत्री ने घोषणा की, लगाने को तैयार हैं। रेलवे के माध्यम से 400 करोड़ के नाम पर हमारी योजनायें रोक दी हैं तो मेरा सुझाव है कि मीटर गेज लाइन है मेहसाना से लेकर फुलेरा तक इस पर डबल लाइन खींची जाए और डिब्बों की कमी की पूर्ति हो जाए वरना जैसे जोधपुर बन्द हुआ ऐसे सभी जगह होंगे। जयपुर से जोधपुर बस में 7 घंटे लगते हैं और ट्रेन में 17-18 घंटे लगते हैं। यह क्या स्थिति है? इस सारे क्षेत्र को, जिसको पश्चिमी राजस्थान कह दो, मरु प्रदेश कह दो, आज तक उपेक्षित रखा, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया चाहे रेलवे का प्रश्न हो चाहे रोड का प्रश्न हो।

रोड के बारे में निवेदन है, नेशनल हाई वे नं. 8 ब्यावर आता है जहां से मारवाड़ की सीमा शुरू होती है किन्तु आबू रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं है। एक हजार गाड़ियां सवेरे एक हजार शाम को चलती हैं। गुजरात सरकार मांग कर रही है कि ब्यावर से आबू रोड राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए लेकिन राज्य सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। श्री चांद राम का पत्र मेरे पास है उसमें बताया है कि गुजरात सरकार ने ब्यावर से आबू रोड का हिस्सा राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने की मांग की लेकिन राजस्थान सरकार ने इसकी उपेक्षा की। हो सकता है पहले की सरकार ने की हो लेकिन आज की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। यह हिस्सा मरु प्रदेश में आता है इसलिये वहां की जनता का भ्रम मिटाने के लिए कम से कम यह जो वाजिब मांग है उसको मानकर ब्यावर से आबू रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए और वहां सीमेंट का कारखाना लगाया जाए।

इतना ही नहीं जालौर जिले में ग्रेनाइट पैदा होता है। उसके कारखाने को जालौर में बढ़ाने के बजाय और कहीं ले जाने की चर्चा हो रही है। राजस्थान के उद्योग सचिव ने जालौर के संसद सदस्य श्री हुकमा राम को पत्र लिखा उसकी भाषा इतनी उलझन भरी थी कि उसके कारण भ्रम हुआ। बावजूद प्रयत्नों के लोगों में उफान आया, हड़ताल हुई। तो राज्य सरकार को नीति बनानी चाहिए कि जो चीज जहां पैदा होती है उसका उद्योग वहीं लगे। इतना ही नहीं यहां से 15 विधायक ग्रेनाइट फैक्ट्री को देखने आए, राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य जिसके सभापति चौधरी बुरड़क साहब हैं। उन्होंने मौका देखा। ग्रेनाइट जालौर में

(श्री रघुनन्दन व्यास)

पैदा होता है। तो केवल यह कहना गलत था कि जालौर में इस उद्योग का विस्तार होगा तो राज्य सरकार को 10 लाख रुपये का घाटा होगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो उद्योग सचिव के द्वारा किया गया, वह गलत था। अगर हम चाहते हैं कि संतुलन बना रहे, भावात्मक एकता को नुकसान न हो तो ग्रेनाइट का कारखाना जालौर में ही लगना चाहिए, उसका विस्तार जालौर में होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज की स्थिति में हम एकता की बात करते हैं। सुमेरपुर और शिवगंज दो बड़े कस्बे हैं। सुमेरपुर पाली जिले में है जहां से विज्ञान मोदी विधायक हैं और शिवगंज सिरोही जिले में है। दोनों में 500 गज का अंतर है लेकिन दो नगरपालिकायें, दो कृषि उपज मंडिया हैं जिसके कारण 500 गज दूर माल ले जायं तो व्यापारी व किसान को घाटा होता है। इन दोनों की एक नगरपालिका बनाई जाए, एक ही कृषि उपज मंडी बनाई जाए। जब बाम्बे कार्पोरेशन में 5 जिले हो सकते हैं, 5 जिलाधीश हो सकते हैं तो सुमेरपुर व शिवगंज अलग जिलों में होते हुए वहां भी एक ही नगरपालिका, एक ही कृषि उपज मंडी बन सकती है। अन्यथा यदि दो कृषि उपज मंडी बनाई सुमेरपुर और शिवगंज में तो उनमें भूतों का ही डेरा रहेगा। उसके कारण ही सिरोही के किसानों ने विरोध किया है। तो राज्य सरकार जो योजना बना रही है उसको यथार्थवादी बनाकर सोचे और किसान का हित सोचे। दोनों जगहों पर एक नगरपालिका हो, एक कृषि उपज मंडी हो।

एक सवाल और रह गया। जब भावात्मक दृष्टि से हम सोचते हैं तो दूसरी हमारी जो समस्या है वह है आबू की। आबू जाने का कोई रास्ता नहीं, सिरोही से आबू 30 मील है लेकिन रोड से जायेंगे तो 70 मील। एक सड़क बनी हुई है वह 30 वर्षों से पूरी नहीं हुई। इस पर राज्य सरकार विचार करे। सिरोही में हवाई अड्डा बनाया जाए। जो भारत के मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम कौशिक उन्होंने लिखा कि मैंने पुछवाया है कि यह हवाई अड्डा क्या सिरोही में बन सकता है? तो आप इसका एक महीने के लिये एक्सपेरीमेंट करके तो देखिये। आपको और भारत सरकार को पता लगेगा कि जितने पैसेन्जर्स उदयपुर और जोधपुर से प्लेन में बैठकर बम्बई और दिल्ली जाते हैं उसके कई गुना अधिक यात्री मिलेंगे। कम से कम मैं स्पष्ट निवेदन कर सकता हूं कि दुगुनी और तिगुनी सवारियां सिरोही के हवाई अड्डे से बम्बई और दिल्ली जाने को मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : यह बातें तो आप माननीय सदस्य कट मोशन के समय भी उठा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं इन्हें आप अभी क्या उठा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : अच्छी बात है साहब अब नहीं उठाऊंगा।

(व्यवधान)

मैं तो छोटा सा आदमी हूं। छोटी बात ही करता हूं। ठेठ गांव से आया हूं। खैर!

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों पर हमारी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

इसके अलावा चाहे इधर बैठने वाले हों या हमारे ही जनता पार्टी के सदस्य हों हमारी सरकार की आलोचना करते हैं । अभी माथुर साहब ने अपने भाषण में दो तीन बातें कहीं थी पर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो गवर्नर साहब का भाषण है यह किसी क्लर्क ने नहीं बनाया है। यह हमारे राज्यपाल महोदय की अन्तर आत्मा की आवाज है, एक अन्तर आत्मा की पुस्तक है जो कि हमें और हमारी जनता पार्टी की सरकार को क्रियान्वयन करने के लिये की गई है। यहां पर अभी हमारे दल के ही माननीय सदस्यों ने अगर हमारी सरकार की ही आलोचना की या हमारे जनता पार्टी के सदस्य लोग अगर पिन प्रिकिंग करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि वह हमारी सरकार की बुराई करते हैं अपितु वह तो इसलिए करते हैं कि पिछले तीस सालों में कांग्रेस राज्य में चाहे आपके एस. डी. ओ. लें, चाहें बी. डी. ओ. लें और चाहे तहसीलदार लें इन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भ्रष्ट कर दिया । इस कांग्रेस के भ्रष्ट किये हुए शासन को, जो कि तीस साल तक भ्रष्ट रहा, जनता पार्टी की सरकार एक ही दिन में पवित्र तो नहीं कर सकती है । इसमें जनता पार्टी की सरकार को समय तो लगेगा ही ।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में योजनायें बतायी हैं वह सारी की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हम अपने स्तर पर और अपनी सरकार के स्तर पर तथा हमारे सारे प्रशासनिक तबके को साथ लेकर सही ढंग से करेंगे । सभापति महोदय, हमारी सरकार को इस एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा तगड़ा अंकुश रखना पड़ेगा और जो भ्रष्ट यू. डी. सीज. हैं उनका स्थानान्तरण भी करना पड़ेगा तभी जाकर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो योजनायें क्रियान्वित करने का वर्णन किया गया है, उनका हम सभी मिलकर क्रियान्वयन कर सकेंगे अर्थात् क्रियान्वयन के काम को हमारी सरकार, हमारी सारी सरकारी मशीनरी के लोग पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने बड़े ही श्रम के साथ यह भाषण तैयार किया है जिसमें रियलिटी है । मैं महा-महिम राज्यपाल महोदय को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं तथा साथ में सदन को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं को पूरा करने में जो भी श्रम हमें करना पड़ेगा वह श्रम करके हम पूरा करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव, जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सदन में आया है, का समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री विधि मन्त्री जी वक्तव्य देंगे । अभी अभी चीफ व्हिप साहब ने यह कहा है कि विधि मंत्री जी बोलना चाहते हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, हमारा नाम बोलने की लिस्ट में था । हमारा नाम नहीं पुकारा । मेरा नम्बर था ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विधि मंत्री जी बीच में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मंत्री महोदय इण्टरवीन कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन की परम्परा नहीं रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

नियमों में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मन्त्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भाग ले सकता है।

श्री विधि मन्त्री।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मन्त्री): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कल जब सदन में वाद-विवाद हो रहा था तो कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सदन में प्रगट किये। सभापति महोदय, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में एक युग ऐसा आया था जिसमें हमारे देश में विधान सभाओं का और न्याय पालिकाओं का मुंह बन्द कर दिया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो पुरानी बातें हो गई हैं। कोई नई बात हो तो बताओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय डागा जी, यह पुरानी बातें नहीं हैं यह तो युगों-युगों तक इस देश में बयान की जायेंगी। वह तो एक काला युग था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। धैर्य से सुनें।

श्री मूलचन्द डागा : क्या धैर्य रखें, साहब। यह तो सुनते-सुनते कान पक गये हमारे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अरे वह तो काला काल था हमारे देश का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विधि मन्त्री जी को बोलने दें। बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उसके बाद जनता ने फिर लोकतन्त्र को उजागर किया। जो एक कालायुग था वह समाप्त हुआ। जो लोग सत्ता पक्ष में थे वह आज विपक्ष में बैठे हैं। जो पार्टी थी यहां पर उसके टुकड़े हो गये और उसमें कुछ लोग ऐसे भी बाकी रह गये जो कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुयायी होकर उसके झण्डे के नीचे चले गये। सभापति महोदय, मैं पुनः पिछले दो तीन दिन से देख रहा हूं कि वही इन्दिरा गान्धी की पार्टी के लोग उसी स्थिति को वापस लाने की बातें कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कल यहां बैठा सुन रहा था और देख रहा था कि यहां पर कुछ सदस्यों ने यही आवाज वापस लगाई कि देश की नेता इन्दिरा गांधी, हमारा देश एक, देश का नेता एक। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हम सभी लोगों को गम्भीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। जो देश में इमर्जेंसी लगी थी उससे लोकतन्त्र समाप्त हो गया था। उस लोकतन्त्र को वापस लाने में हमें कितना खून पसीना निकालना पड़ा। कितना परिश्रम करना पड़ा।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

सभापति महोदय, आज हमें यह सोचने की जरूरत है, हमारे विवेक को काम में लाने की जरूरत है कि क्या हम वापस वही काला युग लाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें। धैर्य से सुनें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमें तो कोई डर नहीं है हमने तो जेल में यातनायें सही हैं। वहां कष्ट उठाया है। आपको अधिक कष्ट हुआ है। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनने की क्षमता रखें।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, यहां पर उस पक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी नेता इन्दिरा गांधी के नारे लगा रहे हैं और इन्दिरा गांधी की जय जयकार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं व्यक्ति पूजा के विरुद्ध हूं। हमें यह आज देखने की जरूरत है और गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के हिटलर और मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर्स थे, उन्होंने किस प्रकार से अन्याय किया। उनका इतिहास भी आपको मालूम होगा कि उनका क्या हुआ। आज यहां लोग यह कहते हैं कि जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, महगाई कम नहीं की। भ्रष्टाचार कम नहीं किया। तो मैं उन माननीय सदस्यों से यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आखिर यह भ्रष्टाचार और महंगाई किसकी देन है? यह सभी आपके कांग्रेस के पिछले तीस साल के कुशासन का फल है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, कार्य कुशलता में कमी आई क्योंकि कांग्रेस राज्य के अन्दर कुशल हीन ज्यादा थे। आज आप कहते हैं कि लोगों में असन्तोष है तो यह असन्तोष होना स्वाभाविक है क्योंकि महंगाई भ्रष्टाचार सभी तो आपकी देन हैं, इन सभी को पनपाया तो कांग्रेस सरकार ने ही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन पैरों पर खड़ा है। और आप बोले ही जा रहे हैं।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य देखिये, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का हक है चाहे वह मन्त्री जी हों चाहे सदन के कोई भी माननीय सदस्य हों। आपको उनकी बात भी सुननी चाहिये। वह सरकार की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। आप शान्तिपूर्वक सुनें।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर प्लीज ! आप अपनी बात कह रहे थे और यह अपनी बात कह रहे हैं। इन्हें अपने मन मुताबिक कहने का हक है। यह जरूरी नहीं है, आप अपने मन मुताबिक बात कहने को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आॅन ए पोइन्ट आफ आॅर्डर। सभापति

Page No 112

(112)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
महोदय, यह तो सही है कि माननीय सदस्य को अपने विवेक को काम में लेने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका पाइन्ट आफ ऑर्डर क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : विवेक से जो मुद्दे उठाये गये हैं उन विवेक के मुद्दों का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि जो 30 साल की प्रगति के बारे में इन्होंने कहा है कि 30 साल देश पिछड़ा रहा तो उस बारे में यह कोई संजीव रेड्डी की बात कहें या जगजीवन राम की बात कहें, चन्द्रशेखर की बात कहें। मैं राजनारायण जी की बात तो नहीं कहता...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपके पाइन्ट आफ आर्डर को सुना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने पूरी बात तो सुनी ही नहीं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! पाइन्ट आफ ऑर्डर के नाम से आप भाषण नहीं दे सकते। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइन्ट आफ ऑर्डर को सुन तो लें।

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सुनने की क्षमता रखें। मैं यह निवेदन कर रहा था···

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! मेरी माननीय सदस्यों से सानुरोध प्रार्थना है कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में मुझे सहयोग दें। सत्ता पक्ष के लोग अगर सहयोग नहीं देंगे तो सदन की कार्यवाही चलाना कठिन होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह था कि इस किस्म की बातें, यहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बात सुन लीजिए। तथ्यों के संबंध में पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं बात को उस सन्दर्भ में ले जा रहा हूं जहां पर सरकार की तरफ से भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, इनकी पार्टी के प्रेसीडेन्ट ने और लोगों ने जवाहर लाल जी के बारे में कहा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप उनके स्टेटमेन्ट को कान्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपके पॉइन्ट आफ ऑर्डर को समझ गया। आप जो बात उठाना चाहते हैं माननीय मंत्री अपने वक्तव्य को पूरा कर दें उसके बाद प्रश्न के रूप में रख दें।

व्यवस्था का प्रश्न

भाषण में असंगति या पुनरुक्ति

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं रूल 275 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन का अमूल्य समय लेना चाहता हूं। रूल यह है, श्रीमान

(श्री मूलचन्द डागा)

The Speaker after having called, the attention of the house to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own-

श्री दाऊदयाल जोशी : कृपया हिन्दी में

श्री मूलचन्द डागा : "..... of his own arguments or of the arguments used by other members in debate may direct him to discontinue his speech,"

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह बातें कई बार दोहराई जा चुकी हैं सदन में। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इनको डाइरेक्ट करें कि यह इन बातों को नहीं दोहरायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय प्रथम बार बोल रहे हैं इसलिए दोहराने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय सभापति जी, व्यवस्था का सवाल है। जो मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया वह सभापति महोदय जो अभी बैठे हैं उनकी कल की बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : वह तो अपनी बात कह रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह रहे हैं इसलिए कहने दीजिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह आपके आसन पर होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कल की ही आपकी बात को कोट किया है, यह नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य सभापति पद पर बिराजमान हैं तो कोट नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहां से कल कुछ नहीं कहा गया था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार के पक्ष के किसी मंत्री को धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता नहीं रखते।

एक माननीय सदस्य : यह आसन पर दुसपर्शन है।

श्री सभापति : मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि आप तथ्यों पर आयें और कन्ट्रोल से बात कहें तो मैं नहीं रोकूंगा। आप अपनी बात को पूरा रखें और सरकार का पक्ष पूरा रखें ताकि आपका भाषण जम जाये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरे भाषण के जमने का...

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले मंत्री महोदय ने आप पर ही जमाया भाषण।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि आज सदन में विकास के कार्यों को लेकर बेचैनी है और विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगा हुआ है...

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप मुझे बतायें कि इतनी सी देर में क्या व्यवस्था हो गयी। अभी तो दो शब्द ही कहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री के जमने की जरूरत है या भाषण के जमने की जरूरत है? मंत्री तो जम गये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो बाकी रह गये उनके जमने की बात है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो सारी की सारी बेचैनी दिखायी दे रही है उसका सबसे बड़ा कारण एक यह है कि पिछले तीस वर्षों में जो शासन से जनता को साधारण अपेक्षायें थीं, आकांक्षायें थीं उसके अन्दर जनता को बहुत निराश होना पड़ा। आज बदलाव इस देश में आया है उस बदलाव के प्रति आम जनता की जो आस्था है, आम जनता की जो अपेक्षा है और आकांक्षा है वह एक साथ जगी हैं। सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सरकार और कोई भी देश साधनों का ध्यान रखते हुए और जो भी साधन उसके पास उपलब्ध हैं उनको देखते हुए ही आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित रूप से जो इस सदन के अन्दर इस सरकार से मांग की गयी है विकास के सम्बन्ध में या जो कमियां बताई गई हैं उनके लिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने दिशा पकड़ी है ग्रामों के उत्थान की, इस सरकार ने दिशा पकड़ी है नीचे से नीचे वर्ग को ऊंचा उठाने की, इस सरकार ने दिशा पकड़ी है हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान की और इस सरकार ने दिशा पकड़ी है गरीबी को मिटाने की। पिछले शासन ने जनता को बेवकूफ बनाया और निश्चित रूप से चाहे आप राजस्व के प्रश्न को ले लें या अन्त्योदय योजना को ले लें या राजस्थान के बजट को ले लें, चाहे जिस दिशा में झांककर देख लें या पिछले वर्ष के बजट को देख लें, हमने जो लगान था उसको माफ किया, और केश क्राप पर माफ किया। कोई भी सरकार का कदम बता दें, जो भी कदम सरकार उठाना चाहती है वह गरीबों के उत्थान की तरफ है। यह बात अवश्य है कि जिस तेजी से इस देश में प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हुई है। उसके कई कारण हैं। उसका कारण सरकार की अक्षमता नहीं है। उसका कारण है देश का गठन। उसका कारण है जो इस देश के अन्दर समाज व्यवस्था चली आ रही है और जितने काम हैं। चर्चिल ने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है 'Struggle in the economy' मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान ढांचा देश का है उसकी तरफ भी आप देखिये। आप हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं लेकिन आज कितने कार्यकर्ता हैं जो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि छुआछूत मिटेगी और इस तरह से मिटेगी, हमको अपनी गर्दन कटानी पड़े तो भी मिटेगी?

आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, पहले यूनाइटेड कांग्रेस थी। सुखाड़िया साहब यहां शासन करते थे, मुझ जैसे एक छोटे से आदमी ने पहल की। आपको मालूम है, 1960 की बात है सीकर जिले में गनेवर से मैं हरिजन लोगों को लेकर गया। वहां के तत्कालीन कांग्रेसी, मूलचन्दजी डागा साहब, आपके परम मित्र श्री कृष्ण मोदी जो बाद में एम. पी. बने..

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाईंट ग्रॉफ ऑर्डर। किसी व्यक्ति के खिलाफ ग्रगर कोई इल्जाम लगाते हैं तो ग्राप लिख कर दीजिये। एसपर्शन नहीं कर सकते।

श्री सभापति : ग्रॉर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, जो व्यक्ति यहां नहीं हैं उन पर एसपर्शन नहीं लगा सकते, पासिंग रेफरेन्स कर सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उन्होंने संगठन रूप से चारों तरफ यह प्रचार किया ग्रौर ग्रापको मालूम होगा, रातों रात 5 हजार ग्रादमी वहां इकट्ठे हो गये। उस सारे मामले को रफा दफा कर दिया। किस प्रकार से हम लोगों की जाने बचीं, यह एक कहानी है, ग्राप भी जानते हैं।

श्री सभापति : मैं कुछ नहीं जानता।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा..

श्री प्रद्युम्नसिंह : ग्राप ऐसा प्रश्न मत उठाइये।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, ग्रापका संरक्षण चाहता हूं।

श्री सभापति : ग्रॉर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हमने ग्रपनी जानों पर खेला, कांग्रेसियों ने छुग्राछूत मिटाने के ग्रन्दर रोड़े ग्रटकाये। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कोई भी संगठन, कोई भी दल ग्रगर इस देश में राजनीति चलाना चाहता है, इस देश को बढ़ाना चाहता है, इस समाज को ग्रागे लाना चाहता है तो उसके सामने हरिजनों ग्रौर ग्रादिवासियों के उत्थान के बिना कोई रास्ता नहीं। जनता पार्टी ने इस रास्ते को पकड़ा है। मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा जिन पांच ग्रादमियों को ढूंढ़ा है, वे वही हरिजन हैं। ग्राप यह भी कह सकते हैं जितना किया है उससे ग्रधिक हो सकता था। मैं निश्चित रूप से निवेदन करता हूं सारे हिन्दुस्तान का बजट भी राजस्थान के ग्रन्दर ग्रा जाये तो भी ग्राकांक्षायें पूरी नहीं होंगी। वे पांच ग्रादमी कौन हैं, सब से नीचे हरिजन वे पांच ग्रादमी हैं, ग्राप इस बात को देखें।

ग्रापके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां कहा गया, हरिजनों पर ग्रत्याचार किये गये। यह सबसे बड़ा स्टंट है। इस स्टंट से काम चलने वाला नहीं है। कोई भी सरकार जब तक पिछड़े वर्ग का, ग्रादिवासी वर्ग का समूचा विकास नहीं करेगी, उस रास्ते पर नहीं चलेगी, तो निश्चित रूप से उसका शासन चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा उसके बाद दो मंत्री हैं, जो हरिजन हैं, वे केबिनेट स्तर के हैं। इन सब तथ्यों को देखा जाये...

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : सभापतिजी, टाइम भूल गये क्या ग्राप ?

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा उधर बैठे हुए माननीय विरोधी दल के नेता से कि इस देश की राजनीति में स्थिरता लायें। कुछ सिद्धांतों की पकड़ करें। जब कि इन्दिरा गांधी ने दो

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
विधान सभाओं के चुनाव जीतें हैं, रेड्डी कांग्रेस में खलबली मच गई है। लोग इधर से उधर जा रहे हैं...

श्री मूलचन्द डागा : आप अपना घर सुधारें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप अपने दल को पहले सुधारिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं तो आपका हुकम मानने को तैयार हूं।

श्री अब्दुल अजीज : जो नाम लिस्ट में हैं वे क्यों नहीं बोलते।

श्री सभापति : मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री अब्दुल अजीज जी, आप बैठिये। आप माननीय मंत्री महोदय का भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि इस देश के अन्दर देश की जनता, राजनैतिक कार्यकर्ता सिद्धांतों की पकड़ करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे विचार से इस देश में स्वच्छ राजनीति पनप नहीं सकती। आप उस पक्ष में बंटे हुए हैं। एक कांग्रेस के दो टुकड़े हुए हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं...

एक माननीय सदस्य : एक ही है, आप चिन्ता मत कीजिये। आपके पांच टुकड़े हैं, हमारे तो दो ही हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापतिजी, ये हमारे समय में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामरघुनाथजी, स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह सब आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यह सब क्या है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : यह इन्दिरा कांग्रेस और रेड्डी कांग्रेस क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : I have no explanation to your quarry.

मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हरिजनों के बारे में लम्बा चौड़ा भाषण दिया गया उनका पर्सेन्टेज क्या है ? उनको नीचे से कितना ऊपर उठाया, किस प्रकार से उठाया, यह बता दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हरिजनों का पर्सेन्टेज है 35। अन्त्योदय में सबसे ज्यादा गरीब वे हैं जो 35 पर्सेन्ट हैं।

(व्यवधान)

अन्त्योदय में चुने गये हैं उसका 35 प्रतिशत हरिजन हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हरिजनों के बारे में बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की आबादी के अनुसार यह पर्सेन्टेज करीब-करीब दुगना है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजनीति में इतना जल्दी उतावलापन पैदा हो गया है कि अगर एक-दो राज्यों में श्रीमती इन्दिरा की कांग्रेस जीत गई तो बाकी के लोग यह सोचने लगे कि उन्हीं का दामन पकड़ लेंगे ताकि हमारी भी नाव पार हो जाय । हमें सिद्धान्तों को बढ़ावा देना है, व्यक्तिवाद को नहीं पनपाना है । अगर यही हाल रहा तो राजनैतिक स्वच्छता नहीं आ सकेगी । अगर किसी प्रकार के राजनैतिक मतभेद हैं रेड्डी कांग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस में तो मेहरबानी करके सिद्धांतों पर अडिग रहें और ऐसी मिसाल पैदा न करें जिससे आपकी स्वयं की पार्टी को खतरा पैदा हो जाय । ऐसा कभी न सोचें कि आज वे सत्ता में आ गये तो उनका दामन पकड़ लिया । कल फिर आप हमारा भी दरवाजा खटखटायेंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपने तो पवित्र कर लिया है न?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अब मैं उन मसलों पर आना चाहता हूं जो विशेष रूप से मेरे विभाग से सम्बन्धित है । मैं उनके बारे में निवेदन करूंगा । जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है, मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी एक लाइन की नीति है और वह यह है कि इस राज्य का किसी भी कीमत पर औद्योगीकरण हो । यह सरकार ऐसी नीति का परिपालन करेगी, ऐसी सारी की सारी योजना बनायेगी जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी औद्योगीकरण में अपना हाथ बटा सके । आसानी से और सहूलियत से औद्योगीकरण में अपना योगदान दे सके । जहां तक विस्तार का प्रश्न है जब विभाग की मांग का प्रश्न आयेगा, उस समय मैं सारी योजना को रखूंगा लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारा पूरा का पूरा मंत्रिमण्डल और जनता पार्टी इस बात पर उतारू है कि इस देश का औद्योगीकरण होना चाहिये और जो पुरानी बाधायें हैं, चाहे वह राजनैतिक कारणों की बाधायें हो या व्यक्तिगत कारणों की बाधायें हों या और कोई भी बाधायें हों वह इस औद्योगीकरण के क्षेत्र में न हों ।

जहां तक जालोर में ग्रेनाइट फैक्ट्री के लगाने का सवाल है जालोर से टीकमचन्दजी आये हैं· · ·

एक माननीय सदस्य : हम भी उस जिले से हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप भी हैं ।

(व्यवधान)

आपमें सुनने की भी क्षमता नहीं है । गांव की चौपाल से निकले हैं, यह कोई तरीका है ।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मैं निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में आर. एम. आइ. डी. सी. से मैं सम्पर्क में हूँ। मैंने भी निश्चित रूप से एक योजना बनाई है और वह यह है कि जोधपुर में जो ग्रेनाइट का कारखाना है, वह अपनी जगह रहेगा लेकिन साथ ही जालौर में भी एक कारखाना स्थापित होगा। मकराना जिस प्रकार मारबल के लिये बन गया है उसी प्रकार जालौर ग्रेनाइट के लिये बन जाएगा। इस बारे में मैं आपका सहयोग····

एक माननीय सदस्य : आशीर्वाद।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आपका आशीर्वाद चाहूंगा।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी घोषणा की है, इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में क्या इसे राज्य सरकार की घोषणा समझें?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : और क्या यह आपकी घोषणा है।

श्री सभापति : इसमें आपको क्या शंका है?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह सूर्यनारायण चौधरी, राजस्थान सरकार की ओर से बोल रहा है।

श्री सभापति : सरकारी पक्ष की तरफ से कोई भी मंत्री कुछ भी कहता है तो वह सरकारी पक्ष की ओर से राजकीय घोषणा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, क्योंकि कई माननीय सदस्य अभी राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय सायंकाल 7.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री रतन लाल शर्मा : हमने, सभापति महोदय, पिछली बार भी कहा था कि कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देना चाहिये यदि समय बढ़ाते हैं तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गवर्नमेंट के चीफ व्हिप का प्रस्ताव है और आप भी उसी पार्टी के सदस्य है।

क्या सदन की अनुमति है कि आज की मीटिंग का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय सायं 7.00 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, ऐसे लोग हैं जो कुछ कह नहीं सकते। आप समय बढ़ाते जायं और वे इन्तजार करते जायं। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उन्हे हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दें। पिछले सैशन में भी यह तय किया गया था कि हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाना चाहिये। अगर हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं दिया गया तो हम इस समय को नहीं बढ़ने देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्योपत सिंह जी, आप बोल चुके हैं। आप दूसरों का समय ले रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब समय बढ़ा रहे हैं और हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं देते हैं तो यह अन्याय है। जो हमारे सामने बोल नहीं सकते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है।

श्री सभापति : जब गृह मंत्रालय की मांगें आयें तब इस मुद्दे को उठा लेना।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था, जालौर के बारे में मेरा यह मन्तव्य है। मैं माननीय सदस्यों को सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, एम. एल. एज. पधारे थे तब मैंने निवेदन कर दिया था और तभी से मैं लगा हुआ हूं।

जहां तक सीमेन्ट का कारखाना लगाने की बात है, रघुनन्दन जी व्यास अभी हैं नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रिमण्डल में आने के पहले से ही मेरी आकांक्षा थी, मेरी जिज्ञासा थी और अब स्वयं मैंने जार्ज फर्नांडीस साहब से और मधु दण्डवते साहब से सीमेन्ट का कारखाना लगाने की बातचीत की है। आज से 4-5 रोज पहले भी गया था तब मधु दण्डवते साहब ने कहा था कि रेल दुर्घटना सीमेन्ट में बाधक नहीं बनेगी। अब हम अपनी तरफ से इस बात का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री सभापति : मण्डावा में कब लगा रहे हैं सीमेन्ट का कारखाना ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जब आप अनुमति देंगे।

तो मैं निवेदन कर रहा था देश की गरीबी बिना औद्योगीकरण के मिटना सम्भव नहीं है। मैं एक विचार आपके सामने रख देता हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि मेरे विचार पर गंभीरता से मनन करें। आज इस देश में बिजली की कमी है। जिस तरह हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, उसमें हमें आशा है कि बिजली की कमी पूरी हो जायेगी लेकिन एक बात अवश्य हो सकती है कि बिजली का जो सामान लाया जाता है उसमें थोड़ी कमी है और वह इस गति से नहीं बढ़ रहा है जिससे कि आवश्यकतानुसार उसको काम में लिया जा सके। इस पर एक सवाल है और वह यह है कि पूरे राजस्थान में बिजली पहुंचे और उसके अनुसार ही बिजली का विकेन्द्रीकरण हो तो आज गांवों में प्रचुर मात्रा में पानी भी उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में भूमि भी उपलब्ध है और बिजली भी पहुंचाई जा सकती है, कई स्थानों पर बिजली पहुंच चुकी है, उस पर लोड बढ़ाने की बात है, क्या आप लोग गम्भीरता से इस बारे में विचार करेंगे कि उन जगहों पर उद्योग धन्धे स्थापित करना उचित रहेगा या नहीं ? यह विचार आया है। 75 प्रतिशत गांवों में बिजली और पानी प्रचुर मात्रा में है और इस विचारधारा से एक-दो वर्ष में उद्योग धन्धे लग सकते हैं। अब चाहे किसान लगाना चाहें तो वह भी लगा सकते हैं, उसमें भूमि में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये हम तैयार हैं। आपको गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार करना है। यह राष्ट्रीयता का प्रश्न है। हम इस नीति

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

को इस दिशा में निर्धारित करना चाहते हैं और इस सदन से जो मेरा मन्तव्य था, उस पर विचार मैंने मांगा है ताकि राज्य सरकार नीति निर्धारण करते समय जो सदन के विपक्ष के माननीय सदस्य हैं और जो इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनकी भी समय पर सहमति ले सके।

मैं अपने विचार दे रहा हूं, आप गंभीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करें और राज्य सरकार का मार्गदर्शन करें।

मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। मैं आपका इस बात के लिये आभारी हूं कि मुझे आपने शांति से सुना। मैं यह नहीं सोचता था कि सदन में जो प्रथम भाषण हुआ और उसमें जो विघ्न डाला गया उसको दृष्टि में रखते हुए इस सदन के कुछ माननीय सदस्य हम लोगों के भाषण को शांति से सुन सकेंगे लेकिन इस बात पर काफी प्रसन्नता है कि आप आसन पर बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : मैं आभारी हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल वर्मा

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापतिजी, हमने महामहिम राज्यपाल का·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत होगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का जो पंचम प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है सदन उससे सहमति प्रगट करता है।

(स्वीकृत)

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं···

श्री नवनीत पालीवाल : वोट लिए जावें।

श्री मूलचन्द डागा : वोट क्या होता है? We have a right to speak

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय डागाजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का परम्परागत अभी तक कभी विरोध नहीं किया गया।

(श्री सभापति)
आपके दल के नेता वहां उपलब्ध थे, आपकी राय उसमें शामिल है। यह कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आम तौर पर सदन का प्रतिवेदन ही माना जाता है, परम्परा से, नियमों से स्वीकार कराया जाता है लेकिन इसका विरोध नहीं होता है।

व्यवस्था का प्रश्न
अशासकीय कार्य हेतु समय का नियतन

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे नम्रतापूर्वक कुछ अर्ज करना चाहता हूं, श्रीमान्। आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आप काम करना चाहते हैं उसका स्वागत है लेकिन महरबानी करके इसके नियम 23 को पढ़िए। इसके अन्दर लिखा हुआ है :

"The last two and a half hours of a sitting on each alternate Friday shall be allotted for the transaction of private member business"..

हर शुक्रवार के रोज...

श्री ईश्वरचन्द्र : आगे पढ़िए।

श्री मूलचन्द डागा : आगे लिखा है :

"Provided that the Speaker may allot different such Friday for the disposal of different classes of such business and on such Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than such Friday for the transaction of private members business".

(व्यवधान)

श्री सभापति : इनको कह लेने दें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर किसी शुक्रवार को ढाई घंटे प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिये नहीं दे सकते तो और दिन दें। लेकिन इस प्रोग्राम में क्या है। पूरे महीने तक एक तारीख से लेकर 31 तारीख तक प्राइवेट मेम्बर दिन नहीं रखा है। एक दिन सिर्फ 31 तारीख को रखा है। इस रूल का पर्पज यह नहीं है। इसमें है अगर शुक्रवार के दिन छोड़ देते हैं तो दूसरे दिन रख सकते हैं यह रूल 23 है। मैं नहीं चाहता कि आप इस रूल का हनन करें। या तो आप कानून के अनुसार, इस रूल के अनुसार करिये या यह कहिए कि हम इस रूल के खिलाफ निर्णय लेना चाहते हैं। आपको पावर है आगे चल कर 307 में। इसको आप काम लेना चाहते हों तो अलग बात है। नहीं तो, श्रीमान्, यह प्रोवीजन नहीं है कि एक महीने तक सरकार अपने गीत गाती रहे और प्राइवेट मेम्बर जो अपनी बात कहना चाहते हैं वे उससे वंचित हो जायं। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया यह दूसरी बात है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम सरकार की बातें ही सुनते न रहें, हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। रूल में महीने में दो दिन ढाई ढाई घण्टे प्राइवेट मेम्बर बिजनेस के लिए रखने का प्रावधान है लेकिन आपने नहीं रखे

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं। केवल 31 तारीख का एक दिन रखा है। इसका मतलब है कि सरकार केवल अपना ढिंढोरा पीटना चाहती है, केवल अपनी बात कहना चाहती है और प्राइवेट मेम्बर जो जनता की इच्छाएं और आकांक्षायें यहां रखना चाहते हैं उससे उनको महरूम रखना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल: सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के बोलने का समय बरबाद किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा: ठहरो, पहले मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य !

श्री अब्दुल अजीज: आप बोलने ही नहीं देते हैं। सभापति महोदय, हमारी बद-किस्मती है कि आप आसन पर बिराजमान हैं लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि कोई भी बात इस ओर से कही जाय, इधर के सदस्य बोलना चाहें तो हमें इजाजत नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज: आप हमें बोलने की इजाजत नहीं देते हैं। आप सरकार के चहेतों को, सरकारी पक्ष के सदस्यों को तरजीह देते हैं . . .

श्री नवनीत पालीवाल: अपने नेता को बताओ।

श्री सभापति: माननीय डागा साहब, आपका पाइन्ट आफ आर्डर मैंने सुन लिया, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कृपा करके अपने दल के नेता से मिल लीजिए।

श्री अब्दुल अजीज: आप नाम ही नहीं पुकारें तो हम क्या करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा: यह हमारे पर जुल्म है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): माननीय सभापति महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को, इस प्रतिवेदन को पढ़ा और उनके खुद के मुंह से भी सुना। मैंने इसमें कई अच्छी चीजें पाईं लेकिन जब मैंने अच्छी तरह से इसको पढ़ा तो मुझे यह पता लगा कि जो किसान गांवों में रहते हैं, जिसने इस जनता सरकार का निर्माण किया, उस किसान को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जो तत्काल देना चाहिए था पहले प्रतिवेदन में ही। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि हमारी सरकार इस बात का ध्यान करे कि तीस साल तक कांग्रेस ने

(श्री रतनलाल वर्मा)
किसान को मालिकाना हक जमीन का नहीं दिया। पहले मुगल साम्राज्य जमीन का मालिक बन कर बैठा रहा, फिर अंग्रेज मालिक बन कर बैठे रहे, राजा लोग मालिक बन कर बैठे रहे और पिछली सरकार ने भी उनको हक नहीं दिया और किसान भूमि के मालिकाना हक के लिए तरसता रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौलिक रूप से, सैद्धान्तिक रूप से किसान के साथ तभी न्याय होगा जब कि सरकार किसानों को भूमि का मालिक घोषित करेगी।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि कानून में प्रावधान है कि बांध बन रहा है तो उसके लिये भूमि अवाप्त कर ली जाय। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि अजमेर जिले में नसाड़िया बांध बन रहा है जिसमें भिनाय पंचायत समिति और जकड़ी पंचायत समिति आई हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और सरकार को आगाह करना चाहूंगा, राजस्व मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय भी यहां पर विराजमान हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि किसानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। उनकी जमीन, जिसमें 131 बीघा चाही जमीन शामिल है, जिसकी कीमत एक करोड़ से भी अधिक है, को न तो अवाप्त किया गया, न मुआवजा दिया गया है, न किसानों को नोटिस दिया गया और इमर्जेंसी, जब कि जनता सरकार का निर्माण नहीं हुआ था, के दौरान किसानों के कुओं को बरबाद कर दिया गया। वहां पर 80 कुओं पर मोटरें लगी हुई थीं। आज भी उन कुओं से मिनिमम चार्जेज बिजली वाले वसूल कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो मंत्री महानुभाव यहां पर विराजमान हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाकर किसानों की दशा को देखें। हम एक तरफ अन्त्योदय योजना चला रहे हैं और जिसका अन्त हो चुका है उसका उदय करना चाहते हैं लेकिन जिन किसानों ने अपने पेट को काट कर, बड़ी बेरहमी से पेट पर पट्टी बांध कर इन कुओं को खोदा, अपने बच्चों के गले में फांसी लगाई, उनको भूखा प्यासा रख कर कुए खोदे, उन कुओं से आज पानी नहीं पिला सकते। जिनकी फसल खड़ी हुई है, नाज पक रहा है, दूधिया हो रहा है लेकिन कुए के अन्दर छप्पड़ लगा कर माटी डाली जा रही है। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आप शीघ्र ही इसकी जांच कराएं। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि किसान को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर कांग्रेस के राज में अन्याय होता था तो क्या वही अब भी होगा? जो नसाड़िया बांध बन रहा है, मैं कह सकता हूं कि इन्जीनियरों ने गलत योजना बनाई है। वह जमीन कुओं की सिंचाई में आती है। मैं इसको साबित करने के लिये तैयार हूं। अगर मैं साबित नहीं कर सकूं तो सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इस्तीफा दिला रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री रतनलाल वर्मा : 30 साल से पंचायत राज चल रहा है पंचायतों को पंगु बना दिया। उनको चुनावों की एजेन्सी बना दिया। सभापति महोदय, जनता सरकार ने जो निर्णय लिया है, कि 4 आना पर हैड से जो पंचायतों को अनुदान दिया जा रहा था, वह अब ढाई रुपया दिया जायगा। जो योजना बंगलों में बैठकर बनाई

(श्री रतनलाल वर्मा)

गई है, वह अब किसानों की झोंपड़ियों में बैठकर बनेगी। किस जगह स्कूल बनाना है। किस जगह नाला बनाना है। यह जनता सरकार ने पहला इनाम गांव वालों को दिया है। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, कहते हुए शर्म और लज्जा आती है कि 13–13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम कांग्रेस सरकार भी कराती थी। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के जमाने में समाज कल्याण विभाग चलता था। उनके जो मंत्री रहे हैं, उन मन्त्री के जो कारनामे रहे हैं उनकी जांच करा लें। वह लोगों का पैसा खा गये। वह समाज कल्याण के नाम से पैसा खा गये। वह करोड़ों रुपये जीम गये। जांच की जाये तो मैं यह साबित करने को तैयार हूं। सभापति महोदय, पहले उनके पास झोंपड़ी भी नहीं थी। सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि अन्त्योदय योजना के नाम से गांवों में गरीबों की लिस्ट बनाई जा रही है। उसके साथ ही जिन्होंने 30 साल में लाखों रुपये खाये हैं, बड़े बड़े बंगले बनाये हैं जिनके बंगलों में गलीचे बिछे हुए हैं, जिन्होंने गरीबों का खून पसीना चूस चूस कर यह सब किया है, जिनके बंगलों में कूलर लगे हुए हैं उनकी भी जांच की जाये। तभी जाकर पता होगा कि अन्त्योदय योजना में जो ढाई लाख आदमी आये हैं, यह कौन हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने 30 साल में बंगले बनाये हैं। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी दलित वर्ग की जमीन पर बंगला बनाकर बैठे हैं। जो राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे हैं क्या आज भी जनता सरकार उनको उस बंगले में रहने देगी? वह जमीन, जिस पर वह बंगला बना हुआ है, दलित वर्ग की है। वह हरिदेव जोशी के नाम से कर दी गई है। वह उनके नाम से कैंसिल करके दलित वर्ग को दी जाय तभी माना जाएगा कि समाज कल्याण का कोई काम हुआ है। सभापति महोदय, अगर कोई बात होती है तो छोटे मोटे लल्लू पंजू को तो सस्पेण्ड कर देंगे या ये प्रहरी है, इनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं देंगे लेकिन जो सफेद हाथी आलीशान बंगलों में रहते हैं, जिनके कच्चे मकान भी नहीं थे वे जनता का खून चूस-चूस कर बंगले बनाकर बैठे हैं। मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं। अगर वह जमीन दलित वर्ग की नहीं निकले तो जो सजा दी जाये वह मैं पाने के लिए तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य : वह तो आयोग जांच करेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : ये कांग्रेसी कहलाने वाले जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री राजस्थान के हैं, उन्होंने दलित वर्ग की जमीन को हड़प लिया है।

सभापति महोदय, दूसरी बिजली की बात है। किसानों से 25 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाता है लेकिन जो करोड़पति हैं, उनसे 5 पैसा प्रति यूनिट ही वसूल किया जाता है। आज तो जनता सरकार आ गई है, आज तो किसानों ने जनता सरकार को कुर्सियों पर बैठा दिया है तो क्या आज भी वह 25 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से ही देगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप 20 मिनट बोल चुके हैं। जोश में आपको मालूम नहीं हुआ है कि कितना बोल चुके हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जनता पार्टी इस बात को सोचे। जनता पार्टी के नेता खुद यह नहीं सोचते थे कि इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आज वह कहते हैं कि हम किस प्रकार करें क्योंकि एग्रीमेण्ट हो रहा है। कांग्रेस वाले भी यही कहते थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मूल बात है, किसान अनाज पैदा करता है। वह एक प्रकार से देश का पेट पालने वाला है। आज जितने भी सरकारी नौकर हैं, पुलिस और मिलिटरी को छोड़कर, वह स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए किसान कभी हड़ताल करता है। इसीलिए मैं किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सभी किसान यह सोच लें कि अपनी जरूरत से अधिक पैदा नहीं करेंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। 5 पैसा यूनिट जो उद्योगपतियों से लिया जा रहा है वह किसानों से लिया जाये। 25 पैसा पर यूनिट बड़े लोगों से लिये जायें। आज छोटे-मोटे लल्लू पंजू आकर बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं।

श्री सभापति : ये आप बाद में पेश कर दें।

श्री रतनलाल वर्मा : आज बिजली मंत्री नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय अपने डिपार्टमेण्ट के स्टाफ को हिदायत कर दें कि किसी भी किसान का कनेक्शन बिना नोटिस दिये, बिना सुने, नहीं काटा जाएगा। अगर काट दिया गया है, तो उसकी जो हानि हुई है, वह पूरी की जाये। यह आदेश क्लियर रूप में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि सरकार ही किसान की रक्षक है। आज किसान यूनियन के रूप में, किसान सभा के रूप में, किसान संघ के रूप में अलग-अलग दलों के रूप में किसानों को बांट रखा है यह बड़ा दुखदायी है किसानों के लिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस किसान की धधकती आग पर राजनैतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं यह स्पष्ट बात है, अगर कोई नाराज हो तो हो। इसलिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, अगर किसानों का विकास नहीं किया और अगर किसान मचल गया . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, किसान अपने कंधे पर पछेवड़ा रखता है।

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

तो यह कान खोलकर सुन लेना कि उनके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय बरदाश्त नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल साफ बात है।

श्री सभापति : कृपा कर समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज भी कहता हूं और मैंने पहले अभिभाषण के समय भी कहा था कि कांग्रेस के राज में 25 साल के अन्दर भी किसानों के नक्शे सही नहीं बने और आज भी राजस्व मन्त्रीजी

Page No 126

(26)

(श्री रतनलाल वर्मा)

को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर आप जांच करें तो मैं साबित करने को तैयार हूं कि किसानों के नक्शे सही नहीं हैं। कहीं कहीं दो जरीब का फर्क है, किसी में तीन जरीब का फर्क है, किसी में चार जरीब का फर्क है। जितने भी आपके रेवेन्यू आफिसर हैं आप उनको मेरे सामने बिठाइये, मैं उनको सन्तुष्ट कर दूंगा और मौके पर जाकर साबित कर दूंगा। अगर नहीं कर सकूं तो मुझे आजीवन कारावास की सजा मन्जूर है, सहर्ष मन्जूर होगी। किसानों के खेतों का जनता सरकार ने उनके खसरों में सही इन्द्राज नहीं किया, किसानों को सही पास बुकें नहीं दी गईं तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

श्री सभापति : राजस्व मन्त्रीजी ध्यान दें।

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस सरकार ने तीस साल तक बैलों को दिखाकर, गाय को दिखाकर झांसा-पट्टी में राज किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्व मन्त्रीजी, आप नये बने हैं, लेकिन आप मेरे को साथ लेकर चलें, मेरी चुनौती स्वीकार करें, मैं साबित करने को तैयार हूं। अगर आप उनको पास-बुकें नहीं दे सकते तो मैं तो यह कह देना चाहता हूं कि मेरा एम. एल. ए. बनना धूल है, जनता सरकार के लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है किसान का, किसान कोई भिखमंगा नहीं है। किसान को भिखमंगा किसने बनाया, कांग्रेस सरकार ने नक्शे गलत बनाकर, गलत इन्द्राज करके, खातों और खतोनियों में गलत इन्द्राज करके किसान को भिखमंगा कर दिया। आज अदालतों के अन्दर किसानों की भीड़ लगी हुई है, आज वकील लोग तमाम उनसे पलते हैं। पुलिस के सिपाही को ढाई-तीन सौ रुपया तनख्वाह मिलती है, वह उनसे पलते हैं और मेरे जैसे ×××लोगों को आपस में लड़ाकर आज बंगला बना कर बैठे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, ×××......

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने अपने आपको धिक्कारा है, मैंने आपको नहीं कहा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य रतन लाल जी आप अपने लिये भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपमान नहीं करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्योंकि यह जनता का अपमान है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिये लेकिन तीस साल से देख रहा हूं····

श्री सभापति : इन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : आज भी इसका प्रबन्ध नहीं किया तो किसान लोग गरीब आदमी हैं,....

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी।

श्री रतनलाल वर्मा : सिर्फ एक मिनट। सभापति महोदय, डेयरी की योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

×××अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रतनलाल वर्मा)

अजमेर की डेयरी की योजना में 9 लाख रुपये का घाटा हुआ है। वह 1.20 के भाव से दूध लेते हैं और शहरों में 2 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। चार पर्सेन्ट मक्खन निकाल लेते हैं और इसके बाद भी घाटा दिखाया गया है। सब डेयरियों में घाटा है कोई डेयरी ढंग से नहीं चल रही है और तरीके से नहीं चल रही है। यदि एक समय का दूध भी किसान के पास नहीं रखा तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि किसान बहुत कमजोर है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, आपसे प्रार्थना है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जनता सरकार मेरे सुझावों के अनुसार कदम उठाये।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये धन्यवाद और समर्थन प्रेषित करती हूं किन्तु इसके साथ ही आपको भी धन्यवाद देती हूं कि तीन दिन लगातार यहां बैठकर आपने मेरे को थोड़ा बोलने के लिये समय दिया है, धन्यवाद।

आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा और रेडियो पर सुना कि आदिवासी, पिछड़े लोगों और हरिजनों के लिये 'नीच' शब्द का प्रयोग किया गया और पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। जब कि सरकार उनके उत्थान के लिये हर प्रकार से चिन्तित है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का शब्द होते हुए भी उसके लिये 'नीच' शब्द का प्रयोग किया, यह बड़ा ही दुखदायी विषय है। हम लोगों की आदत सी बन गई है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगी सरकार से कि जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गरीब आदिवासियों और हरिजनों के दिलों को चोट पहुंचायें उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अच्छी बातें हैं किन्तु महिलाओं, जो समाज का सबसे बड़ा अंग है, को संरक्षण देने, प्रशिक्षण देने अथवा उनके लिये आरक्षण रखने की कोई बात का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। पुरुष और महिला समाज रूपी रथ के दो पहियों के समान हैं। यदि एक पहिया पिछड़ जाय तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। महिलाएं सभी क्षेत्र में, खेतों में, खलिहानों में, कल-कारखानों में, जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से अधिक काम करती हैं लेकिन फिर भी उनके लिये कोई बात नहीं कही गई है। महोदय, जो महिलायें घरों में रहने के कारण अपनी बात आपके सम्मुख नहीं कह सकतीं अथवा पिछड़ेपन के कारण नहीं कह सकती उनके उत्थान के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यह दुःख का विषय है। महिला मुक्ति आन्दोलन को कोई महत्व नहीं दिया जाता। महिलाओं की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं मिलता। गांवों में देखा जाय तो पुरुष को 5 रु. मिलते हैं और महिलाओं को 3/- रु. ही दिये जाते हैं जब कि

(श्रीमती नारंगी देवी)

वे अधिक कार्य करती है। महोदय, मैं विधि मन्त्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की गई है लेकिन उनको जमीनों पर अधिकार देने की व्यवस्था नहीं की गई है। उत्तराधिकार कानून में विधवा महिलाओं को अपने पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता जब कि अन्य जातियों में ऐसी बात है। अन्य जातियों में यदि पति मर जाए तो विधवा पत्नी को, उसकी पुत्री को, उसके पुत्र को समान अधिकार मिलते हैं, पुत्री तक को समान अधिकार मिलते हैं सम्पत्ति के बंटवारे में। मीणा जाति की महिलाओं को पति के मरने के उपरांत कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। यदि दुर्भाग्य से पति मर जाए तो पत्नी को उसकी संचित सम्पत्ति में अधिकार नहीं रहता। सीलिंग कानून में कोटा डिवीजन में गरीब महिलाओं के लिए कोई सम्पत्ति का अधिकार नहीं माना। यदि घर में लड़का है और लड़की है तो मरने वाले पिता की सम्पत्ति में महिला व लड़की को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उन आदिवासी महिलाओं के अधिकार का दुरुपयोग हुआ है। मैं विधि मंत्री से निवेदन करती हूं कि महिलाओं को आरक्षण दें। हम लोगों के जो बालक हैं वे अपने आपको हीन अनुभव करते हैं। जो कल राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दूसरी बात, जयपुर में जब एस. एम. एस. अस्पताल खुला था बच्चों के वार्ड में 50 बैड्स की व्यवस्था थी, शहर इतना बढ़ गया, जन संख्या बढ़ गई किन्तु अभी भी वही के वही 50 बैड्स हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगी कि जो मूक बालक जन्म से ही अस्पताल में अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं उनके लिए एक वार्ड अलग बनाया जाए। उनको साइकलोजीकल ट्रीटमेंट देने और नवीन दवाइयों की व्यवस्था की जाए। आदिवासी क्षेत्रों में बालकों के लिए कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। मेरा क्षेत्र बड़ा लम्बा चौड़ा है उस क्षेत्र में दवाई और औषधि की कोई व्यवस्था नहीं। आपने अखबार में पढ़ा होगा। मेरे यहां तहसीलदार की शाहबाद में हत्या हुई वह भी थाने के सामने। कोई डाक्टर उनका पोस्ट मार्टम करने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में नहीं मिला। बाद में डाक्टर द्वारा पोस्ट मार्टम कराने के लिए उसे बाहर ले जाया गया। मेरे क्षेत्र में केवल दो ही डाक्टर पिछड़ी जाति के हैं।

मेरे क्षेत्र में 40 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के और 20 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के रहते हैं, कई भूखे नंगे हैं। 9 वर्ष के बाद भी स्कूलों में बच्चे नंगे जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य सेवायें बिल्कुल अपर्याप्त हैं। पिछड़े क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जाय।

मैं चाहूंगी कि जो मेरे क्षेत्र में बांगला देश से विस्थापित आए हैं जिनको कोटा जिले में बसाया है, उनको नागरिकता के अधिकार दिये जायं। उनके लिए कोटा में कालोनी बनाई गई है। उन लोगों के लिए अभी तक न खाने के लिए, न रहने के लिए कोई व्यवस्था है। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि उनके 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ऐसे विस्थापित लोगों को जल्दी से जल्दी बसा दिया जाए और उन लोगों को नागरिकता के

(श्रीमती नारंगी देवी)

अधिकार दिये जायं। कैश डोल्स और पहनने के लिये कपड़ा उनको नहीं मिला। वे लोग बहुत गरीब हैं किन्तु कलाकार हैं चाहे कोई भी उद्योग हो।

शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नौजवान कालेज में न पढ़कर दर दर घूमते हैं, उनका बेरोजगारी भत्ता 150) रु० कर दिया गया है उनसे 8 घंटे काम लिया जाता है। मैं विधि मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि उन लोगों से जब 8 घंटे काम लेते हैं तो उनको 8 घंटे का वेतन दिया जाये। आज के युग में तो चपरासियों को भी अधिक वेतन दिया जाता है।

मेरे क्षेत्र में वर्षा के समय ऐसी खराब हालत हो जाती है कि आने जाने के साधन अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रसूत महिलाओं को डाक्टर के अभाव में भी तोड़कर मर जाना पड़ता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निवेदन है कि इतने बड़े क्षेत्र में, जहां बहुत ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, केवल एक गांव किशनगंज में बिजली है, अन्य किसी गांव में बिजली नहीं। गांवों की संख्या 435 है। पास में मध्य प्रदेश में जब बिजली चमकती हैं तो मेरे क्षेत्र में लोग मन मसोस कर रह जाते हैं, अतः बिजली जो कृषि व उद्योग के लिए जरूरी हैं, उन सभी गांवों में उपलब्ध कराई जाये।

मैंने एक प्रश्न रखा था कि पार्वती नदी पर पुल कब बन जायगा, उसके लिए कितना पैसा रखा गया है? मेरा क्षेत्र ट्राइबल घोषित किया गया है। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। पार्वती नदी पर 2 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई थी लेकिन वह योजना भी अधूरी लटक रही है। इस पर जल्दी काम किया जाए ताकि दूरदराज रहने वाले गरीब लोग अपना कारोबार कर सकें।

मेरा क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण एस.डी. ओ. का कोर्ट केवल बारां में है, 100–125 मील दूर दूर से गांव के लोग वहां आते हैं। इसलिए एस. डी. एम. का कोर्ट एक किशनगंज और एक तहसील शाहबाद में रखा जाए तो लोगों को न्याय सुलभ हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : उधर से माननीय सदस्य बहुत आतुर हैं बोलने के लिए। मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि जितना समय निर्धारित था उससे आप ज्यादा ले चुके हैं। इसलिए मेरे सामने मजबूरी है। फिर भी आपको समय दूंगा बोलने के लिए पहले दो इधर से बोलेंगे।

श्री कमलेन्द्र सिंह!

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं अभी तक नहीं बोला।

श्री सभापति : मैं आपको समय दूंगा। श्री कमलेन्द्रजी अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हमारे दो सदस्यों को 20 मिनट का समय दिया गया है। आज समय कम है, कल समय दे सकेंगे?

श्री सभापति : कल के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, खास तौर से आपके बारे में यदि हो सके तो कल एडजस्ट करें।

श्री सभापति : श्री कमलेन्द्र सिंह!

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ हमारी सरकार का तीन विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभिभाषण में अन्त्योदय योजना पर जो भी कहा गया है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। योजना की लोकप्रियता भी एक माना हुआ तथ्य है। गरीबी कम करने के लक्ष्य की ओर सरकार का यह पहला कदम है। इस योजना को इकानामिक्स की बारीकी से देखा जाय तो योजना इतनी सुलभ नहीं मालूम पड़ती है। इकानामिक्स के तथ्यों और आंकड़ों से मिलाया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 5 बीघा जमीन और 2000) रुपये के लोन से कोई परिवार आत्म निर्भर नहीं हो सकता है। आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार को एक परिवार पर 15–20 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 5 बीघा जमीन मिलने के बाद 2000) रुपये तो उसको सुधारने में लगेंगे। बैल और सामग्री इकट्ठी करने में 3000) रुपये चाहिए। सस्ते से सस्ता कुआ बनाए तो उसको 7000) रुपये और चाहिए। यह 12000) रुपये खर्च होंगे तब जाकर खेती शुरू हो सकती है। खेती चालू करने के बाद भी 3000) रुपये तो इनपुट्स के चाहिए और जब तक पहली फसल न आ जाय तब तक अपने परिवार के पालन पोषण के लिए 2000) रुपये और चाहिए। ऐसे 17000) रुपये सरकार एक परिवार पर इन्वेस्ट करे तब यह अन्त्योदय योजना पूरी तरह से सफल हो सकती है।

चालू योजना किन आंकड़ों पर आधारित है, यह स्पष्ट नहीं है। आज के रिसोर्सेज को देखते हुए यह असम्भव सा लगता है कि सरकार इतनी रकम एक परिवार पर इन्वेस्ट कर सकती है। इतने सालों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि कर्जा और अनुदान देने की प्रक्रिया मूल रूप से विफल रही है। जो हालत 25 सालों में लोन्स और सब्सिडी की हुई है वही हालत अन्त्योदय के लोन्स की होगी। सरकार के लोन को दान के रूप में देखा गया। दान में मिले पैसों का जैसा उपयोग होता है, वैसे इन सरकारी पैसों को काम में लाया गया है। लोन को दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट न समझ कर तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया गया है। यह दान लेने का मानस को पिछली सरकार ने प्रोत्साहित किया था, इस मानस को राजनीति का साधन बनाया गया। हर चुनाव में हमारे जिले में तो यही नारा लगता था, लोन लो और सुखाड़िया को वोट दो।

श्री मूलचन्द डागा : अरे यह पुरानी बातों को क्या याद कर रहे हो? पिछली बातों को मत दोहराओ। अब आगे क्या करना है वह कहो। आठ–नौ महीने हो गये अभी तक उसको ही दोहराते जाओगे या काम भी करोगे कुछ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया सुनें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रतन लाल वर्मा : इन्होंने जो किया है उसके कष्टों को तो भोगना पड़ेगा।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

Page No 131

(131)

श्री मूल चन्द डागा : वह तो भोग रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें। आप भाषण जारी रखें।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय डागा साहब, जो उदयपुर में हुआ वह ही बता रहा हूँ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता सरकार इस सुखाड़िया स्तरीय राजनीति से ऊपर उठना चाहती है और वास्तविक विकास करना चाहती है तो लोन्स की प्रक्रिया पर पैसे खर्च न करके यह सब पैसा इकट्ठा क्षेत्र के इको-इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर लगाये।

उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्र में इको-इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के लिये दो आवश्यकताएं पूरी करनी हैं--खेती के लिए पानी और क्षेत्र में रास्ते और सड़क उपलब्ध करानी है। इस क्षेत्र में हजारों ऐसे नाके हैं जहां पर 25000 एनीकट बन सकते हैं। पूरे क्षेत्र में एनीकट बन जावें तो वहां के भू जल की सतह ऊंची आयेगी तब हर कुए में पानी आसानी से उपलब्ध हो जायेगा। पानी मिल जाने से तो हर परिवार को कम से कम दो फसलें मिलेगी। तब यह आशा कर सकते हैं कि परिवार आत्म निर्भरता की ओर बढेंगे। यही एक दीर्घकालीन समाधान है।

(समय- समाप्ति- सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे तो पांच मिनट ही नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : पांच मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्य तो 45 मिनट तक बोल लेते हैं और हमें सिर्फ दस मिनट ही दिये जाते हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : दूसरी आवश्यकता है कम्युनिकेशन की। आज रास्ता-सड़कें न होने से आदिवासी परिवार अपनी थोड़ी सी पैदा-वार भी बाजार मंडी तक नहीं ला सकता है। उसको मजबूरी से अपने घर की देहरी पर बेचना पड़ता है। वहां पर भी उसकी कीमत एक मजबूरी की कीमत ही मिलती है। हर मोड़ पर आदिवासी जनता को मजबूरी और विवशता घेरे रहती है। इस विवशता का व्यापार तो वोट के लिऐ कांग्रेस सरकार ने कई सालों तक किया। इसलिए उन क्षेत्रों में लोकतंत्र की नींव अभी तक कमजोर है। हम आशा करते हैं कि जनता सरकार इन क्षेत्रो का इको-इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुट जाय तो यहां जो निराशा का वातावरण बना रहता है उससे आदिवासी जनता को मुक्ति मिल सकती है। अपने आप कमाने लग जायं, अपनी मेहनत का पूरा फल उनको मिल जाय तो उनका आत्म-विश्वास, उनका आत्म सम्मान विकसित होगा। लोकतन्त्र का भविष्य केवल संविधान और उसके संशोधन पर निर्भर नहीं है, किन्तु हर नागरिक के आत्म सम्मान पर आधारित है। जब तक दान लेने का मानस बना रहेगा तब तक इन्दिरा गांधी को देखने की भीड़ बनी रहेगी। जनता सरकार जब भी विकास की योजना बनाए तब इन तथ्यों को सामने रख कर बनाये।

सभापति महोदय, राज्यपाल के अभि-भाषण में एक मानव समस्या पर कोई

(32)

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

प्रकाश नहीं डाला गया है। राज्य कर्मचारी, जिनको इमर्जेंसी में सेवा मुक्त किया गया था, की वेदना को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन सेवा मुक्त कर्मचारियों को अपनी याचनाएं, अपनी अपीलें उन्हीं आफिसरों के पास ले जानी पड़ती हैं जिन्होंने इन कर्मचारियों को डिस्मिस या रिटायर किया था। ऐसी स्थिति में वह न्याय की क्या आशा रख सकते हैं? सभापति महोदय, आपके सामने एक ही उदाहरण पेश करना चाहूंगा। एक अनुसूचित जाति के पटवारी के खिलाफ शिकायत हुई थी। उसकी विभागीय जांच हुई। पटवारी निर्दोष पाया गया किन्तु उससे कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से नाराज था। कलेक्टर ने दुबारा जांच कराई। कलेक्टर के दबाव से जांच अधिकारी ने एक माइनर आरोप में उसको दोषी ठहराया। कलेक्टर ने एक इन्क्रीमेंट रोक दिया और पटवारी की कांफिडेंशल रिपोर्ट रंग दी। अब आई इमर्जेन्सी, अब आये नए अधिकारी। कलेक्टर को सेवा मुक्त का कोटा पूरा करना था। कोटा पूरा करने में इस पटवारी का नम्बर आया क्योंकि इसके पास न तो पैसा था, न किसी हस्ती की सिफारिश थी। बड़ी कठिनाई से पैसे मांग कर रेवेन्यू बोर्ड में पटवारी ने अपील की। रेवेन्यू बोर्ड ने फाइल को डिमाण्ड करते हुए यह टिप्पणी लिख दी कि एक दोष के लिए दो सजा नहीं होनी चाहिए। यह कहां का न्याय है? कहां की इक्विटी है एक दोष के लिए दो दो सजा-इन्क्रीमेंट भी रुका और डिसमिसल भी हुआ? न्याय की दृष्टि से तो यह होना चाहिए था कि एक आरोप पर निर्दोष पाया जाय तो उसी आरोप पर कभी भी रीइन्क्वायरी नहीं होनी चाहिए। पर न्याय कौन देना चाहता है? आफिसर तो अपने गलत अन्यायपूर्ण आदेशों को भी मरते दम तक नहीं बदलेगा। इस जिन्दगी को ही तो प्रशासनिक दृढ़ता कहते हैं।

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अभी समाप्त कर रहा हूं, साहब!

माननीय सभापति महोदय, एक और विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी तक सरकार और प्रशासन के बीच कोई सामंजस्य नहीं बैठा है। प्रशासनिक सेवाओं का निःसंकोच सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। अफसरशाही का मानस 30 साल से एक ही ढांचे में ढला हुआ है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रेरणादायक नेतृत्व होगा तब ही इस मानस को बदला जा सकता है। समग्र क्रांति के प्रति प्रशासन को प्रेरित नहीं किया गया तो आपको इनका योगदान नहीं मिल सकता है। किन्तु हथौड़ा मार वक्तव्यों से प्रेरणा नहीं मिलती। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि राजस्थान के 233 विकास अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। सदन के माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि 233 बी.डी.ओ. के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? सदन यह भी जानने का इच्छुक है कि आपने क्या सब ही विकास अधिकारी को चार्ज शीट पकड़ा दी है? ऐसे तथ्यहीन वक्तव्यों से क्या आप प्रशासन पर छाप जमा सकते हैं? इससे तो सरकार और प्रशासन के बीच एक साइकलोजीकल दीवार खड़ी होती है और आफिसर फिर संकोच और शंका में पड़ जाते हैं। ऐसी मानसिक

(श्री कमलेन्द्रसिंह)
अवस्था में आपको पूरा योगदान नहीं दे सकते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आपको प्रशासन में परिवर्तन लाना है, प्रशासन में शुद्धता लानी है तो अब आपको घोषणाओं से ग्रेजिएट होकर ठोस निर्णय लेने होंगे। जनता को अभी अनुभव नहीं हुआ है कि यह सरकार निर्णय ले सकती है। जनता को यह भी अनुभव नहीं है कि सरकार अपने आदेशों की पालना करा सकती है। आपको यह भी अनुभव कराना शेष है कि आप परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। सरकारी कार्य अभी तक उदासीन अवस्था में पड़ा है। इस सरकार के प्रति जनता ने भरपूर विश्वास प्रकट किया है। आपके प्रति अभी भी भरपूर सहानुभूति है। आस्था का इतना भण्डार होते हुए भी न जाने क्यों इस सरकार का हर कार्य एक विचित्र संकोच से पीड़ित है।

माननीय सभापति महोदय, इन तीन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज !

(अनुपस्थित)

श्री रतनाराम !

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति जी, काफी इन्तजार करने के बाद मुझे आपने बोलने का समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ही समय दिया है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की ही समस्यायें रखता हूं.....

श्री सभापति : 10 मिनट हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम तो मेरे जालोर जिला के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। पहले सत्र में जब वर्षा हुई थी और फसल नष्ट हो गयी थी फिर भी उस जिले को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया। वहां की फसल बिलकुल पानी में गल गयी थी और फसल कोई भी नहीं गई थी फिर भी उस जिले को सरकार ने अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही को अकाल-ग्रस्त घोषित कर दिया गया लेकिन न जाने क्यों जालोर जिले को छोड़ दिया गया। इसलिए हमारे जालोर जिले के अन्दर गरीब मजदूरों के अन्दर बहुत भारी असन्तोष है। सरकार दुबारा अगर इस पर विचार करे तो हम बहुत आभारी होंगे।

हमारे जालोर जिले के एक तरफ तो गुजरात बॉर्डर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर आया हुआ है। जालोर जिले में कांग्रेस सरकार के जमाने में भी कोई विकास नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं लेकिन सही बात कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा। वही हालत मुझे आज भी जालोर जिले की दीख रही है। आप जालोर जिले के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं......

श्री सभापति : मैं माननीय सभासदों से अनुरोध करूंगा कि सदन में अखबार पढ़ना वर्जित है।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति जी, हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में गांवों में पीने के पानी की समस्या है। कुछ गांव

(श्री रतनाराम चौधरी)

में पीने का पानी दूर-दूर से लाया जाता है। कोटड़ा, डीगाव, भाटीप आदि गांवों में खारा पानी है इसलिए कृपा कर वहां जलप्रदाय योजना लागू की जाये ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

माननीय सभापति जी, हमारे जालौर जिले के रानीवाड़ा में एक डेयरी प्लान्ट लगाया गया है परन्तु वहां के मैनेजर एक मिस्टर सिक्का हैं वह हमारे यहां के पशुपालकों और मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। जब डेयरी स्टार्ट की गयी उस समय हजारों मन दूध आता था किन्तु आज मुश्किल से तीन-चार हजार लीटर ही आता है। लोगों को समय पर पेमेन्ट नहीं होता है। जो मजदूर डेयरी में मजदूरी करने आते हैं उनका पूरा पेमेंट नहीं होता। मजदूरों को दो-दो महीने से पेमेन्ट होता है। इस के लिए हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया लेकिन उन्होंने भी समस्या हल करने का प्रयास नहीं किया। सरकार उस डेयरी को हाथ में ले ले तो उनके जुल्मों से हमारा छुटकारा हो जाये।

लालबहादुर शास्त्री ने नारा दिया था 'जय जवान जय किसान' अगर कोई सच्ची मजदूरी करने वाला है और देश को पालने वाला है तो वह किसान है। देश की रक्षा करने वाला जवान है जो कि सीमा के ऊपर सीना ताने खड़ा है। देश को पालने वाले किसान और जवान दो ही हैं और दोनों की ही उपेक्षा की जा रही है...

श्री मूलचन्द डागा : अब तो 'जय पूंजीवाद और जय सामन्तवाद' जनता सरकार का नारा है।

श्री रतनाराम चौधरी : जो पैसा हम कल कारखाने वालों को दे रहे हैं उनके बजाय वह पैसा किसानों को और जवानों को दिया जाये तो देश कितना खुशहाल बनेगा इसका जायचा तो बाद में लगाया जा सकता है। आज मजदूर मजदूरी के लिये इधर-उधर भटकता रहता है। उनको प्रत्येक जिले में, मैं मेरे ही जिले की बात नहीं कहता, छोटे छोटे उद्योग लगाकर प्राथमिकता दी जाये और कल कारखानों में उनको लगाया जाये जिनके पास जमीन नहीं है। उनको आप नौकरी दें तो गरीबों का पेट पालने का साधन बन सकता है। इसलिए अगर मजदूरों को ऊंचा उठाना है तो प्रत्येक जिले में उद्योग आपको खोलने पड़ेंगे।

हमारे क्षेत्र में पंचायत समिति जसवंतपुरा है। वहां पर पुलिस थाना होते हुए भी आने-जाने को सड़क नहीं है। पहले की एक कच्ची सड़क जरूर बनी हुई है और पत्थर जरूर बिछे हुए हैं लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गयी है कि उस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और लोगों को रास्ता बदलना पड़ा है। इसलिए जहां पुलिस थाना और पंचायत समिति है वहां डामर सड़क बन जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, मैं सिर्फ आधा घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाने की और अनुमति चाहता हूं। बोलने के लिए थोड़े सदस्य रह गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई तरीका है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में एक बड़गांव नदी है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारे प्रहरी हैं और बाहर कर्मचारी हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं दिया जाता है तो ओवरटाइम दिया जावे। मैं इस बात का समर्थन करते हुए आपसे कहूंगी कि पहले सत्र में भी कहा गया था घोषणा करने के लिए लेकिन आज तक नहीं की गयी। मुझे आशा है मंत्री महोदय घोषणा यहां करेंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति जी, हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में बड़गांव की नदी है जहां बारहों महीने पानी बहता है। चूरू के पास जैतपुरा तीन किलो मीटर दूर है वहां से पानी फालतू गुजरात में जा रहा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : एक मिनट।

जैतपुरा नदी का पानी गुजरात में फालतू जा रहा है उसके लिए पहली सरकार ने योजना भी बनाई थी अतः उस जैतपुरा की नदी को बड़गांव में डाल दिया जाये और आसपास के क्षेत्र को पानी दिया जाये तो इससे करीब पांच हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। इससे काफी काश्तकारों को लाभ होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। इसलिये बड़गांव की नदी में जैतपुरा नदी का पानी डालने के लिये एक योजना बनाई जावे।.......

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : इससे देश को, अपने राज्य को बहुत लाभ होगा, धन्यवाद। आपने कृपापूर्वक समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : क्या मंशा है, क्या इच्छा है सदन की ?

मेजर श्री फतहसिंह : We want to go.

श्री सभापति : सत्ता पक्ष इस बात पर विभाजित है।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.01 बजे शनिवार दिनांक 4 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बांसवाड़ा में सिन्थेटिक धागा बनाने का कारखाना

35. श्री ओंकारलाल चौहान (मटरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में सिन्थेटिक धागा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो इस कारखाने की क्या लागत होगी और इसमें धागा कब तक बनाना प्रारम्भ हो जावेगा ?

(2) इस कारखाने की क्या क्षमता होगी और प्रति वर्ष कितने रुपये मूल्य का धागा बनेगा ?

(3) इस कारखाने से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा ? क्या इस कारखाने में आदिवासी लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कारखाने की कुल लागत 3.66 लाख रुपये है। परियोजना में जनवरी, 78 से ट्रायल उत्पादन आरम्भ हो गया है। व्यावसायिक उत्पादन 1 अप्रेल, 77 से प्रारम्भ होने की संभावना है।

(2) परियोजना के प्रथम चरण में 12480 तकुए ब्लेन्डेड व सिन्थेटिक धागा बनाने के लिये लगाये गये हैं। इन तकुओं से प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये मूल्य का धागा बन सकेगा।

(3) इस कारखाने में 450 के लगभग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। आदिवासी लोगों को रोजगार मिलने पर प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान इस जोइन्ट सैक्टर प्रोजेक्ट में नहीं है फिर भी जो नोन टेक्निकल मजदूर होंगे उसमें आदिवासियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रयास किया जावेगा।

कोटपूतली क्षेत्र का सर्वे

36. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप जिला कोटपूतली क्षेत्र में कहां-कहां किस-किस किस्म के कौन-कौन से खनिज अथवा खानें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस क्षेत्र का विस्तृत भू-गर्भीय सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? आगे इस बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि विराट तहसील के देवल ग्राम के निकट कीमती नीले पत्थर के लिये अनधिकृत कार्य किया गया ?

(4) क्या इसकी शिकायत 24-3-76 को की गई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री रामकरणसिंह)

(5) अब इन खनिज व खानों के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है ?

उत्तर

(1) खनिज एवं खानों की सूची संलग्न है।

(2) कोटपूतली क्षेत्र का जनरल भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया गया है तथा विस्तृत सर्वेक्षण केवल लाइमस्टोन तथा लौह खनिजों के लिये किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स की संख्या संलग्न है। अगर किसी अन्य महत्वपूर्ण खनिज की उपलब्धि के इंडीकेशन मिलेंगे तो उसका विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया जायेगा।

(3) जी हां।

(4) जी हां। विभाग द्वारा क्षेत्र में निगरानी रखने की व्यवस्था की गई तथा जो व्यक्ति अनधिकृत कार्य करते पाये गये उनके विरुद्ध जो पंचनामा बनाया गया था उसे दिनांक 23-4-76 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट शाहपुरा में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसकी सुनवाई चालू है।

(5) अब उक्त क्षेत्र को अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के तहत ब्लाक्स बनाकर नीलामी द्वारा अलाट करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ऊन ग्रेडिंग सेन्टर, नवलगढ़

37. **श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़):** क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लम्बे अर्से पूर्व विभाग ने नवलगढ़ (झुन्झुनूं) में लाखों रुपये खर्च करके एक ऊन ग्रेडिंग सेन्टर बनाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस ऊन ग्रेडिंग सेन्टर के भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ?

(3) क्या वर्तमान में विभाग के सामने इस ऊन ग्रेडिंग सेन्टर को चालू करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। लगभग 1.67 लाख रु. की लागत से वर्ष 1965 में ऊन वर्गीकरण भवन नवलगढ़ में बनाया था।

(2) जी नहीं। ऊन वर्गीकरण केन्द्र नवलगढ़ के भवन में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र का कार्यालय स्थित है।

(3) जी नहीं।

राज्य में पंचायतों के चुनावों में झगड़े

38. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़):** क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायत चुनावों में कहां कहां झगड़े हुए जिससे चुनाव स्थगित करने पड़े ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) राज्य में पंचायत चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने कहां-कहां पीटा ?

(3) राज्य में पंचायत चुनावों में किन किन जिलों में जनता पार्टी का बहुमत आया है ?

उत्तर

(1) राज्य में निम्न पचायतों के चुनाव मतदान तनावपूर्ण स्थिति होने के कारण स्थगित किये गये थे :—

जिला	पंचायत समिति	पंचायत
सवाई माधोपुर	हिन्डौन	पालों
अलवर	मुंडावर	भुनगड़ा अहीर वार्ड नं. 1 से 4
बीकानेर	लूनकरणसर	खोखरना
सीकर	दांता रामगढ़	डूकिया
जयपुर	बांदीकुई	(1) ढिगारियाभीम (2) महुखुर्द वार्ड नं. 6 व 7
भरतपुर	सेवर	महुवा (सरपंच चुनाव)

(2) पंचायत चुनाव राजनैतिक दलों के आधार पर नहीं लड़े गये। कहीं भी कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने पीटा हो, ऐसी सूचना नहीं है।

(3) पंचायत चुनाव राजनैविक दलों के आधार पर नहीं लड़े गये इसलिए किसी पार्टी के बहुमत का प्रश्न ही नहीं उठता।

खेरवाड़ा तहसील में सड़कों का कार्य

39. **श्री सूर्यप्रकाश** (खेरवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के खेरवाड़ा तहसील में कच्चे मार्गों को पक्के मार्गों में परिवर्तित करने की योजना क्या राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कितने मार्गों की है व कब तक उसे पूर्ण करने की सम्भावना है ?

(2) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में सड़क विकास नहीं करना चाहती ? यदि चाहती है, ता कार्यों में शिथिलता क्यों हो रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। सड़क का विकास करना चाहती है। शिथिलता का प्रश्न नहीं उठता।